सत्यमेव जयते

असंशोधित

बिहार विधान–सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

11 मार्च, 2025

बिहार विधान सभा सचिवालय,
पटना ।

सप्तदश विधान सभा — मंगलवार, तिथि 11 मार्च, 2025 ई०
चतुर्दश सत्र — 20 फाल्गुन, 1946 (शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय – 11:00 बजे पूर्वाह्न)
(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है । अब प्रश्नोत्तर काल होगा । अल्पसूचित प्रश्न लिये जायेंगे ।

श्री सत्यदेव राम : महोदय, हमने कार्य स्थगन दिया है ......

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप भी जानते हैं कब उठाना है, फिर क्यों खड़े हो गए, बैठ जाइए । आप तो बहुत पुराने आदमी हैं ।

श्री सत्यदेव राम : इसीलिए तो आपको...

अध्यक्ष : बैठ जाइए, बैठ जाइए न, जब समय आएगा तो बताइएगा ।

(व्यवधान)

बैठ जाइए न ।

श्री सत्यदेव राम : जैसा आपका आदेश होगा वैसा ही करेंगे, आपके आदेश के विपरीत कुछ भी नहीं करेंगे......

अध्यक्ष : इतना भरोसा करते हैं आप पर । अब आपको देखकर मुझे एक शेर याद आ रहा है :

"तेरे बदलने का दुख नहीं है मुझको
मैं तो अपने यकीन पर शर्मिंदा हूं ।"

बैठ जाइए न, इतना यकीन किया आप पर । बैठ जाइए, बैठ जाइए ।
श्री अरूण शंकर प्रसाद ।

अल्पसूचित प्रश्न सं0–7 (श्री अरूण शंकर प्रसाद, खजौली)
(लिखित उत्तर)

श्री मदन सहनी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि राज्य के सरकारी विद्यालयों में 1,76,94,553 बच्चे नामांकित हैं । इनमें से 1,55,64,748 बच्चों को आधार उपलब्ध कराया जा चुका है अर्थात कुल नामांकित छात्रों में से 88 प्रतिशत को आधार से आच्छादित कर दिया गया है ।

बिना आधार से जुड़े नामांकित बच्चों की संख्या–21,29,805 (इक्कीस लाख उनतीस हजार आठ सौ पांच) है । विभाग द्वारा इन बच्चों का त्वरित गति से आधार आच्छादन हेतु राज्य के सभी 534 प्रखंडों में प्रति प्रखंड 02 आधार मशीन अधिष्ठापित किया गया है ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिए ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न मैंने शिक्षा विभाग से किया था, लेकिन वहां से स्थानांतरित होकर समाज कल्याण विभाग के पास आया है, मेरा इसमें यह कहना है महोदय...

अध्यक्ष : पूरक पूछिए ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : जी, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि 22 लाख 50 हजार बच्चों का अभी तक आधार, पहली से लेकर बारहवीं कक्षा तक के छात्र–छात्राओं का नहीं बना है जिसके कारण वे लाभ से वंचित हो जाते हैं तो क्या सरकार चाहती है कि शीघ्र इन बच्चों का, जो छूटे हुए बच्चे हैं उनका आधार कार्ड बनवाकर उन बच्चों को भी सरकारी योजनाओं का लाभ मिले । लाभ से कोई वंचित नहीं रहे यह मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इसमें आप कब तक इस काम को पूरा करवा देंगे ।

अध्यक्ष : यह ट्रांसफर हुआ है, जब आएगा तो बतायेंगे । श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह ।

<u>अल्पसूचित प्रश्न सं0–8 (श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, आरा)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री सुनील कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अकादमियों को सहायक अनुदान गैर वेतन मद में प्रकाशन हेतु आवश्यक राशि स्वीकृत की जाती रही है।

अकादमियों में स्वीकृत एवं कार्यरत कर्मियों की स्थिति निम्नवत् है :–

क्र0	अकादमी / संस्थान का नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत की संख्या
01	मैथिली अकादमी, पटना	21	03
02	भोजपुरी अकादमी, पटना	24	02
03	मगही अकादमी, पटना	15	02
04	बंगला अकादमी, पटना	16	01
05	बिहार संस्कृत अकादमी, पटना	14	04
06	अंगिका अकादमी, पटना	10	01

सरकार अकादमियों के बेहतर संचालन हेतु सभी अकादमियों के एकीकरण की प्रक्रिया कर रही है । इसी क्रम में सेवा शर्त एवं वेतनमान पर निर्णय लिया जा रहा है । तत्पश्चात् कर्मचारी चयन आयोग या अन्य संस्थान के माध्यम से नियमानुसार नियुक्ति की जाएगी तथा मानदेय / वेतनमान दिया जाएगा ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिए महोदय ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह : महोदय, पूरक तो पूछेंगे लेकिन जो उत्तर आ गया है जरा आपके ध्यान में ला देते हैं, आपके सामने भी है और सदन...

अध्यक्ष : मेरे पास है, आप पूरक पूछिए न, हम पढ़ रहे हैं आपका उत्तर ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह : उत्तर है देखिए कि साहित्य अकादमियों की क्या दशा है बिहार की इस ज्ञान भूमि में महोदय, मेरे प्रश्न पूछने का यही उद्देश्य है कि इन साहित्य

अकादमियों की क्या दुर्दशा है । हम यह जानना चाहते हैं कि, आप देखिए कि मैथिली अकादमी में 21 पद स्वीकृत है, कार्यरत कर्मचारी की संख्या सिर्फ 3 है, ...

अध्यक्ष : वह तो लिखा हुआ है ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह : हां, वह लिखा हुआ तो है वही हम सरकार के ध्यान में ला रहे हैं । भोजपुरी अकादमी में स्वीकृत पद 24, कार्यरत कर्मचारी 02, मगही अकादमी में स्वीकृत पद 15, कार्यरत कर्मचारी 02, बंगला अकादमी में स्वीकृत पद 16, कार्यरत कर्मचारी 01, खैर, तो यह स्थिति है साहित्य की । महोदय, राजनीतिज्ञ साहित्य की चिन्ता नहीं करेंगे तो राजनीति कहां जायेगी, राष्ट्रकवि दिनकर की यह भूमि है । उन्होंने कहा था कि राजनीति लड़खड़ाती है तो साहित्य ही सहारा देती है...

अध्यक्ष : हां तो क्या पूछना चाहते हैं आप ?

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह : महोदय, हम यही तो जानना चाहते हैं कि इस ज्ञान भूमि में जहां नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशीला विश्वविद्यालय, यहां बुद्ध, महावीर हम सब पर गर्व करते हैं और वहां यह हालत है इन अकादमियों की महोदय, कि हिन्दी ग्रंथ अकादमी और मैथिली ग्रंथ अकादमी के 100 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं जो विभिन्न विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में शामिल हैं, राष्ट्रीय स्तर पर श्रेष्ठ प्रकाशन के लिए 2 बार पुरस्कार भी जीत चुकी हैं महोदय...

अध्यक्ष : क्या जानना चाहते हैं, क्या पूछना चाहते हैं आप ?

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह : अब पूछना बाकी है महोदय...

अध्यक्ष : पूछिए न ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह : महोदय, पूछना कुछ बाकी है क्या, यही तो मैं कह रहा हूं, दिखा रहा हूं यह हालत है । 2021–22 में केंद्र से क्या 60 लाख रुपया अनुदान मिला था, यह पूछ रहे हैं ।

अध्यक्ष : आप पूरक पूछिए महोदय । आप तो यहां बैठे हैं, आप माननीय उपाध्यक्ष रहे हैं, इस आसन पर भी बैठे हैं ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह : और 60 लाख अनुदान में से...

अध्यक्ष : खाली विचार करिए कि आप यहां पर होते तो क्या–क्या होता ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह : 40 लाख आपने छपाई पर खर्च कर दिया और 20 लाख खर्च नहीं कर पाए उसको भी आपने लौटा दिया और वर्षों से इन अकादमियों को, हिन्दी अकादमी, मैथिली अकादमी वर्षों से अनुदान बंद है...

अध्यक्ष : महोदय, पूरक पूछिए, यह तो नहीं हुआ, औचित्य नहीं है । पूरक पूछिए न ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह : पूरक तो यही है, पूरक यही है महोदय कि क्या इन अकादमियों को पुनजीर्वित करने के लिए सरकार विचार रखती है । पुनर्जीवन चाहते हैं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की जो चिन्ता है, सही है और सरकार के संज्ञान में है । फिलहाल उन्हें बताना चाहेंगे कि 2024–25 में हमलोगों ने बिहार ग्रंथ अकादमी को 10 लाख, बिहार संस्कृत अकादमी को 15 लाख, मैथिली ग्रंथ अकादमी को 05 लाख रुपये दिए थे और जहां तक वहां पर जो वैकेंसिज हैं, जो रिक्तियां हैं, उससे अलग–अलग मानक है जिसके कारण

दिक्कतें हो रही हैं अकादमी में वहां पर नियुक्तियों की तो हमलोगों ने एकीकरण का एक तरह से निर्णय लिया और इस वित्तीय वर्ष में निश्चित रूप से हमलोग उसका एकीकरण करके सुनिश्चित करेंगे कि जो भी पद है उसको रेशनलाइज करके और इसको हमलोग कर्मचारी चयन आयोग से कर देंगे ताकि एकरूपता सभी जगह बनी रहे वेतनमान में और जहां हमलोगों ने संज्ञान लिया कि कहां कितने की आवश्यकता है और राशि की कमी हम नहीं होने देंगे । हम अपने स्तर पर माननीय सदस्य को सूचित करना चाहेंगे, मीटिंग भी की है और यहां जो समस्याएं हैं उससे हम अवगत हैं लेकिन आपको हम आश्वासन देना चाहते हैं कि इस वित्तीय वर्ष में हम इसमें सुधार निश्चित रूप से करेंगे ।

अध्यक्ष : इस वित्तीय वर्ष में या अगले वित्तीय वर्ष में ?

श्री सुनील कुमार, मंत्री : महोदय, अगले वित्तीय वर्ष में । इस वित्तीय वर्ष में हमने मीटिंग की थी ।

श्री विनोद नारायण झा : महोदय, मैं एक बात जानना चाहता हूं कि ...

अध्यक्ष : बैठिए, आप अभी बैठिए विनोद जी ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह : महोदय, इस वर्ष भी 15 लाख रुपया का अनुदान आया है हिन्दी ग्रंथ अकादमी के लिए लेकिन एक पैसा खर्च नहीं हुआ है अभी तक, यह मार्च महीना चल रहा है महोदय, यह समाप्त हो जाएगा...

अध्यक्ष : इसीलिए तो उन्होंने कहा है कि कब बहाली करेंगे, पूरी प्रक्रिया पूरी करेंगे ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह : हां, ये जो प्रशासनिक उदासीनता है महोदय, यह दर्शाता है और सरकार क्या ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का विचार रखती है, जिन्होंने उदासीनता ऐसी बरती है और साहित्य अकादमियों की यह दशा है महोदय ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसीलिए हमने समीक्षा अपने स्तर पर की थी कि जो भी खामियां हैं और जो भी वहां पर प्रशासनिक कमियां हैं या वित्तीय जो कमियां है उसको हम दूर करेंगे । अभी जिस तरीके से अकादमियां चल रही थीं उसमें काफी सुधार लाने की आवश्यकता है इसलिए हमलोग नए सिरे से एकीकरण करके और वहां पर जैसा हमने कहा पदों का भी रेशनलाइजेशन करके और नियुक्ति प्रक्रिया भी हमलोग पारदर्शी करेंगे और निश्चित रूप से माननीय सदस्य अगले वित्तीय वर्ष में इसमें सुधार कर देंगे और उनसे जो भी सुझाव होगा, मैं उनसे भी कहूंगा कि इसको बेहतर बनाने के लिए उनके जो भी सुझाव होंगे उसको हमलोग सहर्ष स्वीकार करेंगे ।

श्री विनोद नारायण झा : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं माननीय सरकार से कि जितनी अकादमियां हैं वह एक बायलॉज के आधार पर सरकार के नियम के आधार पर सब गठित की गई हैं । सरकार ने ही वह बायलॉज बनाया है तो बायलॉज में वह स्वतंत्र अस्तित्व है उनका । अलग से अध्यक्ष से लेकर बाकी चीजें हैं तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या आपने जो एक जगह एकत्रित करके एक छत के नीचे लाने का प्रयास किया है और जिस तरह आप उस बायलॉज का

वायलेशन कर रहे हैं इससे क्या उसका बायलॉज का वायलेशन नहीं हो रहा है जो सरकार ने ही निर्धारित करके गठित किया था ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जो भी बायलॉज बनते हैं या लॉज बनते हैं समय के अनुसार जब जरूरत पड़ती है उसमें बदलाव भी किए जाते हैं, संशोधन किए जाते हैं । दूसरी बात है, जो खासकर के जो कर्मचारियों की और वहां जो पदों की स्वीकृति है उसको रेशनलाइजेशन करने की बहुत आवश्यकता है जिसके कारण बहुत सारी कमियां वहां नजर आ रही हैं और हम यह स्वीकार करते हैं कि उसमें सुधार की आवश्यकता है और हमलोग बायलॉज का उसमें तभी संशोधन करेंगे जब आवश्यकता होगी । उस पर हमलोग रिविजिट कर रहे हैं । धन्यवाद महोदय ।

अध्यक्ष : श्री मुकेश कुमार यादव ।

<u>अल्पसूचित प्रश्न सं0–9 (श्री मुकेश कुमार यादव, बाजपट्टी)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री सुनील कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आंशिक रूप से स्वीकरात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि दिनांक–29.06.2024 प्रकाशित NAAC Reforms 2024 Important Announcement के द्वारा सूचित किया गया है कि NAAC का पोर्टल दिनांक–30.06.2024 से संशोधन के लिए बंद कर दिए जायेंगे ।

पुनः पोर्टल खुलने के पश्चात संबंधित सभी संस्थान उस नैक के पोर्टल पर आवेदन करने हेतु सक्षम हो जायेंगे ।

विभागीय सूचना संख्या– SPMU/04/2023 दिनांक–19.08.2023 के द्वारा बिहार राज्य अवस्थित सभी निजी संस्थानों के लिए NIRF अथवा NBA अथवा NAAC का न्यूनतम ग्रेड C की अहर्ता सत्र 2024–25 से अनिवार्य किया गया था। किन्तु नैक के पोर्टल बंद रहने की स्थिति पर सम्यक विचारोपरांत सरकार के स्तर से निर्णय लेते हुए नैक के लिए पूर्व से सत्र 2024–25 तक के लिए निर्धारित बाध्यता को शिथिल करते हुए अगले एक साल अर्थात 2025–26 के लिए अवधि विस्तार दिए गए है । और समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित कर सर्वसाधारण को इसकी सूचना दी गयी है ।

अध्यक्ष : मुकेश जी, पूरक पूछिए ।

श्री मुकेश कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी का जवाब आया है...

अध्यक्ष : हां, इसीलिए तो पूरक पूछने के लिए कह रहे हैं ।

श्री मुकेश कुमार यादव : महोदय, जवाब में है कि पुनः पोर्टल खोलने के पश्चात संबंधित सभी संस्थान उस नैक के पोर्टल पर आवेदन करने हेतु सक्षम हो जायेंगे । इसमें NBA अथवा NAAC का न्यूनतम ग्रेड C की अहर्ता सत्र 2024–25 से अनिवार्य किया गया था । किन्तु नैक के पोर्टल बंद रहने की स्थिति पर सम्यक विचारोपरांत सरकार के स्तर से निर्णय लेते हुए नैक के लिए पूर्व से सत्र 2024–25 तक के लिए समय निर्धारित करने की बाध्यता थी लेकिन इसको सरकार ने 2025–26 के लिए अवधि विस्तार के लिए कहा गया है । हम माननीय मंत्री जी से पूछना चाहते

हैं कि NAAC का पोर्टल खोलवाने के लिए सरकार से कितना बार पत्राचार किया गया था ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : महोदय, ये NAAC जो है, हम बताना चाहेंगे सदन को कि नेशनल एसेसमेंट एक्रेडीटेशन काउंसिल भारत में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यू0जी0सी0के तहत काम करने वाली एक स्वायत्त निकाय है जो उच्च शिक्षा संस्थानों की गुणवत्ता को मूल्यांकन और एक्रेडीटेशन करता है इसका उद्देश्य शैक्षिक संस्थानों के शैक्षणिक उत्कृष्टता को बनाए रखना और सुधारना है । ये भारत सरकार के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं ये मापदंड और उसमें भारत सरकार चाहती थी कि उसमें कुछ सुधार हो...

(क्रमशः)

टर्न–2 / सुरज / 11.03.2025

श्री सुनील कुमार, मंत्री : (क्रमशः) और उसके प्रक्रियाओं में बदलाव लाये । इस वजह से वह पोर्टल बंद है और भी जगह बंद है । लेकिन फिर भी हमलोगों ने, ये अवधि विस्तार का कारण यह है कि जो स्टूडेंट क्रेडिट, जो छात्र–छात्राएं वहां शोध कर रहे हैं उनको दिक्कत नहीं हो, इस वजह से हमलोगों ने उसको शिथिल किया है और भारत सरकार का यह दायित्व है कि अब जो वह ला रहे हैं उनके अनुसार अप्रील–मई, 2025 में बेसिक बाइनरी एक्रेडिएशन शुरू होगा, जिसमें संस्थानों को केवल एक्रेडिऐटेड या नॉन एक्रेडिऐटेड का दर्जा मिलेगा । उसके बाद और भी उसमें प्रक्रियाएं हैं । भारत सरकार इन प्रक्रियाओं को और जो लेवल्स को बदलना चाहती है लेकिन हमलोगों ने सुनिश्चित किया है, जैसा कि हमने सदन को बताया कि क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जो वहां शोध कर रहे हैं उनको दिक्कत नहीं आयेगी इसलिये हमलोगों को इंतजार करना पड़ेगा । हमारे पदाधिकारी मीटिंग में दिल्ली गये थे और वहां उन्हें आवश्वासन मिला है कि शीघ्र ही इसको पुनः चालू किया जायेगा लेकिन एक नये सिरे और एक नयी प्रक्रिया से ।

श्री मुकेश कुमार रौशन : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी से हम सवाल पूछे थे कि नैक का पोर्टल खुलवाने के लिये सरकार के द्वारा, ऊपर भी सरकार है नीचे भी सरकार है । जब मंत्री जी भारत सरकार का हवाला दे रहे थे...

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्री मुकेश कुमार रौशन : हम मंत्री जी से इतना पूछे हैं कि नैक का पोर्टल खुलवाने के लिये सरकार से कितना बार पत्राचार किये हैं ?

अध्यक्ष : बताया न उन्होंने कि दिल्ली मीटिंग में भी गये थे ।

श्री मुकेश कुमार रौशन : महोदय, हम पत्राचार का पूछे थे कि कितना बार पत्राचार किये हैं ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप कहां बैठे–बैठे बोल रहे हैं । आप इतने अच्छे आदमी हैं, पुराने आदमी हैं और बैठे–बैठे बोल रहे हैं । उनका प्रश्न खत्म कर दें ?

श्री ललित कुमार यादव : माननीय सदस्य ने जो पूछा उसका जवाब मंत्री जी नहीं दे रहे हैं...

अध्यक्ष : ललित बाबू, आपको पूछने का अधिकार है । उनका तो तीन पूरक प्रश्न होने दीजिये न, ललित बाबू बैठिये ।

श्री ललित कुमार यादव : जवाब नहीं आ रहा है...

अध्यक्ष : पहले उनको बोलने दीजिये, आप ही के पार्टी के मेंबर हैं । क्यों उनका हक छीनना चाहते हैं आप ?

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, हम मदद कर रहे हैं ।

अध्यक्ष : मदद नहीं करिये, वह सक्षम हैं । मुकेश जी कमजोर नहीं है आपसे । बोलिये मंत्री जी ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : महोदय, हमने कहा कि जब मीटिंग में हिस्सा लिया तो इसका अर्थ था ही कि ये सारी बातें हुई और उसी में पी0एम0 उषा के तहत भी यहां पर 368 करोड़ रुपये मिले । मीटिंग भारत सरकार के स्तर पर की गयी थी, जिसमें हमारे उच्च स्तर के पदाधिकारी, सेक्रेटरी लेवल के उसमें गये थे, उसमें ये सारी बातें हुई और बताया गया कि यह जो नैक वाली समस्या है उसको शीघ्र हल कर लिया जायेगा ।

अध्यक्ष : अब तीसरा पूरक प्रश्न पूछिये, दो पूरक हो गया आपका ।

श्री मुकेश कुमार रौशन : महोदय, वही बात पूछते हैं तो मंत्री जी कहते हैं कि मीटिंग में गये, उसके बाद आपके द्वारा पत्राचार कितना बार किया गया ? उसका तिथि बतला देते कि कितना बार भारत सरकार से...

अध्यक्ष : आप समाधान के लिये न चिंतित हैं ? आपने प्रश्न इसलिये किया है...

श्री मुकेश कुमार रौशन : हम समाधान के लिये ही कह रहे हैं । मंत्री जी के द्वारा कहा गया कि अधिकारी मीटिंग में गये थे । अगर अधिकारी मीटिंग में गये थे तो मीटिंग से आने के बाद भी सरकार के द्वारा कोई पत्राचार वहां से हुआ कि नहीं हुआ ? अगर हुआ तो पत्राचार की तिथि बतानी चाहिये, मंत्री जी से मैं यह पूछना चाहता हूं ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : वी0सी0 के माध्यम से भी मीटिंग हुई थी और जब–जब मीटिंग हुई है उसका सारा डेट हम बता देंगे, जिसमें ये बात रखी गयी है । हम अलग से आपको बता देंगे । धन्यवाद ।

अध्यक्ष : अब तारांकित प्रश्न लिये जायेंगे ।

श्री अजीत कुमार सिंह : महोदय, मेरा एक पूरक है ।

अध्यक्ष : बोलिये ।

श्री अजीत कुमार सिंह : महोदय, मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि आपने पत्राचार किया, आपके लोग मीटिंग करने गये भारत सरकार के साथ । डबल इंजन की सरकार है आखिर नैक की मान्यता नहीं मिलने का कारण सरकार क्या मानती है? इसको सदन को बताये कि नैक की मान्यता क्यों नहीं मिल रहा है, पोर्टल क्यों नहीं खुल रहा है, आखिर वास्तविक कारण क्या है ? हम यह कारण जानना चाहते हैं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : हमने जैसा कि अपने प्रश्न में बताया था पूरक पर । इसमें जो बदलाव चाहती है वह हम बता देते हैं फरवरी, 2025 के नैक के पत्र के अनुसार

अप्रील–मई, 2025 में बेसिक बाइनरी एक्रेडिएशन शुरू होगा, जिसमें संस्थानों को केवल एक्रेडिऐटेड या नॉन एक्रेडिऐटेड का दर्जा दिया जायेगा । इसके बाद मैच्यूरिटी बेस्ड ग्रेडेड लेवल एम0वी0जी0एल0 लागू होगा, जिसमें संस्थान लेवल–1 से लेवल–5 तक ग्रेड करेगी, जिसमें लेवल–1 से 4 प्राप्त करने वाली संस्थानों को इंस्टीच्यूशन ऑफ नेशनल एक्सलेंस की श्रेणी में रखा जायेगा और लेवल–5 प्राप्त करने वाले संस्थानों को इंस्टीच्यूशन ऑफ ग्लोबल एक्सलेंस की श्रेणी में रखा जायेगा । नैक की कमेटी नई प्रणाली के फ्रेमबर्क और मेथोडोलॉजी पर कार्य कर रही है और अप्रील–मई में उन्होंने कहा है कि इसकी संभावना है ।

अध्यक्ष : अब तारांकित प्रश्न लिये जायेंगे ।

श्री अजीत कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय....

अध्यक्ष : अब हो गया ।

श्री अजीत कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय सिर्फ एक सवाल ।

अध्यक्ष : श्री अवध विहारी चौधरी ।

श्री अजीत कुमार सिंह : महोदय, पूरे राज्य के विश्वविद्यालयों का सवाल है...

अध्यक्ष : हो गया, बैठ जाइये । आपका प्रश्न पूछा हुआ है । माननीय मंत्री जी ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0–'क'–73 (श्री अवध विहारी चौधरी, सिवान)</u>

श्री हरी सहनी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, उत्तर हम दे चुके हैं ।

1. आंशिक रूप से स्वीकारात्मक ।

सिवान जिला में जसौली, पंचरूखी प्रखंड में जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास का निर्माण किया गया है । उक्त नवनिर्मित छात्रावास संचालन की प्रक्रिया में है । एक महीने के अंदर में कमेटी गठित होकर उसमें नामांकन प्रारंभ हो जायेंगे ।

सिवान जिला में कंदवारा, सदर प्रखंड में अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास निर्मित है, जिसमें वर्तमान में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति के लिये के लिये छात्रावास, विद्यालय का संचालन किया जा रहा है । जैसे ही अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का, उसका भी बिल्डिंग तैयार हो रहा है जैसे ही वह बनेगा यह उसमें शिफ्ट हो जायेगा और क्लास प्रारंभ हो जायेगा ।

अध्यक्ष : यही जवाब तो अवध जी खोज रहे थे । एक महीने में हो जायेगा चालू ।

श्री अवध विहारी चौधरी : महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के नाम से जो पंचरूखी प्रखंड के जसौली में जो अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिये छात्रावास का निर्माण हो रहा है, वह कब स्वीकृत हुआ और आज क्या स्थिति है ? यह मैं जानना चाहता हूं ।

अध्यक्ष : यह तो अलग से प्रश्न करना पड़ेगा अवध विहारी बाबू, आप भी समझते हैं। प्रश्न में आपका जो दो विषय था दोनों का मंत्री जी ने बड़ा स्पष्ट जवाब दे दिया, जिसके लिये मैंने स्थगित किया था । मंत्री जी स्पष्ट जवाब दिये हैं इसलिये अब छोड़ दीजिये। श्री श्यामबाबू प्रसाद यादव ।

श्री अवध विहारी चौधरी : महोदय, इसी से संबंधित है मैं जानना चाहता हूं आपके माध्यम से कि कंदवारा में जो छात्रावास पूर्व से निर्मित है अन्य वर्ग के लिये तो वह किस वर्ग के लिये छात्रावास बना हुआ है ? यह मंत्री जी जरा स्पष्ट कर दें ।

अध्यक्ष : यह विषय आपके प्रश्न में नहीं है, इसको अलग से करना पड़ेगा ।

श्री अवध विहारी चौधरी : महोदय, उसमें कल्याण विभाग द्वारा विद्यालय संचालित हो रहा है...

अध्यक्ष : इसका जवाब मंत्री जी ने दिया है कि उसका भी भवन बन रहा है जैसे ही भवन बन जायेगा तो उसमें शिफ्ट कर देंगे और चालू करेंगे ।

श्री अवध विहारी चौधरी : महोदय, आसन के आदेश का मैं पालन करता हूं परंतु प्रश्न में जो बातें उठायी जाती है, उससे रिलेटेड जो मामले होते हैं वह पूरक के रूप में पूछा जाता है...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप भी मंत्री रहे हैं, हम भी मंत्री रहे हैं । आप भी यहां रहे हैं, मैं भी यहां रहा हूं आप भी पूरी बात समझते हैं ।

श्री अवध विहारी चौधरी : महोदय, मैंने यह कहा कि आसन सर्वोपरी है और क्या आप 15 दिनों के अंदर में जसौली में जो नवनिर्मित जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पर जो छात्रावास तैयार हो गया है तो 15 दिनों में अतिपिछड़ा/पिछड़ा छात्रों को उसमें नामांकित कर देंगे । आपके माध्यम से बस यही जानना चाहता हूं ।

श्री हरी सहनी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि बनने की प्रक्रिया में नहीं है, वह बना हुआ है लेकिन उस समय जनप्रतिनिधि लोग या किसी तरह की व्यवस्था बनी होगी तो एस0सी0/एस0टी0 का इसमें चलने लगा । अब उसका तैयार हो रहा है जैसे ही तैयार हो जायेगा...

श्री अवध विहारी चौधरी : कब तक हो जायेगा ?

श्री हरी सहनी, मंत्री : महोदय, 3 से 4 महीने में हो जायेगा ।

अध्यक्ष : 3–4 महीना लगेगा ।

श्री अवध विहारी चौधरी : कितने दिनों में नामांकन हो जायेगा ? माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से मैं सरकार से जानना चाहता हूं ।

श्री हरी सहनी, मंत्री : महोदय, जितनी शीघ्रता से, 5 से 6 महीने लगेंगे और फिर तैयार हो जायेगा तो उसमें शिफ्ट हो जायेगा ।

तारांकित प्रश्न सं0–663 (श्री श्यामबाबू प्रसाद यादव, पिपरा, पूर्वी चम्पारण)

श्री सुनील कुमार, मंत्री : (लिखित उत्तर) महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि पूर्वी चम्पारण जिला के तेतरिया प्रखंड अंतर्गत पुनास लहलादपुर पंचायत के वार्ड 2 से 1 किलोमीटर की दूरी पर उत्क्रमित मध्य विद्यालय खैरवा उर्दू संचालित है । वार्ड नंबर 5 से 750 मीटर की दूरी पर उत्क्रमित मध्य विद्यालय लहलादपुर संचालित है एवं वार्ड नंबर 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर उत्क्रमित किलोमीटर की दूरी पर उत्क्रमित मध्य विद्यालय लहलादपुर संचालित है ।

शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 एवं तदालोक में निर्गत नियमावली 2011 में प्रत्येक बसाव क्षेत्र/ग्राम के 01 किलोमीटर के परिधि में एक प्राथमिक

विद्यालय का प्रावधान है । उक्त के आलोक में वार्ड नं0–02 एवं 05 के पोषक क्षेत्र में पूर्व से प्राथमिक विद्यालय स्थित है ।

प्रखंड विकास पदाधिकारी, तेतरिया के पत्रांक–100, दिनांक–27.01.2023 के माध्यम से प्राथमिक विद्यालय की स्थापना हेतु जिला को प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जो बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् बिहार, पटना के ज्ञापांक–2090, दिनांक–12.07. 2006 एवं पत्रांक–5677, दिनांक–22.08.2014 से प्राप्त निदेश के अनुरूप नहीं है । उक्त के आलोक में जिला कार्यालय पूर्वी चम्पारण के पत्रांक–1022, दिनांक–07. 03.2025 द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी, तेतरिया से पुनः प्रस्ताव की मांग की गयी है ।

इसके साथ ही पुनाव लहलादपुर पंचायत के वार्ड नं0 10 में नवसृजित प्राथमिक विद्यालय स्थापित करने हेतु अंचलाधिकारी, तेतरिया से 10 से 20 डिसमील भूमि उपलब्ध कराने हेतु जिला कार्यालय, पूर्वी चम्पारण के पत्रांक–1023, दिनांक–07.03.2025 द्वारा अनुरोध किया गया है । भूमि उपलब्ध होते ही प्राथमिकता के आधार पर पुनास लहलादपुर पंचायत के वार्ड नं0 10 में नवसृजित प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की जायेगी ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

टर्न–3 / राहुल / 11.03.2025

श्री श्यामबाबू प्रसाद यादव : महोदय, जवाब आया है जवाब में कहा गया है कि एक किलोमीटर की परिधी में एक ही विद्यालय खोलने का प्रावधान है । आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि जहां जनसंख्या अधिक है वहां एक से अधिक विद्यालय खोलने के लिए शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 में संशोधन करने का सरकार विचार रखती है ?

श्री सुनील कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने इसकी समीक्षा की और पाया कि वहां आवश्यकता है तो इसलिए हम लोगों ने वहां पर इसके साथ ही पुनास लहलादपुर पंचायत के वार्ड नं0–10 में नवसृजित प्राथमिक विद्यालय स्थापित करने हेतु अंचलाधिकारी तेतरिया से 10–20 डिसमिल भूमि उपलब्ध कराने हेतु जिला कार्यालय, पूर्वी चंपारण के पत्रांक–10–223, दिनांक–07.03.2025 द्वारा अनुरोध किया गया है और उसको हम लोग जैसे ही भूमि उपलब्ध हो जायेगी तो वहां वार्ड नं0–10 में नवसृजित प्राथमिक विद्यालय की प्राथमिकता के तौर पर हम लोग स्थापना करेंगे तो जो आपका सुझाव था वह मान्य है, उसमें थोड़ा वक्त लगेगा । आने वाले वित्तीय वर्ष में उसको हम पूरा करवा देंगे ।

श्री श्यामबाबू प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय,...

अध्यक्ष : हो गया आपका ।

श्री श्यामबाबू प्रसाद यादव : महोदय, मंत्री जी से हम कहना चाहेंगे कि जो 10 नंबर वार्ड की बात हुई है वहां पर भूमि उपलब्ध है, वहां आंगनबाड़ी सेंटर के बगल में भूमि उपलब्ध है इसको जल्द ही करवा दिया जाय । इसके लिए आपको बहुत–बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष : ठीक है । बैठिये ।

तारांकित प्रश्न सं0–664 (श्री रणविजय साहू, मोरवा)

अध्यक्ष : आपका प्रश्न आपदा प्रबंधन विभाग में ट्रांसफर हुआ है । अगली बार जवाब आयेगा।

तारांकित प्रश्न सं0–665 (श्री सैयद रूकनुद्दीन अहमद, बैसी)

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : (लिखित उत्तर) समाहर्त्ता पूर्णियां के पत्रांक–126, दिनांक–03.03.2025 द्वारा प्रतिवेदित है कि बायसी विधान सभा के बायसी प्रखंड अंतर्गत बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में बाढ़ आने से फसल क्षति की स्थिति में सर्वेक्षण के आधार पर नियमानुसार मुआवजे का भुगतान कृषि विभाग द्वारा किये जाने का प्रावधान है ।

2. पूर्णियां जिला के बायसी विधान सभा के बायसी प्रखंड अंतर्गत नदी कटाव/बाढ़ से गृह क्षति की स्थिति में नियमानुसार आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा मुआवजा का भुगतान किये जाने का प्रावधान है ।

3. उत्तर अस्वीकारात्मक है । बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 (यथा संशोधित) के नियम–33(1) के परन्तुक में निम्न प्रावधान है :–

''साधारण मिट्टी के गैर वाणिज्यिक उपयोग के लिये कोई रॉयल्टी की वसूली नहीं की जाएगी ।''

नियमावली की अनुसूची–III(क)(iii) में भी निम्न प्रावधान है :–

''साधारण मिट्टी के गैर वाणिज्यिक उपयोग के लिये कोई रॉयल्टी की वसूली नहीं की जायेगी''

उपरोक्त प्रावधानों के आलोक में निजी/गैर वाणिज्यिक उपयोग हेतु मिट्टी लदे वाहन पर प्रशासन द्वारा फाईन नहीं किया जाता है ।

4. उपरोक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

अध्यक्ष : नईमी साहब,आप प्राधिकृत हैं, पूरक पूछिये ।

श्री मोहम्मद अनजार नईमी : महोदय, जवाब तो आया है लेकिन यहां बताया गया है कि गैर वाणिज्यिक उपयोग के लिए रॉयल्टी की वसूली नहीं की जायेगी लेकिन महोदय धड़ल्ले से ऐसे ही लोगों को प्रताड़ित किया जाता है और ऐसे ही लोगों से उगाही होती है तो क्या सरकार ऐसा निर्देश जारी करना चाहेगी कि ऐसे लोग प्रताड़ित नहीं हों और दूसरा यह है कि सबका निजी ट्रेक्टर नहीं होता है, लोग किराये पर लेते हैं तो उसको यह माना जाता है कि वह कॉमर्शियल में आ जाता है । अगर अपने घर की जमीन को वह भरवाना चाहता है तो ऐसी स्थिति में वह दूसरे से ट्रेक्टर लेकर अपनी काटकर भरवाना चाहता है तो ऐसे लोगों को ही प्रताड़ित किया जाता है...

अध्यक्ष : आपका पूरक क्या है ?

श्री मोहम्मद अनजार नईमी : यही पूरक है कि क्या सरकार निर्देश देना चाहेगी कि ऐसे लोगों को प्रताड़ित नहीं किया जाय ।

अध्यक्ष : बैठ जाइये । माननीय मंत्री जी ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : महोदय, रैयती कृषि योग्य भूमि से अपने निजी कार्य हेतु मिट्टी काटकर गैर वाणिज्यिक उपयोग के लिए कोई रॉयल्टी उगाही नहीं की जायेगी और यह माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हम लोगों ने पूरे बिहार में पत्र भी भेजे हैं और निर्देश भी दिये हैं कि कहीं इस तरह की शिकायत आप स्पेशिफिक कहीं पर इस तरह का मामला है तो आप उपलब्ध कराइये सख्त कार्रवाई होगी, कई लोगों पर कार्रवाई भी हुई है और खनन विभाग के पदाधिकारी के साथ–साथ पुलिस पदाधिकारी को भी निर्देशित किया गया है और यह पत्रांक–622, दिनांक–31.01.2025 द्वारा सभी जिलाधिकारी को भेजा गया है । इसकी कॉपी हम सभी माननीय विधायक को भी भेज देते हैं ताकि इस तरह की कोई, कहीं भी गड़बड़ी करता है त्वरित गति से उस पर कार्रवाई होगी ।

श्री सतीश कुमार : महोदय, इस पर एक पूरक है...

अध्यक्ष : हो गया । आगे बढ़ गये अब ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0–666 (श्री दिलीप राय, सुरसंड)</u>

अध्यक्ष : आपका प्रश्न श्रम संसाधन विभाग में ट्रांसफर हो गया है अगले दिन उत्तर आयेगा । बैठिये ।

(व्यवधान)

सतीश जी बैठ जाइये । बिना अनुमति नहीं बोलिये । बैठिये ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0–667 (श्री अशोक कुमार सिंह, रामगढ़, कैमूर)</u>

श्री सुनील कुमार, मंत्री : (लिखित उत्तर) उत्तर स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम के अनुसार किसी भी महाविद्यालय में पाठ्यक्रम संचालित करने हेतु विश्वविद्यालय सक्षम प्राधिकार है ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्री अशोक कुमार सिंह : महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने स्वीकारात्मक उत्तर दिया है लेकिन माननीय मंत्री महोदय ने यह कहकर हमारे प्रश्न को टाल दिया है कि विश्वविद्यालय एक सक्षम प्राधिकार है । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय जी से आग्रह करना चाहूंगा कि उच्च शिक्षा को बिहार सरकार संचालित करती है, समय–समय पर एड देती है । मेरा प्रश्न छात्रों से संबंधित है । हजारों की संख्या में छात्र उत्तर प्रदेश स्नातकोत्तर की पढ़ाई करने जाते हैं तो मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री महोदय शिक्षा विभाग की तरफ से महामहिम राज्यपाल जी को और विश्वविद्यालय प्राधिकार को निर्देशित करने का काम करेंगे कि ग्राम भारती महाविद्यालय में स्नातकोत्तर की पढ़ाई प्रारम्भ की जाय।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी आपने स्वीकार कर लिया कि उत्तर स्वीकारात्मक है । थोड़ी पहल कर दीजिये तो हो जायेगा ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : महोदय, हम माननीय सदस्य को बताना चाहेंगे कि इस संदर्भ में सरकार बिल्कुल संवेदनशील है और वहां के वाइस चांसलर से भी हमने बात की है, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर से और उस कॉलेज की

स्थिति के बारे में जानकारी ली कि क्यों वहां पर पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई नहीं हो रही है तो उन्होंने जो असमर्थता बताई चूंकि उसमें जो प्रक्रिया है कि उनको सीनेट सिंडिकेट से होते हुए फिर सरकार के पास आना पड़ेगा तो खासकर के जो शिक्षकों की कमी है उसके लिए या इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कमी है पहले उसको पूरा करना पड़ेगा तो चूंकि यह छात्र–छात्राओं से संबंधित मामला है तो इसीलिए हमने इसकी अलग से पहल की थी तो हमें उम्मीद है कि और उसमें गहराई से जांच करके हम लोग जहां तक बन पड़ेगा वहां की पुनः समीक्षा करके हम लोग इसमें प्रावधान करेंगे ।

अध्यक्ष : दिखवा लीजिये ।

श्री अशोक कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष : हो तो गया ।

श्री अशोक कुमार सिंह : कब तक माननीय मंत्री महोदय करेंगे...

अध्यक्ष : कब तक क्या, कर रहे हैं तो अब उसके बाद कब तक होता है ?

श्री अशोक कुमार सिंह : धन्यवाद महोदय ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : इसमें आप कहां घुस रहे हैं ।

तारांकित प्रश्न सं0–668 (श्री राज कुमार सिंह, मटिहानी)

श्री सुनील कुमार, मंत्री : (लिखित उत्तर) वस्तुस्थिति यह है कि अभ्यर्थी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के प्रमण्डलीय क्षेत्रीय कार्यालय पर मैट्रिक एवं इन्टर का अंक पत्र/प्रमाण पत्र की द्वितीयक एवं तृतीयक प्रति प्राप्त करने के लिये आवेदन करते हैं । तत्पश्चात् आवेदन का एक आई0डी0 जेनरेट हो जाता है । प्राप्त आवेदन की जांच एवं मिलान समिति अभिलेख से की जाती है । सही एवं समरूप पाये जाने पर आवेदित प्रमाण उपलब्ध कराये गये मोबाईल नं0 पर इस आशय की सूचना स्वतः एस0एम0एस0 के माध्यम से अभ्यर्थी को प्राप्त हो जाती है । मुद्रित प्रमाण पत्र की द्वितीयक/तृतीयक प्रति स्पीड पोस्ट के माध्यम से उनके पत्राचार के पते पर पन्द्रह दिनों के अंदर भेज दी जाती है ।

आवेदन करते समय जेनरेटेड आई0डी0 का उपयोग कर आवेदक आवेदित मामले की अद्यतन स्थिति एवं ट्रैकिंग कर सकते हैं ।

2. वस्तुस्थिति यह है कि दिसम्बर 2024 से लागू व्यवस्था के तहत अभ्यर्थियों से आवेदन (आई0डी0) प्राप्त किये जा रहे हैं । वैसे आवेदन जिसके साथ संलग्न साक्ष्य समिति के अभिलेख से सत्यापित है, का द्वितीयक/तृतीयक प्रमाण पत्र/अंक पत्र अभ्यर्थी द्वारा दिये गये पते पर स्पीड पोस्ट के माध्यम से पन्द्रह दिनों के भीतर भेजा जा चुका है ।

वैसे आवेदन जिसमें अपेक्षित साक्ष्य संलग्न नहीं है, की जांच समिति के अभिलेख से करते हुये आवेदित प्रमाण पत्र मुद्रण के साथ प्रेषित करने की कार्रवाई अनवरत की जा रही है ।

3. उपरोक्त खंडों में उत्तर सन्निहित है ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्री राज कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्राप्त हो गया है । मैं पूरक के स्वरूप में एक सुझाव माननीय मंत्री जी को देना चाहूंगा चूंकि द्वितीयक एवं तृतीयक प्रमाण पत्र अथवा अंक पत्र की स्थिति अक्सर छात्रों को आपातकालीन स्थिति में ही आवश्यकता पड़ती है तो मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि ऐसी स्थिति में, आपातकालीन स्थिति में छात्रों को उनके प्रमंडलीय अथवा क्षेत्रीय कार्यालय में तत्काल हस्तगत करा दिया जाय और एक्नॉलेजमेंट के माध्यम से इस प्राप्ति की पुष्टि डाक के द्वारा की जाय तो व्यापक छात्रहित में यह सही रहेगा ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य का जो सुझाव है उस पर हम अमल करेंगे लेकिन साथ–साथ सदन को यह भी बताना चाहेंगे कि जो हमने कल अपने अभिभाषण में कहा कि यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के साथ जो हमने मीटिंग की तो जब सामर्थ्य पोर्टल, विभिन्न मॉड्यूल्स जब उनके शुरू हो जायेंगे, यूनिवर्सिटीज के द्वारा तो इस तरह की समस्याएं भविष्य में नहीं आयेंगी लेकिन तत्काल माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है उस पर हम कार्य करेंगे ।

श्री राज कुमार सिंह : बहुत–बहुत धन्यवाद ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0–669 (श्रीमती कविता देवी, कोढ़ा)</u>

(माननीय सदस्या अनुपस्थित)

<u>तारांकित प्रश्न सं0–670 (श्री कर्णजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह, दारौंदा)</u>

श्री सुनील कुमार, मंत्री : (लिखित उत्तर) वस्तुस्थिति यह है कि सिवान जिलान्तर्गत दरौंदा विधान सभा के हसनपुरा प्रखंड के नया प्राथमिक विद्यालय तिलौता रसुलपुर में भवन निर्माण हेतु वर्ष 2013 में श्री उदय नारायण सिंह एवं अन्य ग्रामीणों द्वारा 24 डिसमील जमीन विद्यालय के नाम से निबंधित की गयी है, किन्तु भवन निर्माण के समय भूमि के सीमांकन एवं भूदाता के आपसी विवाद के कारण भवन निर्माण कार्य नहीं हो सका तथा दिनांक–28.09.2014 को चेक के माध्यम से प्रथम अग्रिम के रूप में आवंटित कुल राशि 2,59,000/–(दो लाख उनसठ हजार रुपया) विद्यालय शिक्षा समिति द्वारा विभाग को वापस कर दी गयी । जिला कार्यालय, सिवान के पत्रांक–571, दिनांक–19.02.2025 द्वारा भूमि विवाद का निराकरण करने हेतु अंचलाधिकारी से अनुरोध किया गया है । भूमि विवाद के निराकरण के पश्चात् भवन निर्माण कराने की कार्रवाई की जायेगी ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्री कर्णजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह : महोदय, उत्तर मिला है । इसी में पूरक है, उत्तर में स्पष्ट लिखा हुआ है कि हसनपुरा प्रखंड के नया प्राथमिक विद्यालय तिलौता रसुलपुर में भवन निर्माण हेतु वर्ष 2013 में श्री उदय नारायण सिंह एवं अन्य ग्रामीणों द्वारा 24 डिसमील जमीन विद्यालय के नाम से निबंधित की गयी है, किन्तु उसका सीमांकन आज तक नहीं हुआ है, पैसा गया था लौटकर चला आया है । आज हम आसन के माध्यम से सरकार से जानना चाहते हैं कि लगभग 13 साल हो गये सीमांकन नहीं हो पाया है, कितने दिन में सीमांकन हो पायेगा और विद्यालय बन जायेगा ?

श्री सुनील कुमार, मंत्री : महोदय, इस वित्तीय वर्ष में निश्चित रूप से जो माननीय सदस्य ने अपने...

अध्यक्ष : इस वित्तीय वर्ष, यह वित्तीय वर्ष 31 मार्च तक है ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : महोदय, अगले वित्तीय वर्ष में निश्चित हम लोग उसको, निश्चित रूप से इसमें विलंब हुआ है और अगले वित्तीय वर्ष में हमारे पास संसाधन हैं हम लोग इसको पूरा करा देंगे ।

श्री कर्णजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह : महोदय, आसन के माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहते हैं कि 3 किलोमीटर की रेडियस में कहीं कोई प्राथमिक विद्यालय नहीं है । हम आग्रह करेंगे कि इस वित्तीय वर्ष में...

अध्यक्ष : इस वित्तीय वर्ष में कितने दिन हैं, 10 दिन हैं, होली की भी छुट्टी होने वाली है, उन्होंने कहा है, आश्वासन दिया है अगले वित्तीय वर्ष में करा देंगे । बैठिये।

श्री कर्णजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह : बहुत–बहुत धन्यवाद महोदय ।

तारांकित प्रश्न सं0–671 (गुंजेश्वर साह, महिषी)

श्री सुनील कुमार, मंत्री : (लिखित उत्तर) आंशिक स्वीकारात्मक । वस्तुतः वित्तीय वर्ष 2023–24 में प्रियवर्त उच्च विद्यालय, पंचगछिया में शैक्षणिक सत्र 2023–24 में वर्ग नवम, दशम्, ग्यारहवीं एवं बारहवीं कक्षा में नामांकित एवं अध्ययनरत कुल 849 छात्र/छात्राएं हैं जिसमें से 75 प्रतिशत से अधिक उपस्थिति वाले छात्र/छात्राओं का डी0बी0टी0 के माध्यम मेधा सॉफ्ट पोर्टल पर इंट्री किया गया। दसवीं, ग्यारहवीं एवं बारहवीं कक्षा में अध्ययनरत कुल 398 छात्र/छात्राओं का मेधा सॉफ्ट पोर्टल पर इंट्री किया गया तथा छात्र/छात्राओं को राशि भी प्राप्त हो चुकी है परंतु कक्षा नवम में मात्र 3 छात्र/छात्राओं का ही इंट्री पोर्टल पर किया जा सका तथा तकनीकी कारणों से पोर्टल बंद हो जाने के कारण इंट्री नहीं हो सकी और पुनः पोर्टल वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक नहीं खुलने के कारण वर्ग नवम के शेष छात्र/छात्राओं की इंट्री नहीं होने के कारण राशि नहीं प्राप्त हो सकी ।

महिषी विधान सभा अंतर्गत शेष उच्च विद्यालय में मुख्यमंत्री बालक/बालिका साइकिल योजना के तहत 1481 छात्र/छात्राओं को एवं पोशाक योजना अंतर्गत 1949 छात्र/छात्राओं को राशि प्राप्त हो चुकी है ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्री गुंजेश्वर साह : पूछता हूं महोदय ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये गुंजेश्वर जी ।

श्री गुंजेश्वर साह : महोदय, उत्तर प्राप्त है हमारे प्रियवर्त उच्च विद्यालय में मात्र तीन नवम के...

अध्यक्ष : माईक पर बोलिये ।

श्री गुंजेश्वर साह : नवम वर्ग के जितने छात्र/छात्राएं थे उसमें से तीन को ही मुख्यमंत्री साईकिल और पोशाक योजना का लाभ मिला है । सिर्फ तीन विद्यार्थी को । बाकी विद्यार्थियों को आज तक नहीं मिला, इनका कहना है कि पोर्टल नहीं खुला है इसीलिए नहीं दे सके हैं । 2023–24 में नहीं खुला, 2024–25 में तो खुल जाना

चाहिए था । अगर नहीं खुला है तो क्या सरकार जो छात्र–छात्राएं पोशाक और साईकिल योजना से वंचित हैं उनको पुनः लाभ देने के लिए तैयार है ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

टर्न–4 / मुकुल / 11.03.2025

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का कहना ठीक है, वैसे वहां पर जो पोर्टल की गड़बड़ी थी उसके कारण जो छात्र–छात्राएं वंचित रह गये हैं उसकी समीक्षा करके उनको हम पुनः निश्चित रूप से पोषाक योजना दे देंगे, वैसे उनकी सूचना के लिए उनके विधान सभा क्षेत्र में 1,481 छात्र–छात्राओं को पोषाक योजना के तहत राशि दी गयी है, लेकिन माननीय सदस्य पार्टिकुलर जिसका ये जिक्र कर रहे हैं उसमें जरूर है हम इसको स्वीकार करते हैं और उसकी समीक्षा करके हम उनको दे देंगे ।

श्री गुंजेश्वर साह : अध्यक्ष महोदय, इसमें सिर्फ एक विद्यालय की चर्चा है, हमारे तीनों प्रखंड में कई विद्यालयों में ऐसे विद्यार्थी छूटे हुए हैं, उनकी जांच कराकर जो छूटे हुए विद्यार्थी या जो विद्यालय छोड़ेंगे, क्या माननीय मंत्री जी उनको भी दिला देंगे । अन्य व़िद्यालय जैसे महिषी, नौहट्टा और सत्तरकठिया ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वैसे जहां भी इस तरह के मामले हमलोगों के संज्ञान में आयेंगे उनमें निश्चित रूप से हमलोग कार्रवाई करेंगे ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या–672 (श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय, कुचायकोट)</u>
(लिखित उत्तर)

श्रीमती शीला कुमारी, मंत्री : अस्वीकारात्मक।

परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या–9207, दिनांक–22.07.2024 द्वारा श्रीमती निवेदिता कुमारी, जिला परिवहन पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण को जिला परिवहन पदाधिकारी, गोपालगंज का अतिरिक्त प्रभार प्रदान किया गया है।

जिला परिवहन पदाधिकारी, गोपालगंज के पद पर बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी के पदस्थापन हेतु विभागीय पत्रांक–8992 दिनांक–15.07.2024 द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना से अनुरोध किया गया है।

अध्यक्ष : अमरेन्द्र जी, आप अपना पूरक प्रश्न पूछिए ।

श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय : अध्यक्ष महोदय, गोपालगंज जिला उत्तर बिहार सीमा को जोड़ने वाली सीमावर्ती इलाका है एवं जगह–जगह चेक पोस्ट भी हैं । जिला परिवहन पदाधिकारी पदस्थापन नहीं होने से गोपालगंज में वाहन पंजीकरण, ड्राइविंग लाइसेंस, परिवहन नियम का पालन और सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित कार्य बाधित है । महोदय, गोपालगंज जिला परिवहन पदाधिकारी का पदस्थापन अनिवार्य है ।

माननीय मंत्री जी कब तक वहां पर जिला परिवहन पदाधिकारी की पोस्टिंग करवायेंगे ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, परिवहन विभाग ।

श्रीमती शीला कुमारी, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय जी, वहां पर ऑलरेडी हमलोग पहले से ही पूर्वी चम्पारण के जो पदाधिकारी हैं, उनको नियुक्त किये हुए हैं और वह सप्ताह में तीन दिन वहां पर जाती हैं, जब अतिरिक्त काम होता है तो उससे भी ज्यादा जाती हैं और समय पर सब काम का निपटारा करती हैं ।

श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वे मोतिहारी से यहां आती है और लगभग 90 किलोमीटर की दूरी है तो उनके आते–आते बहुत काम यहां पर बिगड़ जाता है तो माननीय मंत्री जी जितना जल्दी हो सके वहां पर जिला परिवहन पदाधिकारी का पदस्थापन कराने की कृपा करें और ये कब तक करवायेंगी ।

श्रीमती शीला कुमारी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वहां इसके लिए विभागीय पत्रांक–8992, दिनांक–15.07.2024 द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना से अनुरोध भी किया गया है ।

श्री राणा रणधीर : अध्यक्ष महोदय, मोतिहारी का ही प्रश्न है ।

अध्यक्ष : मोतिहारी का प्रश्न नहीं है, गोपालगंज का प्रश्न है । आप बैठ जाइये ।

श्री राणा रणधीर : अध्यक्ष महोदय,....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बैठ जाइये । पहले प्रश्नकर्ता का सवाल तो हो जाने दीजिए न, पहले उनका तो होने दीजिए ।

माननीय मंत्री जी, ठीक है आपने सामान्य प्रशासन विभाग को पत्र भेजा है, फिर से पहल कर लीजिए ताकि वहां पर हो जाय । ठीक है ।

माननीय सदस्य, राणा रणधीर जी आपका इसमें क्या पूरक हो सकता है।

श्री राणा रणधीर : अध्यक्ष महोदय, आपने जो कहा है उसके लिए धन्यवाद है लेकिन मोतिहारी बिहार का दूसरा सबसे बड़ा जिला है और तीन ही दिन रहते हैं....

अध्यक्ष : अब आप बैठ जाइये । श्री मुकेश कुमार रौशन ।

तारांकित प्रश्न संख्या–673 (श्री मुकेश कुमार रौशन, महुआ)
(लिखित उत्तर)

श्री सुनील कुमार, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि माननीय सदस्य के द्वारा उठाये गये बिन्दुओं के आलोक में जांच हेतु विभागीय आदेश संख्या–615, दिनांक–08.03.2025 के द्वारा त्रिसदस्यीय समिति गठित कर जांच कराने का निर्णय लिया गया है ।

उक्त समिति को 15 दिनों के अन्दर जांच प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया है । जांच समिति से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आलोक में विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी ।

अध्यक्ष : रामानुज जी, पूरक प्रश्न पूछिए ।

डॉ0 रामानुज प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, 15 दिनों के अंदर जांच प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया है । अध्यक्ष महोदय, मेरा इसमें यह है, माननीय मुख्यमंत्री जी भी यहां पर बैठे हुए हैं कि इस राज्य में नियुक्तियों में दो तरह की गड़बड़ी हो रही है, एक तो जो जैन्युअन एप्लीकेंट थे उनको समय नहीं दिया गया, ये जो शामिल नहीं हुए उनकी भर्ती कर ली गयी, दूसरा आरक्षण के नियम का घोर अवहेलना हो रहा है । माननीय मुख्यमंत्री जी भी बैठे हुए हैं उनके संज्ञान में भी है कि इसमें न सिर्फ कार्रवाई बल्कि इसको शुद्ध करने का...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप पूरक प्रश्न पूछिए ।

डॉ0 रामानुज प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मैं पूरक प्रश्न ही पूछ रहा हूं कि मंत्री जी ने कहा है कि 15 दिनों के अंदर क्या प्रश्नकर्ता सदस्य को भी इस पर क्या कार्रवाई हुई इसकी सूचना देंगे और इससे अवगत करवायेंगे ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, जब इसमें इन्क्वायरी होगी तो सभी तथ्यों को देखा जायेगा, माननीय सदस्य कह रहे हैं कि जिनका क्लेम सही है, जैन्युअन है उनसे भी पूछताछ की जायेगी, उनका भी साक्ष्य लिया जायेगा और अगर इसमें गड़बड़ी पाई जाती है तो निश्चित रूप से हमलोग उसमें सही कार्रवाई भी करेंगे और जो दंडात्मक कार्रवाई की भी आवश्यकता होगी निश्चित रूप से करेंगे ।

डॉ0 रामानुज प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानकारी भी चाहता हूं कि प्रश्नकर्ता सदस्य को इससे अवगत कराया जायेगा ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : जी । यह तो सार्वजनिक होगा ।

डॉ0 रामानुज प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, एक जो आरक्षण में गड़बड़ी हो रही है, इसमें नाम पढ़ा जाय और किनकी हुई है और किन लोगों ने किया है । इस पर सरकार का क्या कहना है कि राज्य में जो घोर अनियमितता हो रही है एक तो बहाली में और दूसरा आरक्षण के नियम के पालन में ।

अध्यक्ष : रामानुज जी, आप राज्य में कहां चले गये, बात तो पार्टिकुलर स्कूल का है । अब आप बैठ जाइये । श्री समीर कुमार महासेठ ।

डॉ0 रामानुज प्रसाद : अध्यक्ष महोदय....

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने तो बता ही दिया कि जांच हो रही है और जांच की जानकारी भी आपको देंगे और कार्रवाई भी करेंगे । श्री समीर कुमार महासेठ ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या–674 (श्री समीर कुमार महासेठ, मधुबनी)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : 1. उत्तर स्वीकारात्मक है ।
2. उत्तर स्वीकारात्मक है ।
3. उत्तर अस्वीकारात्मक है।

वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्न की कंडिका–1 में – उल्लेखित पत्रांक–4418 दिनांक 19.10.2024 में स्पष्ट रूप से वर्णित है कि बिहार

खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) (संशोधन) नियमावली, 2024 की कंडिका–18 एवं मूल नियमावली, 2019 के नियम–56 (2) (iv) में यह स्पष्ट रूप से प्रावधानित है कि खनिज मूल्य की कटौती में यह प्रावधानित है कि कार्य विभागों द्वारा आपूर्तिकर्ता/संवेदकों के की गयी कटौती संबंधित खनन शीर्ष में जमा की जायेगी । इससे यह स्वतः स्पष्ट है कि कटौती की राशि सीधे सरकारी राजस्व की प्राप्ति शीर्ष में की जाती है, न कि खनन बंदोबस्तधारी या परमिटधारी व्यापारकर्ताओं के खाते में जाती है ।

4. बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) (संशोधन) नियमावली, 2024 की कंडिका–14 द्वारा संबंधित मूल नियम–39 (1) आवश्यक संशोधन कर लघु खनिज के भंडारण के व्यापार को और व्यापक तथा सुगम बनाने के लिए लघु, मध्यम एवं वृहत् व्यवसाइयों में वर्गीकृत करते हुए उनके लघु खनिज भंडारण की अधिकतम सीमा क्रमशः 25000, 25000 से 100000 एवं 100000 से 1000000 घनफीट निर्धारित कर दी गयी है।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपना पूरक प्रश्न पूछिए ।

श्री समीर कुमार महासेठ : अध्यक्ष महोदय, निश्चित तौर पर यह पूरे बिहार में सभी विधायकों का मामला है और उत्तर हमको नहीं मिला है लेकिन इसके बावजूद जो मुख्य रूप से है, यह सारे विधायकों का मामला है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपना प्रश्न पूछिए ।

श्री समीर कुमार महासेठ : अध्यक्ष महोदय, इसमें स्पष्ट रूप से है कि जब मान लीजिए खनन विभाग के द्वारा जिस ढंग से....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपना पूरक प्रश्न पूछिए ।

श्री समीर कुमार महासेठ : अध्यक्ष महोदय, मेरा पूरक प्रश्न स्पष्ट है कि अगर उपर्युक्त उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार प्रत्येक जिले में, प्रखंड में, अनुमंडल में खनिज की बिक्री करने की व्यवस्था कर सकती है, नहीं करने पर जो प्रॉब्लम हो रहा है लगातार तीन महीना से विधायकों का काम बंद है, छोटा–छोटा जो कॉन्ट्रेक्टर है बाहर से अगर माल नहीं लायेगा तो पैसा कहीं उसमें चला जाता है । हम तो चाहेंगे कि मंत्री जी सब जगह बनवा दीजिएगा तो इससे सरकार को फायदा है।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बैठ जाइये न, आप बैठिएगा तब न उत्तर होगा । माननीय मंत्री जी आप जवाब दीजिए ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक जी का जो प्रश्न है, कई विधायकों ने हमको बताया है और हमने उसका समाधान का प्रयास भी किया है, योजना विभाग का फाइल भी आया था और पत्र में हमने 15 लाख तक का जो पहले की व्यवस्था थी उस व्यवस्था के तहत सभी माननीय विधायक/सांसद के कार्य में जो रॉयलिटी है, रॉयलिटी जैसे पहले जमा होता था वह जमा होगा, चालान की अनिवार्यता नहीं रहेगी । लेकिन उसके ऊपर के जो भी बड़े वर्क डिपार्टमेंट के काम हैं उसमें लघु खनिज जो उपयोग होता है, बालू, पत्थर, मिट्टी इसकी जांच होगी और कई बड़े–बड़े फार्म इसमें पकड़ाये भी हैं और

उनसे फाइन भी लिया जा रहा है और मेरे राज्य का राजस्व भी बढ़ रहा है और ऐसे भी माननीय सदस्य ने कहा है कि प्रखंड में तो हर प्रखंड में ये एक सरकारी डिपो खोलने की बात कर रहे हैं हमारी व्यवस्था तो है कि जितना चाहे उतना व्यक्ति को हम डिपो देने के लिए तैयार हैं, कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा, रोजगार का अवसर भी बढ़ेगा, पूरी पारदर्शिता से राजस्व की उगाही होगी और खनन विभाग में आप सबका सहयोग मिल रहा है । आज 10 हजार और 5 हजार मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो ईनाम घोषित किया गया, जो भी सोशल मीडिया के वर्कर हैं, यू–ट्यूबर हैं, हमारे डिजिटल योद्धा हैं आज वे भेज रहे हैं डिटेल, गाड़ी भी पकड़ा रही है ।

क्रमशः

टर्न–5/यानपति/11.03.2025

(क्रमशः)

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, और आपको जानकर खुशी होगी कि उनलोगों के अकाउंट में गोपनीय ढंग से मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से ही बड़ी गाड़ी पर 10 हजार रुपया और छोटी गाड़ी पर 5 हजार रुपया का इनाम भी दे रहे हैं और राजस्व भी बढ़ा है और ओवरलोडिंग पूरे बिहार में 90 से 95 परसेंट बंद हो गया है ।

(व्यवधान)

अगर कहीं जो जानकारी है......

अध्यक्ष : मंत्री जी, बिना अनुमति के बोल रहे हैं, कैसे आप जवाब दे रहे हैं ।

(व्यवधान)

आप बैठिए । पहले प्रश्नकर्ता को पूछने दीजिए ।

श्री समीर कुमार महासेठ : अध्यक्ष महोदय, मेरा स्पष्ट जानना है, मंत्री जी को बधाई कि 15 लाख तक की अनिवार्यता समाप्त किए लेकिन सरकारी डिपो जब तक नहीं खोलेंगे तब तक यह प्रॉब्लम रहेगा । गुणवत्ता का जो अभाव हो रहा है, घर में जो हम बालू लगा रहे हैं या कहीं, इसमें सरकारी डिपो खोलना आवश्यक है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : सुनने दीजिए ।

श्री समीर कुमार महासेठ : प्राइवेट आपको जिनको देना है उससे हमको मतलब नहीं है लेकिन सरकारी डिपो जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर खोलने की व्यवस्था हो ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : महोदय, इस समस्या के समाधान के लिए भी सरकारी स्तर पर हम बहुत जल्द ऑनलाईन बालू की बिक्री के लिए बालू मित्र पोर्टल की शुरुआत करने जा रहे हैं और इससे डायरेक्ट, जिनको जहां जरूरत पड़ेगा, मिलेगा और अभी एक हफ्ता पहले ही हमने अपने सभी जिला खनन पदाधिकारी का सरकारी नंबर उपलब्ध कराकर जारी किया है कि जिनको भी अपने बिहार के अंदर जरूरत पड़े आप उससे संपर्क करें । वह उसके समाधान और व्यवस्था में सहयोगी बनेंगे ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या–675 (श्री राम सूरत कुमार, औराई)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री सुनील कुमार, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय पत्रांक– 09/गो0 दिनांक–19.02.2025 के द्वारा निर्णय लिया गया है कि शिक्षा विभाग के सभी प्रकार के विकास कार्यें का क्रियान्वयन दिनांक–31.03.2025 के बाद बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, पटना द्वारा ही किया जाना है । औराई प्रखंड में स्थित बुनियादी विद्यालय, बसुआ दो कमरा में संचालित है तथा विद्यालय में दो शौचालय एवं समरसेवुल चालू अवस्था में है ।

प्रखंड कटरा का बुनियादी विद्यालय लखनपुर चार कमरा में संचालित है तथा विद्यालय में दो शौचालय, एक हैन्डपम्प एवं समरसेवुल चालू अवस्था में है ।

उक्त दोनों विद्यालय में आवश्यकतानुसार अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कार्य वित्तीय वर्ष 2025–26 में करा लिया जायेगा ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिए ।

श्री राम सूरत कुमार : महोदय, उत्तर मिल गया है । माननीय मंत्री जी तो बहुत अच्छे लोग हैं लेकिन मैं विभाग के अधिकारियों से कहना चाहूंगा कि मैंने जो प्रश्न पूछा है, शौचालय और चापाकल के बारे में प्रश्न नहीं पूछा था, आपने बताया, पहला प्रश्न का उत्तर दिया है कि दिनांक–31.03.2025 के बाद बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, पटना द्वारा किया जायेगा तो कब तक किया जायेगा एक डेट बता दिया जाय ।

दूसरे प्रश्न में मैंने कहा था कि निर्माण हेतु प्रबंधक, शिक्षा विभाग, पटना के पत्रांक–3317, दिनांक–19 जून, 2020 द्वारा अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, पटना को पत्र लिखा गया था लेकिन आज तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई है, उसके उत्तर की जगह लिखा जा रहा है कि 2 शौचालय और चापाकल चल रहा है तो मेरा कहना है माननीय अध्यक्ष जी कि अगर मेरे विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत वैसे तो पूरे बिहार के बारे में भी कह सकते हैं......

अध्यक्ष : पूरक पूछिए ।

श्री राम सूरत कुमार : पूरक वही बता रहे हैं । जो चापाकल और शौचालय के बारे में बोले हैं, जो शिक्षा विभाग के द्वारा के0के0 पाठक जी के टाइम में जो बनवाया गया 80 परसेंट फ्लॉप है, कहीं नहीं चल रहा है ।

तीसरा यह कहना है कि यह विद्यालय जिसमें 300 से 400 बच्चे पढ़ रहे हैं मात्र 2 कमरा, वह भी कमरा सुरक्षित नहीं है मतलब उसमें बच्चे नहीं पढ़ सकते हैं......

अध्यक्ष : पूरक पूछिए ।

श्री राम सूरत कुमार : पूरक यह है कि कब तक वह बनवा देंगे, कब तक हो जायेगा यह हम जानना चाहते हैं ।

अध्यक्ष : बैठिए । तीनों प्रश्न हो गया आपका, बोलिए ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, बी0एस0आई0डी0सी0 ने भी इसकी समीक्षा की है और माननीय सदस्य का यह कहना है कि वहां कमरों की कमी है और

सुविधाओं की कमी है, यह सही है और इसलिए अगले वित्तीय वर्ष में इसकी समीक्षा करके, हमलोगों ने भी, इस तरह के प्रश्न आते हैं बी0एस0आई0डी0सी0 से संपर्क करके निश्चित रूप से हमलोग अगले वित्तीय वर्ष में इसको पूरा करा देंगे । वहां कमी है कमरों की भी और अन्य सुविधाओं की भी कमी है, उसको हम अगले वित्तीय वर्ष में पूरा करायेंगे ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप बैठ जाइये । प्रश्नकर्ता को प्रश्न पूछने दीजिए ।

श्री राम सूरत कुमार : माननीय अध्यक्ष जी, बुनियादी विद्यालय हम सबों का सपना है और पूर्वजों ने बनवाया और बहुत जीर्ण–शीर्ण अवस्था में है । खासकर बसुआ और लखनपुर जहां विद्यालय है, एक डेट माननीय मंत्री जी, मंत्री जी ने पत्र भी मंगाया था लेकिन अभीतक कुछ हुआ नहीं और सत्र भी समाप्त होनेवाला है ।

अध्यक्ष : रामसूरत जी, मंत्री जी ने साफ–साफ जवाब दिया है कि यह वास्तव में स्वीकार किया उन्होंने, कहा कि अगले वित्तीय वर्ष में इसको बनवा देंगे ।

श्री रामसूरत कुमार : एक आग्रह है, धन्यवाद मंत्री जी को, शौचालय के बारे में जो लिखा गया है, चापाकल के बारे में, जांच करवा लीजिए, पूरा फ्लॉप है ।

अध्यक्ष : कहां शौचालय के चक्कर में पड़ गए आप । बैठिए ।

तारांकित प्रश्न संख्या–676 (श्री प्रमोद कुमार सिन्हा, रक्सौल)

(लिखित उत्तर)

श्री हरी सहनी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आंशिक रूप से स्वीकारात्मक ।

पूर्वी चंपारण जिला के एम0एस0 कॉलेज परिसर, अम्बिका नगर, सदर प्रखंड में अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास भवन निर्मित एवं संचालित है ।

पूर्वी चंपारण जिला के लुअठाहां, सदर प्रखंड में जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास निर्मित है एवं संचालित है ।

प्रखंड स्तर पर जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास/अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास निर्माण की योजना विचाराधीन नहीं है ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिए ।

श्री प्रमोद कुमार सिन्हा : महोदय, मेरा पूरक यह है कि रक्सौल विधान सभा क्षेत्र में लगभग 3 लाख की आबादी है, रक्सौल में एक अंगीभूत महाविद्यालय के साथ–साथ वित्त रहित कॉलेज और दर्जनों प्लस–2 विद्यालय हैं......

अध्यक्ष : शांति बनाये रखिए ।

श्री प्रमोद कुमार सिन्हा : जहां अनुमंडल क्षेत्रों में 4–5 प्रखंडों से छात्र पढ़ने आते हैं सर जिनको अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । अतः आपको बता दें कि रक्सौल में शैक्षणिक व्यवस्था ठीक–ठाक है । अतः मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वह रक्सौल में एक छात्रावास बनाने की कृपा करें ।

श्री हरी सहनी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । पूर्वी चंपारण जिले के एम0एस0 कॉलेज परिसर अंबिकानगर, सदर प्रखंड में अन्य पिछड़ा वर्ग

वर्ग छात्रावास भवन निर्मित एवं संचालित है । पूर्वी चंपारण जिला के लुअठाहां सदर प्रखंड में जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास निर्मित है एवं संचालित है । प्रखंड स्तर पर जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास निर्माण की योजना विचाराधीन नहीं है ।

श्री प्रमोद कुमार सिन्हा : महोदय, रक्सौल से 60 कि0मी0 दूर मोतिहारी में है तो फिर मोतिहारी से हमको क्या मतलब है ।

अध्यक्ष : अभी प्रखंड स्तर पर विचाराधीन नहीं है । जब सरकार निर्णय करेगी करने का, तो जरूर विचार करेंगे आपके प्रस्ताव पर, बैठ जाइये ।

श्री प्रमोद कुमार सिन्हा : निर्णय तो मंत्री जी को करना है महोदय । सीमांचल एरिया है सर।

अध्यक्ष : हां, सरकार करती है तो जब करेंगे तब आप पर विचार करेंगे, बैठिए ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या–677 (श्री अमरजीत कुशवाहा, जीरादेई)</u>

श्री अमरजीत कुशवाहा : महोदय, पूछता हूं । उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, उत्तर पढ़ दीजिए ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि निदेशक (शैक्षणिक) बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से प्राप्त प्रतिवेदन में मिश्रीसदा कॉलेज मैरवा को शैक्षणिक सत्र 2006–08 एवं 2007–09 का अनुदान की मांग नहीं किये जाने की सूचना संबंधित संस्थान द्वारा दी गयी है ।

वैसे संस्थानों जिन्हें शैक्षणिक सत्र 2006–08 एवं 2007–09 का अनुदान राशि मांग हेतु अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर समीक्षोपरांत अनुदान राशि की विमुक्ति की कार्रवाई की जायेगी ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आपके कारण मुझे सुनने में दिक्कत होती है, आपकी आवाज भगवान ने इतनी तेज दी है, दिक्कत है कि उसकी दिशा बदल जाती है, वही गड़बड़ है ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : महोदय, यह जो जवाब आया हमारे निदेशक, शैक्षणिक बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का फिर भी इस जवाब के बावजूद भी हमने कहा है कि सभी ऐसे संस्थानों की अगर पुरानी मांगें रह गई हैं तो समीक्षा करके न सिर्फ इस संस्थान की लेकिन अन्य संस्थानों की भी हमलोग पूर्ति कर देंगे ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिए ।

श्री अमरजीत कुशवाहा : महोदय, पिछले इसी प्रश्न को विधान सभा में उठाया जा चुका है और यहां से मंत्री जी के द्वारा कहा गया कि उसको दे दिया जायेगा जल्द ही और हम कहना चाहते हैं कि 2006–08 और 2007–09 का बकाया जो है एक तो भुगतान बिहार बोर्ड से हुआ है या सचिवालय से हुआ है यह भी पता नहीं चल रहा है और लोग दौड़ते–दौड़ते परेशान हैं । इसलिए मैं चाहूंगा आपके माध्यम से कि मंत्री जी स्पष्ट करें कि कब तक उनलोगों का भुगतान हो जायेगा क्योंकि 2006–08 और 2007–09 बहुत पुराना समय हो गया महोदय ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि यह काफी पुराने मामले हैं और यह बोर्ड के द्वारा किया जाता है तो बोर्ड की हम अगले एक महीने के अंदर इसमें निर्णय लेकर के सदन जब समाप्त होगा उसके बाद हमलोग निर्णय लेकर विमुक्त कर देंगे । जो भी उनकी जायज मांग है उसको पूरा करेंगे ।

तारांकित प्रश्न संख्या–678 (श्री मुरारी मोहन झा, केवटी)

अध्यक्ष : पूरक पूछिए ।

श्री मुरारी मोहन झा : महोदय, उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है ।

अध्यक्ष : देखे नहीं होंगे । माननीय मंत्री जी, उत्तर पढ़ दीजिए ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि दरभंगा जिला के केवटी प्रखंड अंतर्गत शेखपुर दानी में अवस्थित प्राथमिक विद्यालय, नवटोलिया में कुल नामांकित छात्र–छात्राओं की संख्या–103 है, पदस्थापित शिक्षकों की संख्या–05 है । विद्यालय का जर्जर भवन होने के कारण निकट के मध्य विद्यालय कदमटोली में शिफ्ट कर दिनांक–07.03.2025 से सुचारू रूप से चलाया जा रहा है लेकिन माननीय सदस्य को हम आश्वस्त करेंगे कि प्राथमिक विद्यालय, नवटोलिया के जर्जर भवन को तोड़कर नया विद्यालय भवन का निर्माण कार्य वित्तीय वर्ष 2025–26 में करा लिया जायेगा । उनकी चिंता सही है और वहां परिस्थिति अच्छी नहीं है । उसको तोड़कर हमलोग नया भवन निर्माण का निर्णय ले चुके हैं, अगले वित्तीय वर्ष में करा देंगे ।

अध्यक्ष : हो गया, धन्यवाद दे दीजिए ।

श्री मुरारी मोहन झा : महोदय, बहुत जरूरी है, हम पत्र भी दिए हुए हैं मंत्री जी को ।

अध्यक्ष : आप ही के पत्र पर कह रहे हैं कि 2025–26 में करवा देंगे ।

टर्न–6/अंजली/11.03.2025

श्री मुरारी मोहन झा : इसी वित्तीय वर्ष में बन जाएगा उसके लिए हम माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देते हैं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने बता दिया कि वित्तीय वर्ष–2025–26 में करा देंगे ।
श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता ।

तारांकित प्रश्न सं0–679 (श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता, चिरैया)
(लिखित उत्तर)

श्री सुनील कुमार, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि पूर्वी चम्पारण जिला अन्तर्गत प्रखंड पताही में श्याम सुन्दर पाठक प्लस–2 हाई स्कूल बखरी में कुल नामांकित छात्र–छात्राओं की संख्या–1279, कार्यरत शिक्षक–शिक्षिकाओं की संख्या–20, वर्ग कक्ष की संख्या–14 एवं शौचालयों की संख्या–04 है ।

छात्र एवं शिक्षक के अनुपात में भूमि उपलब्धता के आधार पर 04 अतिरिक्त वर्ग कक्ष एवं चहारदीवारी निर्माण का प्रस्ताव विभाग को प्राप्त हुआ है । अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है ।

अध्यक्ष : बोलिए लाल बाबू जी । पूरक पूछिये । माईक पर बोलिए ।

श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, उत्तर तो आया है लेकिन कहा गया है जमीन उपलब्धता, तो वहां बहुत पर्याप्त जमीन है, तो उसमें उपलब्ध कराने का सवाल कहां आता है कि जमीन उपलब्धता होगी तब हम चहारदीवारी या स्कूल का रुम बनवाएंगे । 1279 बच्चे उस स्कूल में हैं और बैठने के लिए रुम नहीं है, तो हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि स्कूल की चहारदीवारी और बच्चों को बैठने के लिए स्कूल कब तक बन जाएगा ?

श्री सुनील कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिंता सही है और वहां हमलोगों ने समीक्षा की है, वर्तमान में छात्र–छात्राओं की संख्या–1279 है उसको देखते हुए छात्र एवं शिक्षक के अनुपात में भूमि उपलब्धता के आधार पर वहां हमलोग 4 अतिरिक्त वर्ग–कक्ष का निर्माण कराएंगे और चहारदीवारी भी नहीं है उसका भी निर्माण अगले वित्तीय वर्ष में हमलोग करा देंगे ।

अध्यक्ष : अगले वित्तीय वर्ष में करा देंगे ।

श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, हम यह जानना चाहते हैं कि कब तक करा देंगे ? वहां बच्चे लोगों को बहुत दिक्कत है ।

अध्यक्ष : मंत्री जी ने बताया है कि अगले वित्तीय वर्ष में करा देंगे । अगला वित्तीय वर्ष 1 अप्रील, 2025 से शुरू होने वाला है ।

श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता : ठीक है करवा दिया जाय । माननीय मंत्री जी को बहुत–बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष : ठीक है । श्री जय प्रकाश यादव ।

तारांकित प्रश्न सं0–680 (श्री जय प्रकाश यादव, नरपतगंज)

(लिखित उत्तर)

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : 1–उत्तर अस्वीकारात्मक है ।

समाहर्त्ता, अररिया के पत्रांक–122, दिनांक 05.03.2025 द्वारा प्रतिवेदित है कि अररिया जिलान्तर्गत बालू एवं पत्थर से संबंधित भूखण्ड की बंदोबस्ती नहीं है । वैसे ईंट, भट्ठे जिनके द्वारा रॉयल्टी का भुगतान नहीं किया गया है, उनसे राजस्व की वसूली हेतु नीलामपत्र वाद दायर की गई है । ईंट सत्र 2023–24 में 04 ईंट–भट्ठों के द्वारा रॉयल्टी कर भुगतान नहीं किया गया है, जिन पर नीलामपत्र वाद दायर है । राज्य में स्वामिस्व का भुगतान नहीं करने वाले बकायेदारों के विरूद्ध बकाया वसूली हेतु नीलामपत्र वाद दायर कर कार्रवाई की जा रही है । वर्तमान में पूरे राज्य में 41735 नीलामपत्र वाद दायर किये गये हैं ।

2– उत्तर अस्वीकारात्मक है ।

राज्य में उपलब्ध खनिजों के अन्वेषण कार्य हेतु भारतीय भू–वैज्ञानिक सर्वेक्षण कार्यरत है । इस अन्वेषण कार्य को गति देने हेतु भूतात्विक अन्वेषण कोषांग का गठन विभाग स्तर पर किया गया है ।

12 वृहद खनिज ब्लॉकों में से 03 ब्लॉकों की नीलामी भारत सरकार द्वारा की गयी है, जो निम्न हैं:

(i) रोहतास–चुटिया नौहट्टा ग्लूकोनाईट।

(ii) रोहतास–पिपराडीह–भुरवा ग्लूकोनाईट।

(iii) गया–गेंजाना–निकेल क्रोमियम ।

बिहार सरकार द्वारा 01 ब्लॉक रोहतास–भोरा–कटरा लाईम स्टोन ब्लॉक की नीलामी की गयी है एवं 02 ब्लॉकों की नीलामी प्रक्रियाधीन है ।

शेष ब्लॉकों की नीलामी भारत सरकार द्वारा की जानी है ।

विभाग द्वारा राज्यान्तर्गत अबतक 389 बालूघाटों की नीलामी की जा चुकी है ।

विभाग खनिज ब्लॉकों एवं बालूघाटों की नीलामी एवं राजस्व समाहरण के लिए प्रतिबद्ध है एवं सतत प्रयत्नशील है ।

3– उपरोक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये, जय प्रकाश जी ।

श्री जय प्रकाश यादव : जी महोदय, पूरक ही पूछ रहे हैं । माननीय मंत्री जी का जवाब बहुत विस्तृत में मिला है और माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहूंगा कि हमारा जो प्रश्न था उसके खंड–1 में है कि अररिया जिला में बालू का कोई भी बंदोबस्ती घाट नहीं है । डी0एम0 के पत्रांक के मुताबिक और वस्तुस्थिति यही है लेकिन अररिया जिला में हमारे यहां बालू का ट्रक पकड़ाता है और लाखों रुपए का फाइन होता है और उसी बालू से, नदी का जो बालू है उसी बालू को लोग ले जाते हैं, घर बनाते हैं और पकड़ाते हैं गरीब आदमी तो उस पर फाइन होता है तो मैंने कई बार अनुरोध किया कि उसको बंदोबस्त कर दिया जाय । हमने डी0एम0 को भी पत्र दिया था, कहना है कि वह ग्रेड बालू का बंदोबस्ती लायक नहीं है । मैं बताना चाहता हूं कि उसी बालू से जब वहां लोग घर बना रहे हैं, घर बन रहा है और लाखों रुपया में फाइन दे रहे हैं तो बालू का ग्रेडिंग करके अगर बंदोबस्ती कर दे तो सरकार को राजस्व भी मिलेगा और हमारे किसान को, गरीब को जो करोड़ रुपया फाइन होता है...

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्री जय प्रकाश यादव : महोदय, पूरक मैं यही पूछना चाहूंगा कि क्या माननीय मंत्री जी उस घाट को बालू का ग्रेडिंग करके निम्न ग्रेड में ही बंदोबस्ती करने का विचार रखते हैं, नहीं तो क्यों ?

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, जो इन्होंने प्रश्न किया था खंड–क, उसमें स्पष्ट जवाब दिया गया कि इनका प्रश्न अस्वीकारात्मक है । इन्होंने प्रश्न किया है कि बालू, ईंट और पत्थर जैसे लघु खनिज संपदा का टैक्ट नोटिस के बावजूद भी नहीं चुकाने वाले बड़े बकायेदारों पर नीलामपत्र वाद की कार्रवाई नहीं की जा रही है । घाट की बंदोबस्ती की जो बात ये कह रहे हैं, प्रश्न अलग है । जवाब उसका दे दिया गया है और इस तरह का जहां भी आया है, रॉयल्टी जहां भरने की, भुगतान करने की है, भट्टों का या किसी भी डिमांड के अनुसार

स्वामित्व का भुगतान नहीं करने वाले बकायेदारों के विरुद्ध बकाया वसूली हेतु नीलामपत्र वाद कर कार्रवाई कर रहे हैं । वर्तमान में पूरे राज्य में 41 हजार 735 नीलामपत्र वाद दायर किये गये हैं और जहां पर जिलाधिकारी बंदोबस्ती करते हैं, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग से एन0ओ0सी0 मिलता है, ऐसा सर्टिफिकेट जहां–जहां मिला है, उसकी नीलामी बार–बार की जाती है, लोग नहीं लेते हैं, जब सख्ती हुई है, कार्रवाई हुई है और मैं यह जानकारी दे दूं, उन्होंने ठीक कहा कि थोड़ा दंड ज्यादा हुआ है तो लोगों को अब जरूरत महसूस हो रही है हर घाट नीलाम हो और हमने भी इस व्यवस्था को प्रावधान करने के लिए निर्देशित किया है कि जहां–जहां से डिमांड हो, जिलाधिकारी के नेतृत्व में जो कमेटी बनती है, वह कमेटी यह सुनिश्चित करे, क्योंकि ईंट–भट्टों को घर बनाने के लिए या अन्य कार्य के लिए बालू और मिट्टी की जरूरत पड़ती है और अभी जैसे नदी से मिट्टी और गाद इन दोनों के संदर्भ में, तो मैं अपने माननीय सदस्यों को एक चीज और स्पष्ट कर दूं क्योंकि सारे लोग आपके पास ही आएंगे, परेशान आपको ही करेंगे स्वाभाविक है, तो गाद भर जाने के बाद उसके निपटारे के लिए नई खनन नियमावली में जल संसाधन विभाग की अनुशंसा के आधार पर समाहर्त्ता के द्वारा नीलामी कराकर गाद के निपटारे का काम निष्पादित कराने का प्रावधान किया गया है । बालू का काम हमारे विभाग द्वारा किया जाएगा और उजला बालू हो या अलग–अलग नदी के अलग–अलग बालू का जो प्रावधान है आपको जहां–जहां स्पेसिफाई लगता है कि यह जगह होना चाहिए, आप आवेदन दीजिए हम प्राथमिकता में लेकर वहां के जिलाधिकारी को भेजेंगे खनन पदाधिकारी को और वहां करायेंगे ।

अध्यक्ष : ठीक है, बैठ जाइए ।

श्री जय प्रकाश यादव : माननीय मंत्री जी को बहुत–बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष : श्री मो॰ नेहालउद्दीन ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0–681 (श्री मो॰ नेहालउद्दीन, रफीगंज)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री सुनील कुमार, मंत्री : 1–वस्तुस्थिति यह है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत रफीगंज प्रखंड के बलार पंचायत में ग्राम बदरपुर में कोई भी प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय स्वीकृत नहीं है, लेकिन ग्राम बदरपुर के पूरब–दक्षिण में मध्य विद्यालय साहोकर्मा अवस्थित है, जो बदरपुर ग्राम से मात्र 800 मीटर की दूरी पर अवस्थित है, जिसमें बदरपुर गांव के कुल 33 छात्र–छात्रा नामांकित हैं, जो प्रतिदिन विद्यालय आते हैं जहां वर्ग 01–08 तक कुल नामांकित छात्र–छात्राओं की संख्या–238 एवं पदस्थापित शिक्षकों की संख्या–07 है । उक्त विद्यालय में कुल वर्ग कक्ष की संख्या–07 एवं 02 बालक शौचालय एवं 02 बालिका शौचालय क्रियाशील है ।

2– बदरपुर से कुम्हैनी की दूरी मात्र 500 मीटर है, लेकिन पूरब–पश्चिम दिशा में नहर होने एवं आवागमन की सुविधा नही रहने के कारण बच्चों का नामांकन मध्य विद्यालय कुम्हनी में नही है । सभी बच्चों का नामांकन ग्राम–बदरपुर से 800 मीटर की दूरी पर स्थित मध्य विद्यालय साहोकर्मा में है, जो पूरब–दक्षिण में स्थित है ।

3– संबंधित प्रश्नावली का उत्तर क्रमांक–01 एवं 02 में सम्मिलित है ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये, नेहालउद्दीन साहब ।

श्री मो॰ नेहालउद्दीन : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि उस बदरपुर में स्कूल की स्वीकृति नहीं मिली है, तो सबसे पहला पूरक मेरा यही है कि क्या आप उसकी स्वीकृति देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते हैं तो क्यों, और कब तक ?

श्री सुनील कुमार, मंत्री : महोदय, हमने इस विषय पर पूरी फाइल पढ़ी है और इस सदन के बाद उसकी हम समीक्षा करके उचित निर्णय ले लेंगे और उसमें बहुत वक्त नहीं लगेगा, एक महीने का, सदन खत्म होने के बाद उसमें उचित निर्णय हम लेंगे ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी बाद में निर्णय लेंगे ।

श्री मो॰ नेहालउद्दीन : महोदय, वह सही है । मेरा दूसरा पूरक यह है कि इन्होंने माना है कि उस गांव से दूसरे गांव में जाने के लिए नहर से गुजरना पड़ता है जो काफी दूर है, तो इन तमाम बातों के अलावा आपने सदन को आश्वासन दे दिया है कि अगले वित्तीय वर्ष में आप उसकी स्वीकृति देकर चूंकि वहां पर जमीन उपलब्ध है, वह जमीन एकड़ में है लेकिन गैर–मजरूआ मालिक है तो उस जमीन में स्कूल बनाया जा सकता है तो क्या स्वीकृति देते हुए उस गैर–मजरूआ मालिक जमीन में स्कूल को बनवा दिया जाएगा ?

श्री सुनील कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, जमीन के बारे में हमने समीक्षा नहीं की है लेकिन जो छात्र–छात्राओं के हित में होगा और जमीन की उपलब्धता आप बता रहे हैं तो उसके अनुसार हमलोग अगले महीने में समीक्षा करेंगे अन्य ऐसे जगहों की जहां जमीन उपलब्ध है या नहीं है तो उसमें इसको निश्चित रूप से प्राथमिकता के तौर पर देखेंगे और निश्चित रूप से छात्र–छात्राओं के हित में ही हमलोग निर्णय लेंगे ।

श्री मो॰ नेलाहउद्दीन : नहीं महोदय, आपने स्वीकार किया है कि वहां पर जमीन है, आपके जवाब में है ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : वह ठीक है लेकिन हमने कहा है कि वास्तव में हमारी टीम जाकर वहां पूरी समीक्षा, पूरा मैप इत्यादि बनाना पड़ता है कि जितनी एग्रेज की जरूरत है और कितने छात्र हैं, कितने स्कूल का वर्गमीटर होगा, कितने कमरे होंगे उस तरह की समीक्षा अभी नहीं की गई है । वही हम कह रहे हैं कि इस सदन समाप्ति के बाद हमलोग टीम भेजकर पूरे सही तरीके से समीक्षा करा लेंगे फिर आवश्यकतानुसार हमलोग कार्रवाई करेंगे, यह मैं कह रहा हूं । धन्यवाद ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0–682 (श्री इजहारूल हुसैन, किशनगंज)</u>
(लिखित उत्तर)

श्री सुनील कुमार, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि किशनगंज जिलान्तर्गत पोठिया प्रखंड के भेलगागाठी +2 विद्यालय में 1712 फीट चहारदीवारी निर्माण के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुआ है । विभाग स्तर पर अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है ।

अध्यक्ष : जल्दी पूरक पूछ दीजिए, 12:00 बजने वाला है ।

श्री इजहारूल हुसैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर में आया है कि किशनगंज जिलान्तर्गत पूर्णयां प्रखंड के भेलागागाठी +2 विद्यालय में 1712 फीट चहारदीवारी निर्माण के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्री इजहारूल हुसैन : जी महोदय । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि चहारदीवारी का निर्माण कब तक होगा, क्योंकि बार–बार यह सवाल किया गया है ।

अध्यक्ष : बैठ जाइए । माननीय मंत्री जी ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : महोदय, अगले वित्तीय वर्ष में निश्चित रूप से पूरा हो जाएगा लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को बताना चाहूंगा कि चहारदीवारी के मामले में, शौचालय के मामले में या बिजली के मामले में, बेंच–डेस्क के मामले में, पेयजल के मामले में इसमें हमलोग निश्चित रूप से प्राथमिकता रखे हुए हैं कि अगले वित्तीय वर्ष में उसको प्राथमिकता देंगे, उसके बाद कमरों को प्राथमिकता देंगे । शुक्रिया ।

टर्न–7 / पुलकित / 11.03.2025

अध्यक्ष : अब प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ । जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हों, उन्हें सदन पटल रख दिया जाए ।

अब कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना ली जायेगी ।

माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 11 मार्च, 2025 के लिए निम्न माननीय सदस्यों से कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचनायें प्राप्त हुई हैं :–

श्री सत्यदेव राम, स0वि0स0, श्री महबूब आलम, स0वि0स0, श्री महानंद सिंह, स0वि0स0, श्री समीर कुमार महासेठ, स0वि0स0, श्री गोपाल रविदास, स0वि0स0, श्री अमरजीत कुशवाहा, स0वि0स0, श्री संदीप सौरभ, स0वि0स0, श्री अजीत कुमार सिंह, स0वि0स0, श्री शिव प्रकाश रंजन, स0वि0स0, श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता, स0वि0स0, श्री मुकेश कुमार यादव, स0वि0स0, श्री रणविजय साहू, स0वि0स0, श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव, स0वि0स0 एवं श्री अवध विहारी चौधरी, स0वि0स0 ।

आज दिनांक 11.03.2025 को सदन में वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय–व्ययक में सम्मिलित अनुदानों की मांगों पर वाद–विवाद एवं मतदान का कार्यक्रम निर्धारित है ।

(व्यवधान)

अभी कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना पढ़ने दीजिए । अभी समाप्त नहीं हुआ है । बीच में कहां खड़े हो गये आप, बैठ जाइये ।

अतः बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली के नियम–172(3) एवं 47(2) के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण कार्यस्थगन प्रस्ताव की सभी सूचनाओं को अमान्य किया जाता है ।

(व्यवधान)

अब शून्यकाल लिये जायेंगे ।

श्री सत्यदेव राम : महोदय, कार्यस्थगन पढ़वा दिया जाए ।

अध्यक्ष : ठीक है, पढ़िये ।

(व्यवधान)

हमने समझा कि अवध विहारी बाबू पढ़ेंगे, सत्यदेव जी पढ़ेंगे । महानंद जी, आप बैठिये । आप सत्यदेव जी की मदद मत कीजिए, ये बहुत तेज हैं ।

(व्यवधान)

आप पढ़ेंगे या सत्यदेव जी पढ़ेंगे ? हमने देखा कि आपका भी नाम है और आप खुद यहाँ रहे हैं इसलिए आप कार्यस्थगन पढ़ेंगे ।

(व्यवधान)

श्री सत्यदेव राम जी, आप ही पढ़ दीजिए ।

श्री सत्यदेव राम : महोदय, अंतर्राष्ट्रीय धरोहर में शामिल राज्य के बोधगया स्थित महाबोधी महाविहार के प्रति विश्व के तमाम बौद्ध समुदाय के लोग अपनी आस्था रखते हैं, इस महाविहार का संचालन बी0टी0 एक्ट, 1949 के तहत होता है, जिसमें 4 बौद्ध, 4 हिन्दू और 1 जिला प्रशासन से नियुक्त अधिकारी की समिति कार्य करती है । इस कानून के खिलाफ लंबे समय से विरोध हो रहा है और अब 12 फरवरी, 2025 से एक बड़ा आंदोलन चल रहा है, जिसमें देश–विदेश के बौद्ध समुदाय के लोग शामिल हो रहे हैं ।

उनकी प्रमुख मांग यह है कि महाबोधी महाविहार की प्रबंधक समिति में सभी 9 सदस्य बौद्ध समुदाय से हों ।

अध्यक्ष : सत्यदेव जी, आपका कार्यस्थगन पढ़ा हुआ मान लेते हैं ।

श्री सत्यदेव राम : उनका मानना है कि इससे न केवल बौद्धों की श्रद्धा बढ़ेगी बल्कि बोधगया और बिहार के अन्य बौद्ध स्थलों पर पयर्टन को भी बढ़ावा मिलेगा ।

इसलिए इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बी0टी0 एक्ट, 1949 के खिलाफ बिहार विधान सभा से प्रस्ताव पारित करने हेतु सदन में बहस हो, का ध्यान इस विषय पर आकृष्ट कराना चाहता हूँ ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : शून्यकाल लिये जायेंगे । सत्यदेव जी, बैठ जाइये ।

आप यह बोलकर के कार्यस्थगन पढ़ने की परिपाटी बंद कराना चाहते हैं । क्या आप चाहते हैं कि कार्यस्थगन पढ़ने की परिपाटी बंद कर दें ? हम आपके ऊपर विचार करेंगे । हम जरूर विचार करेंगे बंद करने पर ।

मोहम्मद अनजार नईमी, पढ़िये ।

शून्यकाल

मोहम्मद अनजार नईमी : माननीय अध्यक्ष महोदय, निर्माणाधीन गलगलिया–अररिया रेल खण्ड में टेढ़ागाछ को स्टेशन बनाना, घनी आबादी, सीमावर्ती क्षेत्र, प्रखण्ड मुख्यालय पुलिस स्टेशन, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कॉलेज, हाईस्कूल, मुख्य बाजार के साथ रक्षा, सुरक्षा एवं सुविधाओं के दृष्टिकोण से भी उपयुक्त होगा ।

अतः मैं सरकार के माध्यम से टेढ़ागाछ में स्टेशन बनाने की मांग करता हूँ ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठ जाइये । आगे से पढ़ाना बंद कर देंगे, बैठ जाइये आप । क्यों सबका हक मार रहे हैं । माननीय सदस्य श्री इजहारूल हुसैन ।

श्री इजहारूल हुसैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य मदरसा बोर्ड, पटना के पत्रांक–37, दिनांक–10.02.2023 के आलोक में 2459+1 के छूटे हुए 1646 गैर अनुदानित मदरसों का पुनः स्थलीय जांच प्रतिवेदन मदरसा बोर्ड को उपलब्ध कराया जा चुका है । किंतु अबतक फाईल सचिवालय नहीं भेजी गयी है ।

अतः फाईल को अतिशीघ्र सचिवालय भेजने की मांग करता हूँ ।

श्री मुरारी मोहन झा : माननीय अध्यक्ष महोदय, दरभंगा जिलान्तर्गत प्रखंड मनीगाछी स्थित सिद्धपीठ माँ वाणेश्वरी मंदिर में दिनांक–21.02.2025 को लाखों के आभूषण की चोरी जो मनीगाछी थाना कांड सं0–26/25 में दर्ज हैं । बीस दिन बीत जाने के बाद भी अपराधी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं । संलिप्त अपराधी को अतिशीघ्र गिरफ्तार करने की मांग करता हूँ ।

(व्यवधान)

श्रीमती मंजु अग्रवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, गया जिलान्तर्गत प्रखंड शेरघाटी के ग्राम पंचायत चिलिम के ग्राम पक्षिमी खडार की मुख्य सड़क में शिव मंदिर के समीप जर्जर पुलिया के स्थान पर नयी पुलिया के निर्माण कराने की मांग करती हूँ ।

श्री अखतरूल ईमान : माननीय अध्यक्ष महोदय, शिवहर जिलान्तर्गत नया गांव दलित बस्ती में जे0ई0 द्वारा बिजली बकाया वसूलने के क्रम में मारपीट की और पुलिस द्वारा अभी तक एफ0आई0आर0 भी दर्ज नहीं है ।

अतः दोषियों के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई एवं मृतक के परिवार को 20 लाख रुपया मुआवजा देने की मांग करता हूँ ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठ जाइये आप । आज पहली बार आप सीमांचल से बाहर गये ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य श्री विजय कुमार ।

श्री विजय कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, शेखपुरा जिलान्तर्गत बंगालीपर ग्यारह हजार बिजली की तार सैकड़ों घरों के ऊपर एवं घरों के अंदर से होकर गुजरती है, जिससे हमेशा दुर्घटना होते रहती है जिससे कई लोगों की मृत्यु हो चुकी है ।

अतः जनहित में अविलम्ब उक्त तार को अन्यत्र स्थानों पर स्थानान्तरित किया जाए ।

श्री मुहम्मद इजहार असफी : अध्यक्ष महोदय, कोचाधामन प्रखण्ड के डेरामारी में पावर–सब–स्टेशन का निर्माण कार्य हेतु स्वीकृति मिल चुकी है, निविदा प्रक्रिया में विलंब के कारण पी0एस0एस0 का निर्माण नहीं हो पा रहा है, जिससे डेरामरी, पाटकोई, मजगामा, तेघरिया आदि क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति बाधित रहती है ।

मैं सरकार से अविलंब पी0एस0एस0 के निर्माण की मांग करता हूँ ।

श्री सउद आलम : माननीय अध्यक्ष महोदय, किशनगंज जिलान्तर्गत 1. डे–मार्केट कद्दूभिट्टा 2. ठाकुरगंज मुरारीगच्छ 3. एन0एच0–327–ई गलगलिया मोड़ से नेपाल सीमा तक जाने वाली सड़क की चौड़ाई कम होने से आय दिन जाम की स्थिति रहती है । उक्त पथों के चौड़ीकरण की मांग सरकार से करता हूँ ।

अध्यक्ष : आप दोनों सदस्यों का शून्यकाल हमेशा एक साथ ही आता है । क्या साथ ही शून्यकाल डालने जाते हैं क्या ?

(व्यवधान)

माननीय सदस्या श्रीमती गायत्री देवी ।

श्रीमती गायत्री देवी : माननीय अध्यक्ष महोदय, सीतामढ़ी जिला के परिहार प्रखंड अंतर्गत नरंगा उत्तरी पंचायत के हनुमान मंदिर चौक से साहू टोला कच्ची सड़क है, आम जनता को आवागमन में कठिनाई होती है ।

अतः सीतामढ़ी जिला के नरंगा उत्तरी पंचायत के हनुमान मंदिर चौक से साहू टोली तक पक्की सड़क का निर्माण कराने की मांग करती हूँ ।

श्री प्रणव कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुगेर विश्वविद्यालय अंतर्गत आर0डी0 एवं डी0जे0 कॉलेज स्थित पी0जी0 छात्रावास जो खंडहर में तब्दील हो गया है । छात्रों को किराए के मकान में रहना पड़ता है ।

अतः सदन के माध्यम सरकार से उक्त छात्रावास का मरम्मतीकरण कर छात्रावास को रहने के लायक बनाने की मांग करता हूँ ।

श्री विद्या सागर केशरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, अररिया जिलान्तर्गत फारबिसगंज नगर परिषद स्थित सीताधार गाद एवं अतिक्रमण से संकीर्ण हो गया है जिससे शहर को प्रतिवर्ष बाढ़ का दंश झेलना पड़ता है । सीताधार को अतिक्रमण मुक्त करा कर जल–जीवन–हरियाली अभियान के तहत 100 फीट पक्की नहर एवं दोनों किनारे सड़क निर्माण की मांग सदन से करता हूँ ।

टर्न–8/अभिनीत/11.03.2025

श्री बीरेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदय, चौहरमल मेला (राजकीय) का आयोजन मोकामा टाल क्षेत्र (चाराडी) में प्रत्येक वर्ष आयोजित होती है । संपूर्ण राज्यों से श्रद्धालु आते हैं परंतु आवगमन हेतु पक्की सड़क नहीं बन पायी है ।

अतः मेला स्थल तक आवागमन हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग से मेला तक पक्की सड़क निर्माण करने की मांग सरकार से करता हूं ।

श्री महानंद सिंह : अध्यक्ष महोदय, राज्य के लगभग सभी सरकारी संस्थानों एवं अस्पतालों में फार्मेसी ऐक्ट 1948 का उल्लंघन हो रहा है । विगत 19 वर्षों से डिप्लोमा फार्मासिस्टों की नियुक्ति नहीं हो रही है ।

अतः उनकी तत्काल स्थायी नियुक्ति की मांग करता हूं ।

श्री प्रमोद कुमार सिन्हा : महोदय, पूर्वी चंपारण जिलांतर्गत आदापुर प्रखंड के श्यामपुर पंचायत के श्यामपुर बाजार से सटे अन्य पंचायतों के गांवों के जोड़ से 20 हजार से अधिक जनसंख्या निवास करती है । आबादी घनत्व को देखते हुए श्यामपुर बाजार के समग्र विकास हेतु नगर पंचायत की स्थापना करने की मांग करता हूं ।

श्री अमरजीत कुशवाहा : महोदय, आउसोर्सिंग से प्रत्येक सरकारी विद्यालयों में रात्रि प्रहरी की नियुक्ति सुरक्षा हेतु की गई है, जिनका 12 माह का मानदेय बकाया है । मानदेय सी0एफ0एम0एस0 द्वारा ससमय भुगतान करने, सुरक्षाकीट उपलब्ध कराने, योग्यता के अनुरूप परिचारी/निम्न वर्गीय लिपिक में समायोजन कर सेवा स्थायी करने की मांग करता हूं ।

श्री संदीप सौरभ : महोदय, नवादा जिलांतर्गत नारदीगंज प्रखंड में गंगाजल आपूर्ति योजना–2 से जलाशय निर्माण के लिए 1500 परिवारों वाला मधुवन व मोतनाजे गांव, संरक्षित शिव तथा सूर्य मंदिर व राजगीर के प्रसिद्ध 52 में से 3 गर्म कुंड नष्ट किये जा रहे हैं । योजना तत्काल रद्द हो या गहलौर घाटी में स्थानांतरित हो ।

सुश्री श्रेयषी सिंह : महोदय, बिहार राज्य भर के किसानों को सशक्त बनाने एवं मजदूरों को उनके अपने गांव में काम देने हेतु कृषि कार्य को मनरेगा से जोड़ने की मांग मैं सरकार से करती हूं ।

श्री शिवप्रकाश रंजन : महोदय, भोजपुर जिलांतर्गत प्रखंड चारपोखरी के ग्राम नौआ बारी पुल से कुसमही–कथहरी होते हुए सोनवर्षा नहर पुल तक सड़क निर्माण की मांग करता हूं ।

श्री राम सिंह : महोदय, बिहार राज्य में नियुक्त गृह रक्षक बलों को बिहार पुलिस बल के समरूप महंगाई भत्ता, कर्त्तव्य भत्ता, अवकाश भत्ता, सेवानिवृत्ति लाभ सहित महिला गृह रक्षकों को विशेष अवकाश तथा मातृत्व अवकाश का लाभ दिए जाने की मांग सदन के माध्यम से सरकार से करता हूं ।

श्री अजीत कुमार सिंह : महोदय, बिहार की ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में अहम भूमिका निभा रही 1.50 लाख जीविका कैडरों और दीदियों को जीविका मिशन का बेसिक कैडर घोषित करने तथा उनके मानदेय के कंट्रीब्यूशन सिस्टम को समाप्त कर इन्हें 25000 रुपये मासिक मानदेय दिए जाने की मांग करता हूं ।

श्रीमती रश्मि वर्मा : महोदय, नरकटियागंज में आवारा पशुओं के आतंक से शहर के आमजनों का जीना दूभर हो गया है ।

अतः नरकटियागंज में आधुनिक पशुशाला का निर्माण कराकर, आवारा पशुओं को पकड़ कर पशुशाला में रखने की मांग सदन के माध्यम से करती हूं ।

श्री समीर कुमार महासेठ : महोदय, मधुबनी विधान सभा क्षेत्र के नगर निगम, मधुबनी के अंतर्गत स्वच्छ पर्यावरण एवं लोगों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु नगर क्षेत्र में अवस्थित सभी पार्कों का सौंदर्यीकरण किया जाय ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्या श्रीमती ज्योति देवी ।

(माननीय सदस्या अनुपस्थित)

माननीय सदस्य श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता ।

श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता : महोदय, पंचायती राज विभाग के निर्देशानुसार बिना नियमित भत्ता के ग्राम रक्षा दल सह पुलिस मित्र थाना अध्यक्षों के आदेश से विधि व्यवस्था कार्य करते हैं । उनका पंचायत भवनों, अस्पतालों, विद्यालयों के सुरक्षा–सफाईकर्मी व राहत कर्मी आदि के रूप में समायोजन कर दैनिक व मासिक मानदेय निर्धारण करने की मांग करता हूं ।

श्री सत्यदेव राम : महोदय, सीवान जिलांतर्गत जिला मुख्यालय में कोई ऐसा भवन नहीं है जिससे चार पांच हजार लोगों के बैठने की व्यवस्था हो । सरकारी, गैरसरकारी कार्यक्रम करने लिए खुले मैदान का सहारा है । चम्पारण बापू सभागार जैसा मौलाना मजरूल हक सभागार की आवश्यकता है ।

अतः मुख्यालय में सभागार की मांग करता हूं ।

श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी : महोदय, जमुई जिला के सिकन्दरा प्रखंड के सिकन्दरा नगर पंचायत में सी0एच0सी0 (कम्यूनिटी हेल्थ सेन्टर) की घेराबंदी जर्जर होकर धराशायी हो गयी है । बरसात के दिनों में कैंपस तालाब बन जाता है ।

अतः सिकन्दरा नगर पंचायत में सी0एच0सी0 की घेराबंदी कराने की मांग करता हूं ।

श्री भूदेव चौधरी : महोदय, पूरे बिहार में लगभग 8,100 स्वच्छता पर्यवेक्षक कार्यरत हैं जो अपने कार्यों को निष्ठा से निभा रहे हैं फिर भी उन्हें सम्मानजनक मानदेय नहीं मिलता है जिससे वे भुखमरी का शिकार हो रहे हैं ।

अतः मैं उन्हें प्रति माह 20,000 रुपये मानदेय देने की मांग सरकार से करता हूं ।

श्री राम रतन सिंह : महोदय, तेघड़ा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत तेघड़ा प्रखंड के निपनियां–मधुरापुर पंचायत के गुप्ता बांध पर बसे सैकड़ों भूमिहीन कटाव पीड़ितों को अबतक सुरक्षित स्थान पर नहीं बसाया गया है ।

अतः मैं सदन के माध्यम से उक्त कटाव पीड़ितों को शीघ्र सुरक्षित स्थान पर बसाने की मांग सरकार से करता हूं ।

श्री राजेश कुमार गुप्ता : महोदय, रोहतास जिला मुख्यालय सासाराम में महान शासक शेरशाह सूरी के नाम पर एक विश्वविद्यालय के निर्माण की मांग करता हूं । रोहतास जिले में कोई भी विश्वविद्यालय नहीं होने की वजह से यहां के छात्रों को आरा और गया जाना पड़ता है ।

श्री पवन कुमार यादव : महोदय, भागलपुर जिला के सन्हौला प्रखंड अंतर्गत अमडीहा में जहदा नदी पर पुलिया का निर्माण एवं महेशपुर धनश्यामाचक पंचायत अंतर्गत ग्राम बनगांव में लाड़न नदी पर पुलिया का निर्माण कराये जाने की सरकार से मांग करता हूं ।

श्री महबूब आलम : महोदय, लोरिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत स्वच्छता पर्यवेक्षक एवं कर्मियों को संविदा के आधार पर बहाल किया गया है परंतु अभी जिलाधिकारियों

को भेजे गये दुर्भाग्यपूर्ण एवं विवादास्पद पत्र के माध्यम से उन्हें संविदाकर्मी के रूप में मान्यता नहीं दी गयी है ।

उन्हें सरकारी सेवक का दर्जा सरकार दे ।

श्री रामबली सिंह यादव : महोदय, माइक्रोफाइनेंस कंपनियों के कर्ज से तबाह तथा कृषि अथवा सामाजिक विकास में महिलाओं के योगदान को देखते हुए फाइनेंस का कर्ज माफ करने तथा झारखंड की तर्ज पर सम्मान स्वरूप सभी महिलाओं को प्रति माह 2500 रुपये देने की मांग सरकार से करता हूं ।

श्री ललित नारायण मंडल : महोदय, स्वच्छता पर्यवेक्षकों, शारीरिक शिक्षकों एवं मानव बल विद्युत कर्मियों को प्रति माह 20 हजार रुपये का नियमित भुगतान तथा स्वच्छता कर्मियों को प्रति माह 10 हाजर रुपये के नियमित भुगतान की मांग सदन के माध्यम से सरकार से करता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब ध्यानाकर्षण सूचनाएं ली जायेंगी और ध्यानाकर्षण के उपरांत समय बचने पर अगर सदन की सहमति हो तो शेष शून्यकाल की सूचनाएं ली जायेंगी ।

(सदन की सहमति हुई)

ध्यानाकर्षण सूचनाएं तथा उसपर सरकारी वक्तव्य

सर्वश्री अजय कुमार, समीर कुमार महासेठ, एवं अन्य अन्य पांच सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना पर सरकार (ग्रामीण विकास विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री अजय कुमार, आपकी सूचना पढ़ी हुई है । माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग ।

टर्न–9 / हेमन्त / 11.03.2025

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के द्वारा जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया गया है उसके बारे में माननीय सदस्य को मैं बताना चाहता हूं कि लोहिया स्वच्छ अभियान बिहार अंतर्गत ग्राम पंचायतों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन हेतु घर–घर से कचरा उठाव, उसका परिवहन, संग्रहण एवं पृथक्करण का कार्य स्वच्छताकर्मी द्वारा किया जाता है । कार्य योजना निर्माण, प्रसंस्करण के क्रियान्वयन की निगरानी, पर्यवेक्षण, रिकॉर्ड कीपिंग आदि स्वच्छता पर्यवेक्षक द्वारा किया जाता है । अपशिष्ट के समुचित निष्पादन के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर निर्मित अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई एवं अन्य संसाधनों के संचालन एवं अनुरक्षण, जन–जागरूकता से संबंधित कार्यों का निष्पादन भी स्वच्छता पर्यवेक्षक द्वारा किया जाता है ।

ग्रामीण विकास विभाग के ज्ञापांक 36 / सी0 दिनांक–20.12.2021 एवं लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के पत्रांक– BRLPS/LSBA/Proj/152/2020/264 दिनांक–26.10.2023 के माध्यम से ग्राम पंचायत एवं वार्ड स्तर पर मानव बल चयन

संबंधित विवरणी उपलब्ध करायी गयी थी । जिसके आलोक में ग्राम पंचायत की अनुशंसा पर स्वच्छता पर्यवेक्षक का चयन किया गया है एवं उनसे कार्य आधारित काम लिया जाता है । स्वच्छता पर्यवेक्षक को न्यूनतम 5000/- रुपये प्रतिमाह एवं अधिकतम 7500/- रूपये प्रतिमाह (कार्य आधारित), स्वच्छता कर्मियों को न्यूनतम 1500/- रूपये प्रतिमाह एवं अधिकतम 3000/- रूपये प्रतिमाह (कार्य आधारित) मानदेय निर्धारित है । प्रथम वर्ष में SBM-(G) से, तदोपरांत मानदेय का भुगतान 15वीं वित्त आयोग से टायड फंड के O&M मद में कर्णांकित राशि एवं यूजर चार्जेज से प्रावधान किया गया है । जनवरी 2025 से दिसम्बर 2025 तक राज्य सरकार के संसाधन से मानदेय का भुगतान करने का निर्णय लिया गया है ।

श्री अजय कुमार : महोदय, मैं आसन से पहले जानकारी लेना चाहता हूं कि यह ध्यानाकर्षण पिछले दिनों आया था और उस दिन सरकार की तरफ से समय ले लिया गया था और जिस दिन समय लिया गया, उसी रोज शाम में एक पत्र निर्गत करके यह बता दिया गया कि यह हमारे नियोजित कर्मी नहीं हैं । उसकी कॉपी मेरे पास है । मैं आपके माध्यम से और आपसे ही मैं जानना चाहता हूं कि जब ध्यानाकर्षण हाउस में आ गया, वह प्रश्न सदन में आ गया जिसके कस्टोडियन आप होते हैं । तब फिर उस प्रश्न को टेंपर किया जा सकता है क्या ?

अध्यक्ष : हम तो भेज देते हैं विभाग को । आप तो जैसे ही देंगे, जवाब के लिए विभाग को ही जायेगा न ।

श्री अजय कुमार : सर, जवाब के लिए नहीं । मेरा था कि वह नियोजित किये गये और अभी एक पत्र आ गया, उसी रोज निकल गया कि अब ये नियोजित हमारे नहीं हैं, तो यह हमको लग रहा है कि शायद जब हाउस में आ गया तब गवर्नमेंट को एक्शन में आकर....

अध्यक्ष : नहीं, नहीं ऐसा नहीं है । पहले यह पंचायती राज विभाग को गया था, वहां से ट्रांसफर होकर ग्रामीण विकास विभाग को आया है । आपको जो पूछना है, सरकार से पूछिये ।

श्री अजय कुमार : नहीं, सरकार से तो हम पूछेंगे, लेकिन व्यवस्था का सवाल है । इसलिए मैं आपसे जानना चाह रहा था कि क्या यह संभव है । मैं समझता हूं कि यह बीच में जब यह क्वेश्चन आ गया हाऊस में, तब उसके बारे में कोई निर्णय सरकार को रिमूवल की कार्रवाई का कोई पत्र नहीं देना चाहिए था । जहां तक मैं समझता हूं कि उसको नियोजन किया गया था । ग्रामीण विकास विभाग के सचिव, उन्होंने जो दिया था 08.11.2022 को जिसका पत्रांक-1352664 है, जिसमें उन्होंने संविदा के आधार पर नियोजन किया था, एक यह है । जब नियोजन आपने किया और फिर आपके फैसले से पंचायत में मानव बल, जिसकी चर्चा कर रहे हैं, आपने किया और स्वच्छताकर्मी जो हैं, वह कौन हैं, सच अगर पूछिये, तो उसमें सबसे ज्यादा दलित और महादलित हैं, सबसे ज्यादा उसमें भूमिहीन परिवार के लोग काम करते हैं, लेकिन सरकार ने जो उसके लिए मानदेय तय किया है, जैसा कि मंत्री जी अभी बता रहे थे, 1500 रूपये से 3000 रूपये तक । मतलब एक व्यक्ति को काम करने के लिए अधिकतम आप देते हैं 50 रूपये से 100 रूपये तक ।

अध्यक्ष : जानना क्या चाहते हैं, पूरक पूछिये न ।

श्री अजय कुमार : मैं जानना चाहता हूं कि क्या एक मजदूर का, जो दैनिक मजदूरी होती है, चूंकि आप उससे भरदिन काम लेते हैं और कई तरह का काम लेते हैं । न सिर्फ आप उससे कचरा उठवाते हैं, बल्कि कचरा को दो तरह गीला और वह करना, करवाते हैं ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्री अजय कुमार : तो क्या आप उसके मानदेय को, स्वच्छताकर्मी और उसके सुपरवाइजर इन दोनों के मानदेय को बढ़ाने का विचार रखते हैं कि नहीं ?

श्री विजय कुमार चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं केवल एक सूचना पर खड़ा हूं । अजय जी ने जो बातें कही हैं ग्रामीण विकास विभाग या स्वच्छताकर्मी के बारे में उसका तो उत्तर माननीय मंत्री जी देंगे, लेकिन एक बात जो उन्होंने कही, वह कुछ सत्य से परे है कि अगर कोई प्रश्न विधानमंडल में या सभा में या परिषद् में पूछ दिया गया, तो सरकार को उस विषय पर आगे की कोई कार्रवाई करने की मनाही नहीं होती है ।

अध्यक्ष : यह तो हो ही नहीं सकता है ।

श्री विजय कुमार चौधरी : कोई प्रश्न पूछ देना, ये कोई न्यायालय के द्वारा स्टेटस को मेंटेन करने का ऑर्डर नहीं होता है । आपको तो अच्छा लगना चाहिए कि जो आपने प्रश्न पूछा, तो उस बात को सरकार ने संज्ञान में लिया है । उस पर जो सरकार ने उचित समझा वह निर्णय लिया है ।

श्री अजय कुमार : आप तो उस पत्र से अधिकार से वंचित कर दिये न ।

अध्यक्ष : अब जवाब देने दीजिए न ।

श्री अजय कुमार : वह ठीक है कि जवाब देंगे, लेकिन हाऊस में मैं यह बात रखना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय के माध्यम से कि जब उनके पक्ष में मैंने प्रश्न किया और तब आप एक लेटर निकालते हैं कि वह मेरे नियोजित कर्मी नहीं हैं । मतलब कि आप उसको रिमूव करने की बात करते हैं । हम मांग रहे हैं कि आप उसके मानदेय को बढ़ाइये...

अध्यक्ष : बैठ जाइये । जवाब देने दीजिए सरकार को ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जो यह ध्यानाकर्षण है यह परिषद् में भी आया था, तारांकित प्रश्न था और आज भी शून्यकाल में माननीय सदस्य भूदेव जी, माननीय सदस्य महबूब साहब, महबूब साहब का तो दस्तखत भी है ध्यानाकर्षण पर, उनको धैर्य रखना चाहिए और माननीय सदस्य ललित नारायण मंडल जी का भी शून्यकाल है । महोदय, यह जो माननीय सदस्य ने सवाल किया है, यह सुबह से शाम तक का काम नहीं करते हैं । इनका काम 50 से 100 घर का रहता है और घर–घर से कचरा उठाव करते हैं और डब्लूपीओ तक ले जाकर कचरा को छोड़ देते हैं । जब डब्लूपीओ तक कचरा पहुंचता है, तो वहां उसको छांटने वाले अलग से दो रहते हैं, अलग से वह काम करते हैं । अभी जो उनका निर्धारित मानदेय है, वह हम उन्हें दे रहे हैं । इनको तो प्रसन्नता होनी चाहिए, खुशी होनी चाहिए कि उनको जो मानदेय मिलता था वह भी बीच–बीच में बंद हो जाता था । मुख्यमंत्री

जी को धन्यवाद देना चाहिए था कि जनवरी 2025 से लेकर दिसम्बर तक एकमुश्त राशि सरकार के संसाधन से उनको भुगतान करने का निर्णय लिया गया । इनको तो प्रसन्नता जाहिर करनी चाहिए, तो दूसरे–दूसरे सवाल में उलझाये रखते हैं । इनको हम और दूसरी–दूसरी सुविधा भी हम देते हैं । सिर्फ और सिर्फ इनको मानदेय देकर छोड़ नहीं देते हैं ।

(क्रमशः)

टर्न–10 / संगीता / 11.03.2025

(क्रमशः)

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : उनका मेडिकल चेकअप हर महीने कराते हैं और उसके अलावे भारत सरकार के द्वारा और राज्य सरकार की योजनाओं से जितनी चीजें मिलती हैं, सुविधाएं मिलती हैं नागरिकों को महोदय, उन सुविधाओं में इनको प्रायोरिटी पर लेते हैं । एक भी सुविधा से वंचित नहीं रहें इसका भी उपाय हम करते हैं तो हम जो गरीब हैं, लाचार हैं, परेशान हैं, उनकी चिन्ता भी सरकार करती है और सिर्फ और सिर्फ हमलोग गरीबों की चिन्ता नहीं करते हैं, उनकी सुविधा को भी बढ़ाने की दिशा में कार्रवाई किया है कि इनको सुविधा मिले ।

श्री अजय कुमार : महोदय, हमको लगता है कि माननीय मंत्री जी गांव में शायद नहीं रहते हैं। अगर गांव में रहते तो पता होता कि एक वार्ड में कितने घर हैं...

अध्यक्ष : ये रोज ही चले जाते हैं अपने गांव ।

श्री अजय कुमार : विजय बाबू भी जाते हैं गांव...

अध्यक्ष : मेरी शिकायत तो है कि पटना में कब रहते हैं और आप कह रहे हैं कि ये गांव में रहते कहां हैं ।

श्री अजय कुमार : महोदय, बिहार के किसी एक वार्ड में 50 घर नहीं है । मिनीमम 100 और सर आप जो कह रहे हैं एक जांच करवा सकते हैं, वह कितने घंटे काम करता है । गांव में रिएलिटी है कि वहां हमलोग देखते हैं, सुबह से लेकर वह 4 बजे तक आपका कचरा घर–घर जाकर ढ़ोता है और सिर्फ कचरा ढ़ोना एक बात है उसको अलग से जो एक काम दिए हुए हैं कि टैक्स हर घर–घर से एक–एक रुपया मांगने का, वह एक अलग जिम्मेदारी दिए हुए हैं, वह जिस सामाजिक परिवेश से आया है...

अध्यक्ष : क्या जानना चाहते हैं आप । आप क्या पूछ रहे हैं ?

श्री अजय कुमार : मैं यह पूछना चाहता हूं कि उसको उस काम से उसको अलग करते हुए जो पैसा वसूलने के लिए जिम्मेदारी हुए हैं उस काम से उसको अलग करते हुए आप जो अलग व्यवस्था जिसकी बात अभी आपने किया एकमुश्त पैसा मिलेगा तो वह ठीक है उसका मैं स्वागत करता हूं...

अध्यक्ष : पूरक पूछिए ।

श्री अजय कुमार : लेकिन मेरा फिर से यह है कि कोई एक इंसान को आप इतना काम लेकर के काम लेते हैं लेकिन 50 रुपया रोज आप देते हैं । 50 रुपया रोज पर कोई इंसान कैसे काम कर सकता है...

अध्यक्ष : अजय जी पूरक पूछिए ।

श्री अजय कुमार : इसीलिए सीधा मेरा पूरक है कि आप उसके मानदेय को कम से कम आप 5 से 7 हजार रुपया प्रत्येक स्वास्थ्यकर्मी का और फिर जो आपका सुपरवाइजर है उसके लिए कम से कम 18 हजार रुपया करने की मंशा रखते हैं कि नहीं ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने स्पष्ट उत्तर दिया है और मैंने कहा है माननीय सदस्य समस्तीपुर इलाके से जीतकर आते हैं । जितना समस्तीपुर में वे नहीं घूमे होंगे गांव में उससे ज्यादा गांव मैं घूम गया हूंगा महोदय और हमारे बारे में शायद उनको जानकारी भी है लेकिन साक्ष्य को छिपा रहे हैं महोदय । मैं घूमता ही रहता हूं और अपने विभाग की योजनाओं के अलावे अन्य योजनाओं के बारे में न सिर्फ देखता हूं बल्कि घूम–घूम करके उसकी गुणवत्ता को भी चिन्हित करते रहते हैं, जाते रहते हैं और जहां तक यह गरीबों का सवाल है ये जो हमारे कर्मी हैं, हमारे जो स्वच्छता कर्मी हैं इनके लिए हमने सुविधा बढ़ायी है और इनको जीविका में भी इनके अगर पति यहां पर काम करें तो उनकी पत्नी को जीविका में भी शामिल किया है और जो भी सुविधा है सरकार की है, उसको हम दे रहे हैं और काम भी जितना आवश्यकता है वह भी हमलोग ले रहे हैं लेकिन माननीय सदस्य की चिन्ता है कि उनकी मजदूरी बढ़े लेकिन हम तो चिन्ता यह करते हैं कि उनको समय पर मजदूरी मिल जाए इसकी चिन्ता हमारी है और उसके लिए राज्य सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एकमुश्त करने का फैसला लिया है और जहां तक दूसरा सवाल उठा रहे हैं कि जो यूजर चार्ज है वह वसूल नहीं करना पड़े तो यूजर चार्ज से तो एक साल के लिए हम उनको मुक्त कर रहे हैं और यह योजना ही है यूजर चार्ज आधारित और 15वीं वित्त की राशि से, टाईड योजना से उनको भुगतान करने का सरकार ने निर्णय लिया है, भारत सरकार ने निर्देश दिया है तो उससे भी कोशिश हमलोग करते हैं लेकिन उस कोशिश में पूरी तरह कामयाबी नहीं मिली, समय पर इनको भुगतान नहीं हुआ तब राज्य सरकार ने यह फैसला लिया कि हमको एकमुश्त अभी पूरी दिसंबर, 2025 तक उनको भुगतान करे ।

श्री अजय कुमार : नहीं, नहीं सर, सर...

अध्यक्ष : आप बैठिए अजय जी, अब बैठिए अजय जी ।

श्री अजय कुमार : नहीं सर...

अध्यक्ष : समीर कुमार महासेठ जी बोलिए ।

श्री अजय कुमार : नहीं, नहीं मेरा सर...

अध्यक्ष : अब हो गया आपका, अजय जी आपका हो गया । श्री समीर कुमार महासेठ ।

श्री समीर कुमार महासेठ : अध्यक्ष महोदय, निश्चित तौर पर माननीय मंत्री जी का जवाब चूंकि हमारा कहना है कि...

अध्यक्ष : अजय जी बैठ जाइए ।

श्री समीर कुमार महासेठ : जब मिनिमम वेजेज का अर्थ क्या है, माननीय मंत्री जी शायद इसीलिए नियोजन से हटा दिए । उनका जब यह ध्यानाकर्षण...

अध्यक्ष : आप पूरक पूछिए न ।

श्री महबूब आलम : महोदय...

श्री समीर कुमार महासेठ : मेरा स्पष्ट पूरक है कि क्या मिनिमम वेजेज...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : महबूब साहब बैठिए । इनके बाद पूछिएगा, इनका भी नाम है । आप बैठिए ।

श्री समीर कुमार महासेठ : देखते हुए सरकारी प्रावधान के हिसाब से लेबर कार्ड कब तक उसका खोलवाएगी अनस्किल स्किल का पहला, दूसरा उसको आयुष्मान भारत से कब तक जोड़ेगी चूंकि आपने कहा है कि हम उसको पूर्णतः सुरक्षित रखते हैं और 8 घंटा आप ड्यूटी लेते हैं...

अध्यक्ष : बैठिए, हो गया, हो गया ।

श्री समीर कुमार महासेठ : और 50 रुपया केवल देते हैं इसलिए मेरा दोनों पर है कि आयुष्मान भारत से कब तक जोड़ेगे और...

अध्यक्ष : श्री सूर्यकान्त पासवान ।

श्री समीर कुमार महासेठ : लेबर कार्ड से उसको कब तक पूरे बिहार में खोलवा देंगे ।

अध्यक्ष : बैठ जाइए । सूर्यकान्त जी आप बोलिए ।

श्री सूर्यकान्त पासवान : अध्यक्ष महोदय, स्वच्छता कर्मी स्वच्छता ग्राही का सवाल है, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं आप 15वीं वित्त आयोग से पैसे देने की बात कह रहे हैं । 15वीं वित्त आयोग की राशि सीमित रहती है महोदय, उसमें सालों भर हमारे स्वच्छता कर्मी और स्वच्छता पर्यवेक्षक को मानदेय नहीं मिल सकता है । मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यह आसान तरीका है कि आप प्रखंड संसाधन के माध्यम से उसको मानदेय देने का विचार रखते हैं एक बात...

अध्यक्ष : श्री महबूब आलम ।

श्री सूर्यकान्त पासवान : दूसरी बात है, दूसरा पूरक है महोदय...

अध्यक्ष : एक–एक पूछिए सब लोग ।

श्री सूर्यकान्त पासवान : हमारी सरकार, राज्य की सरकार कह रही है सबसे निचले पायदान पर जो लोग हैं वैसे लोग ही उस काम में लगे हुए हैं...

अध्यक्ष : पूरक पूछिए ।

श्री सूर्यकान्त पासवान : पूरक मेरा यही है महोदय कि सरकार का जो न्यूनतम मजदूरी है क्या वह न्यूनतम मजदूरी सरकार देना चाहती है ?

अध्यक्ष : श्री महबूब आलम ।

श्री महबूब आलम : महोदय, यह सरकार है कोई एन0जी0ओ0 नहीं है तो आपने जब संविदा के आधार पर एक पत्र के माध्यम से उनको बहाल किया है या नियोजित किया है फिर दूसरा एक पत्र जाता है कि संविदा पर आप नहीं है तो सरकार पहले तो यह जवाब दे कि उनकी स्थिति क्या है, एक बात महोदय, दूसरी बात यह है कि यह जो काम है यह बहुत गंभीर खतरे का काम है । ये घर–घर जाकर कचरा उठाई...

अध्यक्ष : पूरक पूछिए, महबूब साहब ।

श्री महबूब आलम : महोदय, यह गंभीर मामला है...

अध्यक्ष : और 3 ध्यानाकर्षण है ।

श्री महबूब आलम : महोदय, ये इन्फेक्टेड होने की पूरी संभावना रहती है, ये भयंकर रोग के कीटाणुओं से इन्फेक्टेड हो जाने की संभावना से हमेशा जूझते रहते हैं और इनको आप कोई साबुन नहीं दे रहे हैं, और गलब्स आप नहीं दे रहे हैं और 30 रुपया शुल्क जो आपने वसूल करने की जिम्मेदारी दी है इसकी वजह से गृहणियां इनको कचरा नहीं देती हैं...

अध्यक्ष : पूरक क्या है ?

श्री महबूब आलम : मेरा पूरक यह है कि क्या 30 रुपया वसूल करने की जिम्मेदारी से उनको मुक्त करना चाहती है सरकार और क्या सरकार इसको संविदा पर बहाल मानती है कि नहीं ?

अध्यक्ष : बैठ जाइए ।

(व्यवधान)

आप बैठिए, आप बैठिए, बैठ जाइए आपका नहीं है ।

(व्यवधान)

आप बैठ जाइए न । माननीय मंत्री जी ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य घूम–फिरकर वही सवाल उठा रहे हैं। माननीय महासेठ जी ने उठाया कि उनको जो सुविधा आप दे रहे हैं तरह–तरह की सुविधा भारत सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं से दे रहे हैं तो ये सुविधा कब तक आप देंगे तो वह सुविधा तो उनको हम दे रहे हैं । महोदय, अगर इनके संज्ञान में कोई ऐसे हमारे स्वच्छताकर्मी हैं जो सुविधा से अभी वंचित हैं नहीं मिल रहा है तो ये अगर हमको उनके बारे में बता देंगे तो उनको भी सुविधा बहुत जल्द ही महीने के अंदर–15 दिन के अंदर ये सुविधा मिलना उनको भी शुरू हो जाएगा । दूसरा, जो माननीय पासवान जी ने सवाल उठाया यूजर चार्ज के बारे में तो यह तो नियमावली बना हुआ है महोदय, हम तो बिहार की सरकार को उनको धन्यवाद देना चाहिए कि एक साल के लिए यानी पूरा 2025 के लिए मुख्यमंत्री जी ने राज्य के संसाधन से उनको भुगतान करने का निर्णय लिया है और यूजर जो चार्ज है और टाईड योजना से 15वीं से पैसा का जो भुगतान है उसमें नियमावली में प्रावधान है कि 50 प्रतिशत राशि जो ग्राम पंचायत को मिलता हे उसमें 50 प्रतिशत राशि स्वच्छता पर खर्चा करना है और 50 प्रतिशत की राशि पेयजल पर खर्चा करना है तो ये नियमावली को भी नहीं मानेंगे तो ये मानेंगे क्या ? तो जो बिहार सरकार, भारत सरकार का जो नियमावली है और जो सरकार का प्रावधान है उसके हिसाब से उनको हर तरह की सुविधा और मानदेय दिया जा रहा है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कुंदन कुमार अपनी सूचना को पढ़ें ।

(व्यवधान)

हो गया, 20 मिनट चर्चा कर लिया आपने । अब आगे बढ़िए। कुंदन कुमार जी पढ़िए।

टर्न–11 / सुरज / 11.03.2025

सर्वश्री कुंदन कुमार, शंकर सिंह एवं अन्य दो सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार (मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

श्री कुंदन कुमार : महोदय, बिहार राज्य के समग्र एवं समावेशी विकास की प्रतिबद्धता के मद्देनजर बेगूसराय जिला में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की अत्यंत आवश्यकता है । बेगूसराय बिहार राज्य का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक, व्यापारिक और सांस्कृतिक केन्द्र है, जहां बरौनी रिफाइनरी, पेप्सी प्लांट, सुधा डेयरी, HURL, थर्मल पावर प्लांट और अन्य बड़े उद्योग स्थापित है । साथ ही पर्यटन के दृष्टिकोण से सिमरिया धाम जैसे धार्मिक स्थल हैं, जहां देश एवं विदेश के पर्यटक आते हैं । बेगूसराय औद्योगिक क्षेत्र होने के नाते देश के विभिन्न राज्यों के लोग आवासित हैं, जिनकी संख्या काफी अधिक है । बेगूसराय में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के संचालन से रोजगार के अवसर, पर्यटन को बढ़ावा, आर्थिक विकास में सहायता, आपदा प्रबंधन क्षेत्रों में काफी लाभ होगा तथा व्यापारिक और औद्योगिक गतिविधियों को नई दिशा प्रदान करेगा । बेगूसराय जिला में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के निर्माण हेतु आवश्यक बुनियादी ढांचा सहित पर्याप्त भूमि उपलब्ध है ।

अतः राज्यवासियों के हित में औद्योगिक जिला एवं बुनियादी ढांचा सहित पर्याप्त भूमि की उपलब्धता के मद्देनजर बेगूसराय में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की स्थापना किये जाने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हैं ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, बेगूसराय में अभी एक हवाई अड्डा उपलब्ध है, जिसमें रनवे की लंबाई 4 हजार फीट और चौड़ाई 150 फीट है, जो छोटे विमानों के लिये है, स्पष्ट है । जो माननीय सदस्यों का कहना है सरकार कोई इससे नाइत्तेफाकी नहीं रखती है लेकिन हम उससे पहले केन्द्र सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं, पूरे सदन ने सुना होगा कि इस बार जब निर्मला सीतारमण जी, जो केन्द्रीय वित्त मंत्री हैं, वह 2025–26 का बजट पिछले महीने फरवरी में पेश कर रहीं थी तो उन्होंने यह कहा है कि बिहार में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट को विकसित करने के लिये हम मदद करेंगे । उसी के हिसाब से, उसी परिप्रेक्ष्य में हमलोगों की सरकार ने मुख्य सचिव के माध्यम से केन्द्र सरकार को लिखा है कि आप इसमें संभाव्यता या उपयुक्तता किन स्थलों की हो सकती है उसके बारे में आप एक अध्ययन कर लीजिये, जो उनका एयरपोर्ट ऑथिरिटी ऑफ इंडिया करता है । जो माननीय सदस्य का कहना है उस परिप्रेक्ष्य में हमलोग अलग से बेगूसराय के बारे में भी लिख दें कि वहां पर संभाव्यता या उपयुक्तता कितनी है, वो वहां का नागर विमानन मंत्रालय जो है केन्द्र सरकार का दरअसल वही लोग निर्णय लेते हैं कि कहां पर यह बनेगा तो उसमें बेगूसराय के मामले को भी ध्यान में रखने के लिये सरकार लिखेगी ।

अध्यक्ष : श्री संतोष कुमार मिश्र ।
श्री कुंदन कुमार : महोदय...
अध्यक्ष : हो गया कुंदन जी । अब क्या, यही तो आप चाह रहे हैं जो सरकार कह रही है । सूचना पढ़िये संतोष जी ।

सर्वश्री संतोष कुमार मिश्र, आनन्द शंकर सिंह एवं अन्य दो सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उस पर सरकार (स्वास्थ्य विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

श्री संतोष कुमार मिश्र : अध्यक्ष महोदय, राज्य के सभी चिकित्सीय संस्थानों एवं अस्पतालों में फार्मेसी एक्ट 1948 की धारा 42 के तहत दवा का रख–रखाव एवं वितरण डिप्लोमा फार्मासिस्ट से कराया जाना है परन्तु राज्य में मात्र 600 ही कार्यरत फार्मासिस्ट हैं । अस्पतालों में पद रिक्त रहने के कारण मरीजों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है । माननीय उच्च न्यायालय द्वारा वाद सं0–C.W.J.C. No-7394/2018 में पारित न्यायादेश में सरकार को स्पष्ट आदेश दिया गया है कि लोक सभा चुनाव खत्म होने के तीन माह के अंदर नया विज्ञापन प्रकाशित कर नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण की जाय, परंतु अब तक फार्मासिस्ट पद का विज्ञापन प्रकाशित नहीं हुआ है ।

अतः माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त न्यायादेश के आलोक में राज्य के सभी चिकित्सीय संस्थानों एवं अस्पतालों के रिक्त पदों पर विज्ञापन प्रकाशित कर फार्मासिस्टों की नियमित नियुक्ति किये जाने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हैं ।
श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, समय चाहिये ।

शेष शून्यकाल की सूचनाएं

अध्यक्ष : अब शून्यकाल की शेष सूचनाएं ली जायेंगी ।
श्रीमती नीतु कुमारी : अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में अवस्थित टी0एस0 कॉलेज, हिसुआ, नवादा में शिक्षकों के सृजित पदों की संख्या 73 के विरूद्ध सिर्फ 16 शिक्षकों के ही कार्यरत रहने से विद्यार्थियों के पठन–पाठन की परेशानियों को दूर करने हेतु शिक्षकों के रिक्त पदों पर शीघ्र पदस्थापन की मांग सरकार से करती हूं।
श्री जय प्रकाश यादव : : अध्यक्ष महोदय, अररिया जिलान्तर्गत नरपतगंज प्रखंड के फरही पंचायत वार्ड सं0–2 स्थित कुंडलीपुर गांव के महर्षि मेंही चौक के पास सिमरबन्नी वितरणी पर सायफन निर्माण की मांग सदन के माध्यम से करता हूं ।
श्री मुकेश कुमार यादव : : अध्यक्ष महोदय, रमजान में मुस्लिम शिक्षकों को एक घंटा पूर्व विद्यालय छोड़ने की सुविधा थी परन्तु अभी विद्यालय के शिक्षकों को इस सुविधा से वंचित रखा गया है, जिसके कारण रोजदार शिक्षकों को कठिनाई होती है । अस्तु पूर्व की तरह विद्यालय छोड़ने की सुविधा देने की मांग सरकार से करता हूं ।

श्रीमती प्रतिमा कुमारी : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माध्यम से जनता को होनेवाली परेशनियों को देखते हुये वैशाली जिला के हाजीपुर प्रखंड के वार्ड नं0–43 मुहल्ला चिस्ती महादलित टोला होते हुये दिवान टोक तक जाने वाली जर्जर एवं जीर्णशीर्ण सड़क का जीर्णोद्धार करने की मांग सरकार से करती हूं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री उमाकान्त सिंह ।

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

श्री विनय बिहारी : अध्यक्ष महोदय, योगापट्टी अंचल अंतर्गत मंगलपुर वितरणी एवं उप वितरणी पर स्थित खराब पड़े पुलों यथा–डुमरी, अहिरौली, विश्रामपुर, मच्छरगांवा, मटकोटा, सिरिसियां, बरई टोला भवानीपुर तथा भवानीपुर बाजार में साढ़े पांच मीटर चौड़ा और सात मीटर लंबा पुल ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा शीघ्र बनवाने की मांग करता हूं ।

श्री राम विशुन सिंह : अध्यक्ष महोदय, भोजपुर जिलान्तर्गत वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा के शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों का वेतन विगत तीन माह से भुगतान नहीं हुआ है । सेवानिवृत्त कर्मचारियों की स्थिति दयनीय हो गयी है ।

अतः वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों का वेतन शीघ्र भुगतान करने की मांग सरकार से करता हूं ।

श्री रणविजय साहू : महोदय, समस्तीपुर जिला के ताजपुर प्रखंड अंतर्गत बंगरा थाना पूरब चेक पोस्ट से आकाश ग्लोबल स्कूल होते हुये मुरादपुर बंगरा पंचायत हसनपुर सरसौना तक लगभग 1.5 कि0मी0 सड़क जर्जर अवस्था में है, जिससे राहगीरों को आवागमन में काफी कठिनाई होती है ।

अतः शीघ्र उपरोक्त सड़क के निर्माण की मांग करता हूं ।

श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव : महोदय, जहानाबाद नगर परिषद् क्षेत्र के वार्ड नं0–03 एन0एच0 110 राजा बाजार रेल अंडर पास दक्षिणी दौलत से भागीरथ विगहा भाया रामकृष्ण परमहंस विद्यालय तक सड़क नहीं रहने से वहां के नागरिकों की हालत बद्तर है, बच्चों को विद्यालय, मरीजों को अस्पताल जाने में कठिनाई होती है । सड़क निर्माण की मांग करता हूं ।

श्री अवध विहारी चौधरी : महोदय, राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2010 से बहाल विकास मित्र जिन्हें 25,000/– रुपया मिलता है, उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा एवं अनुकम्पा का लाभ नहीं दिया जाता है ।

अतः राज्यकर्मी का दर्जा एवं अनुकम्पा का लाभ दिलाने हेतु सरकार से मांग करता हूं ।

श्री सूर्यकान्त पासवान : महोदय, बेगूसराय जिला अंतर्गत डंडारी प्रखंड को वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिये 15वीं वित्त आयोग का पंचायत समिति अंश का एक भी किस्त नहीं मिला है, जबकि अन्य सभी प्रखंड को द्वितीय किस्त जा चुकी है ।

अतः जनहित में उक्त प्रखंड के अंश अतिशीघ्र देने की मांग सरकार से करता हूं ।

श्री छत्रपति यादव : महोदय, महिला महाविद्यालय, खगड़िया एकमात्र मुंगेर विश्वविद्यालय की अंगीभूत महिला महाविद्यालय है । महिला महाविद्यालय खगड़िया में उर्दू विषय पढ़ने वाली छात्राओं की संख्या काफी है, उर्दू विषय राज्य की द्वितीय भाषा है ।

अतः महिला महाविद्यालय, खगड़िया में उर्दू विषय की पढ़ाई अविलंब प्रारंभ कराने हेतु मैं सदन के द्वारा सरकार से मांग करता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री विजय कुमार खेमका ।

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

टर्न–12 / राहुल / 11.03.2025

श्री गोपाल रविदास : महोदय, घरेलू कामगार महिलाएं जो अधिकतर झुग्गी–झोपड़ियों में रहकर दूसरों के घरों में झाड़ू, पोछा, बच्चों, बुजुर्गों की देखभाल एवं खाना बनाने का काम करती हैं । इनके लिए कानून नहीं होने से इनके काम की पहचान नहीं हो पाती है । घरेलु कामगारों की संख्या को देखते हुए मांग करता हूं कि इनके लिए कानून बनावें ।

डॉ0 शमीम अहमद : अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चंपारण जिला अन्तर्गत रमगढ़वा थाना अधीन ग्राम आर्यानगर निवासी शेख नुरैन का कल दिनांक–09.03.2025 को अपराधियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गयी । अतः मैं सरकार से उक्त घटना के अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने एवं आश्रितों को 25 लाख मुआवजा देने की मांग करता हूं ।

श्री प्रमोद कुमार : अध्यक्ष महोदय, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1917 में महात्मा गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह के वर्ष में हुई है । सरकार से मांग करता हूं कि भारत सरकार को इसे हैरिटेज विश्वविद्यालय के रूप में विकसित कराने हेतु प्रस्ताव भेजे।

श्री अजीत शर्मा : अध्यक्ष महोदय, भागलपुर में अतिक्रमण हटाने के दौरान दमनकारी तरीके के कारण दिनांक–08.03.2025 को फल विक्रेता श्री महेन्द्र साह की मौत हो गयी। मैं श्री महेन्द्र साह के परिजनों को मुआवजा एवं नौकरी दिये जाने की मांग करता हूं ।

श्री कुमार शैलेन्द्र : माननीय अध्यक्ष महोदय, भागलपुर जिले के नारायणपुर प्रखंड अवस्थित जे0पी0 डिग्री कॉलेज में चहारदीवारी और अनुपातिक भवन नहीं है जिसकी वजह से छात्र–छात्राओं सहित शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मियों को पठन–पाठन में काफी कठिनाइयां होती हैं । उक्त कॉलेज में अतिरिक्त भवन के निर्माण सहित चहारदीवारी का निर्माण कराने हेतु मांग करता हूं ।

अध्यक्ष : आज रेकॉर्ड है अवध विहारी बाबू आज 51 सूचनाएं पढ़ी गयी हैं । 51 शून्यकाल की सूचनाएं ।

अब सभा की कार्यवाही 02.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है ।

टर्न–13 / मुकुल / 11.03.2025

(अंतराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है । अब वित्तीय कार्य लिये जायेंगे ।

<u>वित्तीय कार्य</u>

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज जल संसाधन विभाग के अनुदान की मांग पर वाद–विवाद तथा सरकार का उत्तर एवं मतदान होगा । इसके लिए तीन घंटे का समय उपलब्ध है । विभिन्न दलों को उनके सदस्य संख्या के आधार पर समय का आवंटन निम्न प्रकार किया जाता है । इसी समय में से सरकार को उत्तर देने के लिए भी समय दिया जायेगा :–

भारतीय जनता पार्टी	– 59 मिनट
राष्ट्रीय जनता दल	– 57 मिनट
जनता दल यूनाइटेड	– 33 मिनट
इंडियन नेशनल कांग्रेस	– 14 मिनट
सी0पी0आई0 (एम0एल0)	– 08 मिनट
हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा	– 03 मिनट
सी0पी0आई0 (एम0)	– 02 मिनट
सी0पी0आई0	– 02 मिनट
ए0आई0एमआई0एम0	– 01 मिनट
निर्दलीय	– 01 मिनट
	....
	कुल = 180 मिनट
	....

माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग अपनी मांग प्रस्तुत करें ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''जल संसाधन विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए 7451,14,99,000 / – (सात हजार चार सौ इक्यावन करोड़ चौदह लाख निन्यानवे हजार) रूपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय।''

महोदय, यह प्रस्ताव राज्यपाल महोदय की सिफारिश पर किया गया है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन, श्री अखतरूल ईमान, श्री अजय कुमार सिंह, श्री संतोष कुमार मिश्र एवं श्री महबूब आलम से जल संसाधन विभाग के संपूर्ण मांग पर कटौती प्रस्ताव एवं माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा से अनुदान मांगों के मद को मितव्ययिता के आधार पर घटाने के कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, ये सभी व्यापक हैं इन पर सभी माननीय सदस्य विचार–विमर्श कर सकते हैं।

सम्पूर्ण मांग पर प्राप्त कटौती प्रस्ताव में माननीय सदस्य श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन का प्रस्ताव प्रथम है एवं अनुदान के मदों पर माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा का कटौती प्रस्ताव प्रथम है ।

बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम–173 (6) के प्रथम परन्तुक के तहत मितव्ययिता के आधार पर दिये गये कटौती प्रस्ताव को पहले ली जाती है ।

अतः माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करें ।

पार्टी ने आपको समय नहीं दिया है, आप केवल पुट कीजिए ।

श्री अजीत शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''इस शीर्षक के मुख्य शीर्ष–2700, उप मुख्य शीर्ष–80 के लिये 5,05,06,37,000/– (पांच अरब, पांच करोड़, छः लाख, सैंतीस हजार) रुपये की मांग 2,00,00,000/– (दो करोड़) रुपये से घटायी जाय ।''

यह प्रस्ताव मितव्ययिता पर विचार–विमर्श करने के लिए है।

महोदय, मैंने यह प्रस्ताव इसलिए किया है क्योंकि इस उप मुख्य शीर्ष में भाड़े की गाड़ी में असामान्य वृद्धि की गयी है । 2023–24 में वास्तविक खर्च 9,59,871 (नौ लाख उनसठ हजार आठ सौ इकहत्तर) रुपये हुए थे उसे एक वर्ष बाद ही बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया गया है । इस तरह के खर्चों को बंद कर योजना मद में खर्च करें ताकि विकास के कार्य हो सकें ।

महोदय, आपने समय दिया इसके लिए दिल की गहराई से धन्यवाद और बाद में हमारे दूसरे साथी बोलेंगे ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री आनंद शंकर सिंह अपना पक्ष रखें । आपका समय 14 मिनट है ।

श्री आनंद शंकर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आज जल संसाधन विभाग, लघु जल संसाधन विभाग के बजट के कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । निश्चित रूप से यह जो बजट पेश किया गया है इसमें हमलोगों ने जल संसाधन विभाग एवं लघु जल संसाधन विभाग के द्वारा बहुत सारी जो योजनाएं हैं और उस मद में खर्च करने का जो ब्यौरा दिया गया है, निश्चित रूप से जब हम जल संसाधन विभाग की बात करते हैं तो कहीं न कहीं जो मैं इसमें देखता हूं तो जल–जीवन–हरियाली की बात की जाती है । जल है, हरियाली है तब जीवन है । महोदय, पक्ष हो या विपक्ष हो हम सभी लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक बैठक हुई थी जल–जीवन–हरियाली की और सभी लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया था और बहुत सार्थक बहस हुई थी । लेकिन इस विभाग के बजट में मैं देख रहा हूं कि हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने का लक्ष्य सरकार ने रखा है, लेकिन महोदय यह नहीं बताया कि खासकर मैं उन क्षेत्रों की बात करता हूं जहां हमलोग सुखार झेलते हैं, जहां लोगों को पीने के लिए पानी उपलब्ध नहीं है, 800 और 1000 फीट पर भूगर्भीय जल स्तर है, पेयजल तक नहीं मिल रहा है लोगों को, वहां हम कैसे हर खेत तक सिंचाई के पानी की परिकल्पना को साकार कर पायेंगे यह सोचने का विषय है । महोदय, इस बात को

समझने की आवश्यकता है कि हम हर खेत तक सिंचाई का पानी कैसे पहुंचायेंगे । मैं औरंगाबाद, गया, सासाराम के निकटवर्ती जो इलाके हैं, उनके विषय में यह कहना चाहता हूं कि आप एक तरफ सोन से पानी लाकर शहरी व्यवस्था में पेयजल सप्लाई करना चाहते हैं, दूसरी तरफ ग्रामीण इलाका जो है वहां आप कह रहे हैं कि हर खेत को हम जल उपलब्ध करवायेंगे सिंचाई के लिए, आखिर वह जल कहां से उपलब्ध होगा या तो हम भूगर्भीय जल का दोहन करेंगे या तो हमारी नहर की व्यवस्था होगी फिर पानी आयेगा तब हम सिंचाई कर पायेंगे या तो राजकीय नलकूप की व्यवस्था होगी तो मैं तो यह देख रहा हूं कि आपने परिकल्पना सबकी की है । अब मैं औरंगाबाद के परिप्रेक्ष्य में बात करना चाहूंगा कि आपका उत्तर कोयल परियोजना है, 2014 में जब गया में अभी वर्तमान में जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने 2014 में, गया में एक अपनी रैली में कहा था कि जब तक मैं किसानों के खेतों में लाल पानी नहीं पहुंचा दूंगा मगध क्षेत्र में, मैं दोबारा वोट मांगने नहीं आऊंगा । महोदय, 2019 बीत गया, 2024 बीत गया यह बात अलग है कि उस समय राशि सेंक्शन हुई लेकिन कार्य कितना प्रगति हुआ है, मैं आप ही के उसमें देख रहा हूं 9 प्रतिशत कार्य प्रगति पर है । तो इस तरीके से योजनाएं चलेंगी तो कब तक पूर्ण होंगी । मंडल डैम जिससे हमलोगों को नहर के द्वारा पानी आता है, उस मंडल डैम के लिए भी पैसा आवंटित हुआ, 2019 में जनवरी में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा शिलान्यास कराया गया, वैसी योजना जोकि अधर में लटकी हुई थी उसका शिलान्यास कराया गया, आज छः साल बीतने को है और आज उस परियोजना की क्या स्थिति है यह समझ से परे है, उसके बारे में यहां पर कुछ भी मेंशन नहीं किया गया और जिससे गया, औरंगाबाद के उधर सासाराम, बक्सर तक उस योजना से लोग प्रभावित होते हैं । उसके अलावा महोदय हरियाही परियोजना है जो बटाने नदी पर अवस्थित है, 90 परसेंट काम पूर्ण हो चुका है और उस परियोजना में गेट तक लगाया जा चुका है लेकिन गेट वेल्ड कर दिया गया है । महोदय, हम 20 वर्ष के शासनकाल की बात करते हैं, छोड़ दीजिए पुरानी बातें 20 साल के शासनकाल में हम एक वेल्ड गेट का उसका वेल्डिंग नहीं तोड़वा पाये और पानी जमा नहीं हो पाता है जिसके कारण वर्षा का जो जल है, नदी का जो जल है वह बर्बाद हो जाता है तो 20 वर्षों के शासनकाल का हिसाब, अभी कल ही तो तनिष्क शोरूम लूट लिया गया आपलोगों को मालूम है ।

अध्यक्ष : आनंद शंकर सिंह जी, आप इधर देखकर बोलिए ।

श्री आनंद शंकर सिंह : अध्यक्ष महोदय, तनिष्क का शोरूम गया लूट गया और जंगलराज की बात ये लोग करते हैं । तो महोदय, इस बात को सोचने की आवश्यकता है जिससे एक बड़ा भूभाग सिंचित हो सकता था और सरकार ने पहल की लेकिन कैसी पहल की जो धरातल पर उतर ही नहीं पा रहा है, औरंगाबाद के किसान, गया के किसान, सासाराम, रोहतास के किसान टकटकी लगाये हुए हैं कि कब खेतों में पानी आयेगा, अच्छे तरीके से सिंचाई हो पायेगी, इसकी कोई व्यवस्था अभी तक नहीं हो पाई है, न इसमें कोई रूपरेखा बताई गयी है । महोदय, उसके

अलावा जब हम बात करेंगे खेतों में पानी के लिए तो आदमी के पीने के लिए भी पानी की बात करेंगे और जो मृतप्राय नदियां हैं, नदी जोड़ का जो आपलोगों ने परिकल्पना किया उसमें मैं देख रहा हूं कोसी, मैची चार–पांच नदी जोड़ परियोजनाओं का दिया गया है । क्या यह बात सही नहीं है कि हमलोगों की तरफ भी ऐसी नदियां हैं बटाने है, पुनपुन है, अदरी है जो मृतप्राय अवस्था में हैं ।

क्रमशः

टर्न–14 / यानपति / 11.03.2025

(क्रमशः)

श्री आनन्द शंकर सिंह : अध्यक्ष महोदय, उन नदियों के बारे में आपके क्या विचार हैं, क्या उन नदियों को आप सोन से जोड़ने की कोई योजना रखते हैं, क्या उन नदियों को पुनर्जीवित करने की कोई योजना रखते हैं आप और यह तो वैसी नदियां हैं जो पुनपुन है, अदरी है । अदरी तो शहर के बीचों–बीच गुजरती है, औरंगाबाद शहर के बीचों–बीच गुजरती है और पानी का सप्लाई सोन से सतही लाने की व्यवस्था हुई है । पता नहीं 18 में एक योजना दी गई थी और 18 से आज हमलोग 25 में हैं, अभीतक पता नहीं उसपर काम हो पायेगा या नहीं । औरंगाबाद शहर के लोगों को पेयजल उपलब्ध हो पायेगा या नहीं, यह विषय सोचनीय विषय है । अभी 1363 करोड़ समथिंग कुछ दिया गया है राशि, जिससे सतही जल सोन नदी से लाया जायेगा, औरंगाबाद शहर को सप्लाई दिया जा रहा है । क्यों नहीं जो शहर के इर्द–गिर्द जो नदियां हैं उनको हम पुनर्जीवित करें, उनको जोड़ें सोन नदी से । वहां के पानी के जल संचयन की व्यवस्था करें क्या इस ओर भी सरकार अपना ख्याल रखती है या हम नदियों को केवल मरने के लिए छोड़ देंगे । जल संग्रहण की बात आप करते हैं, जल–जीवन–हरियाली में आहर, पोखर, पईन के उड़ाही की बात करते हैं, चेकडैम बनाने की बात आप करते हैं, वियर बनाने की बात आप करते हैं लेकिन महोदय, पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए आपने कोई ठोस कदम नहीं उठाया । कदम यह नहीं उठाया कि छोटी नदियों से भी आप पूरा का पूरा बालू टेंडर के माध्यम से उठवा ले रहे हैं, मिट्टी केवल बच रहा है और उसका फलाफल यह हो रहा है कि बड़े–बड़े पेड़–पौधे, खर–पतवार डूब जा रहे हैं नदी में । नदी जब देखने जाइयेगा तो नदी आपको क्लीन नहीं दिखेगा, खर–पतवार उगा हुआ है । बालू ही जब उठा लेंगे तो जल संग्रहण कैसे होगा । जल स्तर गिरेगा नहीं तो और क्या होगा उस ओर भी आपका ख्याल, हमलोग देख रहे हैं कि, हमलोगों को यह महसूस हो रहा है कि पहले अत्यधिक दोहन किया जाय और दोहन के बाद हमलोग फिर जगें और जगकर फिर यह सोचें कि किस तरीके से नदी को पुनः पुनर्जीवित किया जाय । उस ओर हमलोग प्रशस्त हैं, जो सरकार का क्रियाकलाप दिख रहा है वह यही दिख रहा है कि पहले दोहन करो, जिस तरीके से, आज देखा जाय हमलोगों की तरफ सारा स्टोन क्रशर यूनिट जो है बंद किया गया है पहाड़ को बचाने के लिए । बहुत जल्द ही वह दिन आनेवाला है महोदय जब आप बालू के उत्खनन को भी बंद कीजिएगा नदियों को बचाने के लिए । यह हालत है, जो आपने पैमाने तय कर रखे हैं उन

पैमानों पर काम नहीं हो रहा । अवैध उत्खनन तो हो रहा है वह बात अलग छोड़ दीजिए । टेंडर के द्वारा प्राप्त जो लोग हैं वह आपके पैमाने के अनुसार खनन नहीं कर रहे हैं ।

अध्यक्ष : केवल तीन मिनट बचा है आपके पास ।

श्री आनन्द शंकर सिंह : उस पैमाने को, इसलिए मैं यह कह रहा हूं कि जब देर से जागिएगा तब तक हमारा सब कुछ लुट चुका होगा । इसलिए महोदय जल संग्रहण की अगर आप परिकल्पना करते हैं, नदियों के जीवन की परिकल्पना करते हैं तो छोटी–छोटी नदियों से बालू उठाव बंद करवाइये, उसकी निविदा निकलवाना बंद करवाइये, तब जाकर पानी आप स्टोर कर पायेंगे, उन पर आप चेकडैम बनवाइये । शहर के नजदीक में अदरी नदी है, बताइये शहर के बीचों–बीच गुजरती है लेकिन उसकी स्थिति देख लीजिएगा तो भयावह है, पानी नहीं है, पूरा शहर का नाला उसमें डाल दिया जाता है, किस तरीके से आप बात करते हैं तो यह चीज हमलोगों को समझनी होगी । बटाने नदी पर चेकडैम के लिए हमलोगों ने लिखा है सरकार को, विजिट हुआ, डी0पी0आर0 बनकर गया हुआ है, शहर से पांच कि0मी0 दूरी पर यह नदी है । इसको पुनर्जीवित करिएगा तो निश्चित रूप से आपका वातावरण भी शुद्ध होगा, हरियाली की परियोजना, जो सोच रखी है आपलोगों ने, वह भी आपका पूर्ण होगा । महोदय, उसके अलावे मैं यह कहना चाहता हूं, सोन उच्च स्तरीय नहर की बात हम करते हैं । महोदय, अंग्रेजों ने इसको बनाया था, स्वेज नहर से इसकी तुलना की जाती है । यह बात बोलने में दयनीय लगती है कि नहर के किनारे, आप पटना आने जाने के लिए बड़ा सरपट रोड बनाए हैं नहर के किनारे लेकिन आज हमारा जल संसाधन विभाग का कोई कर्मचारी चाहे कि नहर को विजिट कर लें, इतनी दयनीय स्थिति है उन सड़कों की, नहर पर विजिट नहीं कर सकता है, बड़े–बड़े गड्ढे बने हुए हैं तो क्या उन नहर के किनारे जो सड़क हैं सुपरविजन के लिए, क्या उन सड़कों के निर्माण की परिकल्पना नहीं की जानी चाहिए । नहर का गाद का, आपका इंद्रपुरी जलाशय है जिससे पानी हमलोगों को आता है क्या उसके गाद की उड़ाही नहीं होनी चाहिए।

अध्यक्ष : एक मिनट और है ।

श्री आनन्द शंकर सिंह : यह चीज हमलोगों को सोचना होगा और बुनियादी चीजों पर हमलोगों को वर्कआउट करना होगा । मैं तो वर्तमान में जो सरकार की स्थिति देखता हूं हरेक बात में कहते हो कि तुम क्या हो, यही कह दो कि अंदाजे यह गुफ्तगू क्या है । इसी अंदाज में यह सरकार चल रही है कि हर बात में कहती है कि आप ही गलत हैं, 15 साल, 20 साल । 20 साल तो आप शासन कर रहे हैं । 93 में, 76 से जो योजना बननी शुरू हुई कुटकू डैम, मंडल डैम की वह आजतक धरातल पर नहीं उतर पाई । हरियाही परियोजना 76 से शुरू हुई अभीतक धरातल पर नहीं उतर पाई और हमलोगों के खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए आप सिंचाई की योजना की बात कर रहे हैं......

अध्यक्ष : अब समाप्त करिए ।

श्री आनन्द शंकर सिंह : कि हर खेत तक पानी पहुंचा देंगे । महोदय, यह संभव नहीं है । जब तक सरकार दूरदर्शी सोच के तहत नहीं चलेगी तब तक खेतों तक पानी पहुंचाना संभव नहीं है, इस बात को समझने की आवश्यकता है । बहुत–बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष : श्री विजय कुमार खेमका, अपना पक्ष रखें । आपका समय 15 मिनट है ।

श्री विजय कुमार खेमका : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं अध्यक्ष महोदय आसन का धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं सदन के नेता का भी आभार व्यक्त करता हूं और पूर्णिया विधान सभा की जनता के आशीर्वाद का आभार व्यक्त करता हूं कि आज सदन में जल संसाधन विभाग के साथ अन्य विभाग की कटौती प्रस्ताव के विरुद्ध और सरकार के समर्थन में मुझे बोलने का मौका मिला है । अध्यक्ष महोदय, होली का त्योहार है, अग्रिम शुभकामना देता हूं और दो लाइन होली पर कह कर अपनी बात को शुरू करता हूं । अध्यक्ष महोदय,

''खुशियों के रंग में रंग जाय बिहार
होली के उत्सव में हो रंगों की बौछार
दुखी न हो कोई होली संग बढ़ता बिहार
अपमान न हो किसी का, सब का हो सत्कार
अबीर–गुलाल से न घबरायें, होली खुशियों का त्योहार
उमंग के आगमन से हो प्रफुल्लित होली का त्योहार
नवीन उर्जाओं का संचार करें रंगों की बौछार
खुशियों के रंग में रंग जाय बिहार ।''

अध्यक्ष महोदय, आज जल संसाधन विभाग पर बोल रहे हैं और हमारे विपक्ष बोल रहे थे कटौती होनी चाहिए, इनको सब कुछ चाहिए, हर विभाग की सुविधा चाहिए लेकिन कटौती प्रस्ताव में यह सरकार के विकास को नजरअंदाज करने का काम करते हैं । सरकार जो विकास कर रही है आज जल संसाधन विभाग के माध्यम से......

अध्यक्ष : खेमका जी, सोच अच्छी होनी चाहिए क्योंकि नजर का इलाज तो मुमकिन है नजरिए का मुमकिन नहीं ।

श्री विजय कुमार खेमका : अध्यक्ष महोदय, जल संसाधन विभाग लगातार हर क्षेत्र में कृषि को उन्नत बनाने में, सिंचाई की व्यवस्था पहुंचाने में, नदी नाले का गाद निकालने में, बांध का पक्कीकरण कराने में, बांध की उंचाई बढ़ाने में, हर जगह काम कर रही है, बिहार का कोई ऐसा जिला नहीं है जहां जल संसाधन विभाग के माध्यम से किसी न किसी योजना से काम नहीं हो रहा है । अध्यक्ष महोदय, और बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी का जल–जीवन–हरियाली योजना जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हुई, संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी जिसकी सराहना की उसके माध्यम से हर जगह पानी पहुंचाने का काम और गंगा को भी गया तक और अन्य जिले तक पहुंचाने का काम एन0डी0ए0 की सरकार में हो रहा है ।

(क्रमशः)

टर्न–15 / अंजली / 11.03.2025

(क्रमशः)

श्री विजय कुमार खेमका : जल संसाधन विभाग हर खेत तक पानी पहुंचाने का काम कर रहा है । गत वर्ष वृहद एवं मध्यम सिंचाई योजना से खरीफ, रबी एवं गरमा सिंचाई हेतु 26.70 लाख हेक्टेयर सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी गई है । अभी बता रहे थे हमारे बंधु कि काम नहीं हुआ, काम नहीं हुआ तो बिहार की जनता, 3 लाख 17 हजार करोड़ का जो बजट पास हुआ है उसका पूरे बिहार में हर कोई सराहना कर रहा है, विकास की सराहना कर रहा है, हर विभाग अपना–अपना जो काम कर रहा है, हर विधायक जब अपने क्षेत्र में देखते हैं तो उनको बड़ी प्रसन्नता होती है लेकिन जब विपक्ष में बैठते हैं तो उनको काला चश्मा से सबकुछ नजर आता है। विपक्ष के नेता दिन को भी मुंगेरी लाल का सपना देख रहे हैं । बिहार की जनता की एक ही आवाज है, अजीत भाई भागलपुर में भी गंगा के किनारे सीढ़ी बनाने का काम सरकार कर रही है । जल संसाधन विभाग कर रहा है और सिमरिया घाट को भी पर्यटन स्थल बनाने का, इसलिए की उत्तरवाहिनी गंगा वहां है, उत्तरवाहिनी गंगा है, उसको भी सजाया गया है, निखारा गया है और पर्यटन स्थल उसको बनाया जा रहा है । अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2024–25 में खरीफ सिंचाई के लिए 22.57 लाख हेक्टेयर लक्ष्य के विरुद्ध 21.89 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई उपलब्ध कराई गई है और हमारे विपक्ष के नेता कहते हैं कि यह काम नहीं हुआ, वह काम नहीं हुआ जबकि बिहार में बहार है और चारों तरफ एक ही चीज है नीतीश कुमार, चारों तरफ यह आवाज चल रही है और नरेंद्र मोदी जी, जो अभी कह रहे थे कि हमारे यहां पूर्णियां में भी जो हमारा सीमावर्त्ती क्षेत्र है उसमें कोसी–मेची योजना की आदरणीय नीतीश कुमार जी ने, मुख्यमंत्री जी ने प्रयत्न करके केंद्र से उस योजना को पारित करवाया और इस बार के बजट में 11 हजार 500 करोड़ कोसी–मेची यह जो पवित्र नदी है इस नदी को बांधने के लिए जिसमें कि वहां के लाखों लोगों को सिंचाई की सुविधा प्राप्त होगी और उसमें 117.5 किलोमीटर लंबा नहर बनेगा, पक्का नहर बनेगा और 2.15 हेक्टेयर को सिंचाई व्यवस्था मिलेगा, मोदी जी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, आभार व्यक्त करता हूं, उन्होंने इस योजना के साथ–साथ अन्य योजनाओं के लिए 11 हजार 500 करोड़ रुपया देने का काम किया है । हमारे भाई अभी कह रहे थे कि इस योजना में केंद्र सरकार ने दिया लेकिन काम नहीं हुआ, काम नहीं हुआ तो गंगा कैसे गया तक पहुंच गई, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा कि नल का जल अगर हम घर–घर पहुंचा रहे हैं तो गंगा का जल भी ऐसे स्थानों पर पहुंचाने का काम करेंगे जहां जल की कमी हो, जल नहीं पहुंचता है, यह काम बिहार में हुआ है । अध्यक्ष महोदय, बिहार में बहार है यह तो आप भी बोल रहे हैं, लेकिन अपने नेता को देखकर के आप संकुचा जाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, इसलिए कि नेता विधान सभा में नहीं हैं उनको बिहार की चिंता नहीं है, उनको सिर्फ मुख्यमंत्री बनने की चिंता है कि हम कैसे इतना व्याकुल हैं कि मुख्यमंत्री बनने की चिंता उनको सताती रहती है । अध्यक्ष महोदय, लालटेन युग समाप्त हो गया, सड़कों का जाल बिछा है,

घर—घर बिजली पहुंची है और गरीब के चेहरे पर मुस्कुराहट एन0डी0ए0 की सरकार में हर व्यक्ति के घर पर मिल रही है । हर व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कुराहट है और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में युवा आत्मनिर्भर होकर बिहार को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं । ये कह रहे हैं कि बिहार में युवाओं को नौकरी नहीं है, बिहार में तो नौकरी की बहार है 52 हजार, अजीत भाई, हंसिये मत, आप भी स्वीकार कर रहे है । 52 हजार अध्यापिकों को अभी नियुक्ति पत्र दिया गया है, अभी—अभी दिया गया है और मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि चुनाव से पूर्व नियुक्ति, सरकारी नौकरी और रोजगार से सृजित नौकरी हम 30 लाख बेरोजगार युवाओं को देने का काम करेंगे लेकिन आपको नजर नहीं आता है, आपको विकास नजर नहीं आता है इसलिए कि आपने कभी विकास किया ही नहीं, आपने कभी विकास की सोच रखी ही नहीं, आपका कोई विजन नहीं रहा लेकिन एन0डी0ए0 सरकार का विजन रहा है कि हम सब को अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छी चिकित्सा देंगे, किसानों की खेती को उन्नत करेंगे, किसान के खेत तक हम पानी पहुंचाएंगे, हम घर तक पीने का पानी पहुंचाएंगे और इसके साथ—साथ हर घर कैसे समृद्ध हो उसके लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से केंद्र की एन0डी0ए0 सरकार की योजना हो, चाहे बिहार की एन0डी0ए0 सरकार की योजना हो हर घर को हम खुशहाल करने का काम करेंगे, यह एन0डी0ए0 सरकार का, मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का, उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी का, श्री विजय सिन्हा जी का यह संकल्प है कि बिहार अग्रणी राज्य में तो है ही, इसे हम विकसित राज्य जब तक बना नहीं लेंगे तब तक हम बैठने का काम नहीं करेंगे, दम लेने का काम नहीं करेंगे ।

अध्यक्ष : आपका केवल मात्र 4 मिनट समय बचा है ।

श्री विजय कुमार खेमका : अध्यक्ष महोदय, मात्र 4 ही मिनट महोदय ।

अध्यक्ष : बोलिए ।

श्री विजय कुमार खेमका : अध्यक्ष महोदय, 4 मिनट में ही और भी दो—तीन विषयों पर बोलकर हम अपनी बात को समाप्त करेंगे । अध्यक्ष महोदय, जल संसाधन विभाग, लघु जल संसाधन विभाग में भी काफी काम हुए हैं । जल जीवन हरियाली से पोखरों का सौंदर्यीकरण हुआ है और लिफ्ट इरीगेशन के माध्यम से और नलकूपों के माध्यम से भी वहां पर काम किया जा रहा है ।

अध्यक्ष महोदय, जल संसाधन मंत्री, आदरणीय श्री विजय कुमार चौधरी जी हमारे जिला के प्रभारी भी हैं, उनका हम ध्यान आकृष्ट करवाना चाहेंगे, पूर्णियां में एक सौरा नदी है जो शहर के बीचों—बीच है । अध्यक्ष महोदय, हम माननीय मंत्री जी से कहना चाहेंगे कि उस सौरा नदी का आप अपने विभाग से कायाकल्प करवाइए, उसका सौंदर्यीकरण हो और सिमरिया का जो घाट बना है उसी तरह उसका मिनी रूप बनाकर उसको विकसित करने का हम आग्रह करेंगे ।

दूसरा, यह सौरा नदी पूर्णियां को दो भागों में बांटती है । अध्यक्ष महोदय, आप तो अनेकों बार पूर्णियां गए हैं और उन दोनों भागों को बांटने में यह सौरा बांध है जो काफी पुराना है साढ़े 4 किलोमीटर का बांध है, हम मंत्री महोदय से आग्रह करेंगे कि आप विभाग के परिचालन के लिए और खासकर के जो

आमलोग हैं उनके आवागमन के लिए उस पर निश्चितरूपेन सड़क बनाने का मेरा आग्रह आपसे है । अध्यक्ष महोदय, मंत्रिमडल सचिवालय में उर्दू की बात करते हैं, उर्दू भाषा को भी प्रोत्साहन देने का काम किया जा रहा है, जिला और थाना स्तर पर नागरिक परिसर का भी गठन किया गया है और अध्यक्ष महोदय, सिविल विमान के निदेशालय द्वारा कैसे हर जिले से उड़ान हो, कैसे हवाई–जहाज की यात्रा लोग कर सकें उसके लिए भी हमारे मुख्यमंत्री जी चिंता कर रहे हैं, एन0डी0ए0 की सरकार चिंता कर रही है, पूर्णियां में भी बहुत जल्दी हवाई सेवा शुरू होगी और उसके लिए सरकार ने 14 करोड़ रुपया कनेक्टिविटी रोड के लिए देने का काम किया है । अध्यक्ष महोदय, इस सरकार में सब का सम्मान है, इस सरकार में युवाओं को जो सबसे बड़ी पूंजी है उनकी प्रतिभा का सदुपयोग करने के लिए राज्य सरकार कृत–संकल्पित है । अध्यक्ष महोदय, सामान्य प्रशासन उसकी चिंता कर रहा है ।

(क्रमशः)

टर्न–16 / पुलकित / 11.03.2025

(क्रमशः)

श्री विजय कुमार खेमका : बिहार लोक शिकायत अधिकार अधिनियम के तहत काम हो रहे हैं, बिहार सरकारी सेवक स्वीकृति निवारण प्रणाली भी काम में आगे हैं और लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण की तो बात ही काट दीजिए । घर–घर नल का जल पहुंचा है, जहां नहीं पहुंचा है वहां हमारे मंत्री जी ने स्पष्ट कहा है । महोदय, स्पष्ट कहा है कि वहां शुद्ध जल की प्रक्रिया टेन्डर में है और वहां जल्द से जल्द शुद्ध जल पहुंचा दिया जाएगा ।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, एक मिनट में अपना भाषण समाप्त करिये ।

श्री विजय कुमार खेमका : महोदय, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि पत्रकारों के लिए भी हमारी सरकार चिंता करती है । कैसे उनको पेंशन मिले, कैसे उनकी चिकित्सा हो, कैसे उनके परिवार को पारिवारिक लाभ मिले इस दिशा में भी हमारी सरकार चिंता करती है । अध्यक्ष महोदय, मैं विभाग के मंत्री जी से कहूंगा कि जो पत्रकार हैं ये चौथा स्तम्भ हैं । इसलिए इनके लिए और भी कोई सुविधा हो सके तो निश्चित रूपेण उसकी चिंता करनी चाहिए । अध्यक्ष महोदय, यही बात कहते हुए क्योंकि आप समय बता रहे हैं, एक ही मिनट बचा है लेकिन लम्बा समय है । अध्यक्ष महोदय, यह तो चिंता विपक्ष कर रही है इसलिए बिहार की जनता एक ही बात कह रही है वर्ष 2025 में 215, 225 सीट। मैंने भूलवश दस सीट घटा दी थी । वर्ष 2025 में 225 सीट और मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, नेता श्री नीतीश कुमार । इसलिए चिंता मत कीजिए हमारा नेतृत्व चट्टानी एकता के साथ है । बिहार के विकास के लिए अग्रसर है ।

अध्यक्ष : अब समाप्त करिये ।

श्री विजय कुमार खेमका : और हम सब मिलकर के काम करेंगे । अध्यक्ष महोदय, चार लाईन की पंक्ति कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा ।

(व्यवधान)

यह पंक्ति आप ही लोगों के लिए है और विकास के लिए है ।

"अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है,
अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है ।
अभी तो तोली है मुट्ठी भर जमीन,

थोड़ा सा ही हुआ है ।

अध्यक्ष : अभी आसमान बाकी है ।

श्री विजय कुमार खेमका : अभी तोलना आसमान बाकी है।"

बहुत–बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष : श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव । आपका समय 18 मिनट हैं ।

श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव : महोदय, सबसे पहले हम अपने नेता और 90 प्रतिशत आबादी को ताकत देने वाले परम आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी और आर्थिक परिवर्तन के लिए दृढ़ संकल्पित युवा तुर्क नेता और विधान सभा में विरोधी दल के नेता आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी और जहानाबाद की महान जनता के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने अपना व्यावहारिक जीवन के ताकतवर वोट का प्रयोग करके इस सदन में मुझे भेजने का काम किया है । महोदय, आज जल संसाधन विभाग के कटौती प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ । महोदय, कल के मध्य बिहार और आज के दक्षिण बिहार के इलाके से हम आते हैं । जब हम होश संभाले थे और हमारे पिता बाबू मुद्रिका सिंह यादव राजनीति में थे तो हमलोगों को सुनने का मौका मिलता था कि सिंचाई विभाग का सबसे बड़ा जो आवंटन का हिस्सा होता है वह गंगा उसपार बाढ़ का जो इलाका है उस इलाके में व्यय होता है । यह जो गंगा के इस पार का जो इलाका है जिसको कल का मध्य बिहार और आज का दक्षिण बिहार कहा जाता है, कभी भी उस इलाके पर ध्यान नहीं दिया जाता था । थोड़ा सा हम लीग से अलग हटकर बोलते हैं । आज सुबह–सुबह...

(व्यवधान)

बताते हैं, बताते हैं । आप उसी का राज भोग रहे हैं ।

अध्यक्ष : इधर देखकर बोलिये ।

श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव : महोदय, आज सुबह–सुबह प्रातः जब मैं जगा और संयोग से पिछली 7 तारीख के अखबार पर मेरी जब नजर पड़ी तो मैंने देखा कि इस अखबार में इतनी बड़ी न्यूज में छपी है । वह अखबार हम लेकर के आये हैं इसमें माननीय उप मुख्यमंत्री भाई सम्राट चौधरी जी का बयान हैं कि बिहार के विकास में लालू परिवार का नहीं है कोई योगदान ।

(व्यवधान)

महोदय, जिनका बयान हैं हमको इसपर गर्व है । बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री राजमाता आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी ने शायद सम्राट चौधरी को लालन–पालन में दूध पिलाने का काम नहीं किया होगा लेकिन सम्राट चौधरी के विकास में लालू प्रसाद यादव जी का जो योगदान है उनके राजनीतिक जीवन में मील का पत्थर साबित कर रहा है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : शांति बनाये रखिये ।

श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव : अगर यह बात ट्रेजरी बेंच में बैठे हमारे अभिभावक जल संसाधन मंत्री, श्री विजय चौधरी जी, हमारे अभिभावक बिजेन्द्र प्रसाद यादव जैसे लोगों का अगर बयान होता तो मैं अखबार यह लेकर के नहीं होता । अगर बयान संतोष सुमन जी का होता तो भी हमको यह अखबार लेकर आना पड़ता क्योंकि इसलिए कि लालू प्रसाद यादव जी के योगदान को चाहे वह हां पक्ष में बैठें 90 प्रतिशत आबादी के लोग या फिर ना पक्ष में बैठे लोग । सभी लोगों ने उसको स्वीकारा है भले ही राजनीति में कोई बाध्यता हों कि टिकट कट जाएगा, अगर कहीं कुछ बोल देंगे तो हमको परेशानी हो जायेगी, इसके चलते कुछ भी बोल लीजिए और पत्रकार दीर्घा में बैठें पत्रकार मित्रों से भी हम कहेंगे कि आपलोग भी जब अखबार में न्यूज छापते हैं तो इस तरह की खबर पर गौर करिये । जब कल का शासनकाल था, आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी का शासनकाल था तो पत्रकारों की क्या आजादी थी और आज के शासनकाल में जो डबल इंजन की सरकार है पिछले 20 वर्षों से, उसमें मीडिया की क्या दुर्दशा है यह आपलोगों से छिपी हुई नहीं है ।

महोदय, ये लोग कहते हैं कि वर्ष 2005 के पहले क्या हुआ है ? इसके अलावा कुछ जानते ही नहीं है । हमारे नेता आदरणीय तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में जब सरकार थी तो संयुक्त जो बिहार था अब इसमें से झारखंड अलग हो गया है । उस समय उनके नेतृत्व में चार–चार डैम बनाये गये थे । बांका जिला में दो, जमुई में और जो दुर्गावती जलाशय है वह भी लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल खंड का था । वही नहीं इसी सदन में अमर शहीद जगदेव प्रसाद की कुबार्नियों को जिस आंदोलन को लेकर के उनका खून बहा था उस आवाज को चेलेंज करते हुए इसी सदन में बाबू मुद्रिका सिंह यादव ने हमीद नगर पुनपुन सिंचाई परियोजना का सवाल उठाया था लेकिन न जाने क्यों सरकार का अरबों रुपया लगने के बाद भी वर्तमान डबल इंजन सरकार के मुखिया के कानों तक जूं नहीं रेंगी । हमारे पिता जी तो लड़ाई लड़कर के उसको अंतिम पायदान तक पहुंचाये ही ।

(क्रमशः)

टर्न–17 / अभिनीत / 11.03.2025

..क्रमशः..

श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव : उसकी स्वीकृति दिलवाये ही लेकिन पिछले आठ वर्षों से हम भी इस सदन के सदस्य हैं और लगातार हमीद नगर पुनपुन सिंचाई परियोजना जो दो प्रमंडल के कई जिलों के खेतों को सिंचाई करने वाला है उस पर जरा सा भी ध्यान नहीं गया । महोदय, हम आग्रह करेंगे माननीय मंत्रीजी से कि जब जवाब देंगे तो हमीद नगर पुनपुन सिंचाई परियोजना की भी उसमें चर्चा करेंगे । जितना खेतों की सिंचाई करने के लिए सिंचाई विभाग को आवंटन मिलना चाहिए था हम अभी देख रहे हैं कि कुल 2.3 परसेंट ही सिंचाई विभाग को पैसा

मिला है इस वित्तीय वर्ष में, इससे कितने खेतों को पानी पहुंचा पायेंगे ? कौन से कैनाल की खुदाई होगी ? महोदय, अभी हमारे यहां गंगा उस पार में इस वित्तीय वर्ष में हम उत्तर कोयल की चर्चा उसमें सुने हैं, सुने हैं, देखे हैं उसमें अंकित है और उसका भी पानी जी0टी0 रोड पार करके हमारे इलाके में आना है । महोदय, हम समझते हैं कि पिछले 30 वर्षों से उसके लिए भी किसान नेताओं की मांग रही हैं, यूनियन के नेताओं की मांग रही है । महोदय, हमलोग लगातार हमीद नगर पुनपुन सिंचाई परियोजना जो अरवल, औरंगाबाद, जहानाबाद और पटना जिले के सैकड़ों एकड़ जमीन को सिंचित करने की क्षमता रखता है और वह मध्य बिहार और आज का दक्षिण बिहार की एक सिंगल नदी जिसमें सालो भर पानी प्रवाहित होता है और वह पानी सीधे गंगा में चला जाता है, उसका कोई उपयोग नहीं होता है । महोदय, वही नहीं है, आपको उदेरा स्थान में बनाया गया है बराज, वहां से शंकर घाटी की एक परियोजना बनायी गयी थी, उसकी भी पिछली बार चर्चा हुई थी स्वीकृति की और इस बजट में उसकी कोई चर्चा नहीं है । उसी तरह हमारे यहां पनकिट दियर बांध बनाया गया, उसमें सरकार का करोड़ों रुपये खर्च हुआ और वह चेक डैम नीचा होने के चलते उसका जरा सा भी किसी किसान को लाभ नहीं हो पाया । महोदय, कई बार इसी सदन में हमने सवाल उठाया कि अगर पांच फीट भी हमीद नहर, पनकिट दियर बांध की उंचाई बढ़ा दी जायेगी जो जहानाबाद और पटना जिला के कई प्रखंडों के सैकड़ों एकड़ भूमि को सिंचित करने की क्षमता रखता लेकिन उस पर भी किसी का ध्यान नहीं गया । यहां तो लोग सिर्फ अपनी ही पीठ थपथपाने में व्यस्त हैं । महोदय, अभी दूसरा जो सबसे बड़ा इशू, जो नदी से नदी को जोड़ने का था, हमारे यहां सोन नदी के पानी को पुनपुन, पुनपुन के पानी को मोरहर, दरधा, फल्गु में और उसके बाद उस पानी को नालंदा तक ले जाने की योजना थी उस पर भी सरकार की कोई चर्चा नहीं हुई ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब पांच मिनट समय आपका बचा है ।

श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव : महोदय, हम अपने समय के अंदर ही अपनी बात को रखेंगे । उसी तरह पी0एच0ई0डी0 से भी जुड़ा हुआ सवाल है कि पिछले जब से नल–जल योजना की शुरूआत हुई और सरकार के द्वारा जो चापाकल लगाया जाता था वह लगाना बंद हुआ । खासकर हमारे इलाके में जहां सुखाड़ होता है, पानी का घोर संकट होता है । महोदय, चूंकि नल–जल योजना पूरी तरह फेल है, कहीं भी किसी तरह का कोई काम नहीं हो रहा है । हमलोग कार्यपालक अभियंता को फोन करते हैं तो होता है कि टेंडर की प्रक्रिया में है, हमलोग उसको दुरूस्त करेंगे, यही जवाब मिलता है । हम आज महोदय के माध्यम से सरकार से यह भी मांग करेंगे कि सुखाड़ की स्थिति होने वाली है और हम चाहेंगे कि सभी विधान सभा क्षेत्रों में 500–500 चापाकल कम से कम सरकार लगाये ताकि उससे पीने का पानी आसानी से आमलोगों को मिल सके ।

आज इसी में सामान्य प्रशासन की भी सूचना एवं जनसंपर्क विभाग का भी है विभाग । महोदय, यहां सूचना एवं जनसंपर्क विभाग सिर्फ अननेसेसरी पैसा सरकार के झूठे प्रचार में लगा रही है । महोदय, उससे आम लोगों को एक नया

पैसे का फायदा नहीं है । जितनी भी महत्वपूर्ण योजनाओं की कैबिनेट में स्वीकृति होती है सचिवालय के अधिकारियों के पास फाईल में दबा रह जाता है और बड़े–बड़े इस्तेहार छपवाकर सिर्फ प्रचार–प्रसार किया जाता है । आज इसी में सामान्य प्रशासन का भी रखा गया है । जितने भी निजी संस्थानें हैं उन संस्थानों में जो लोग आउटसोर्सिंग हैं या फिर जो लोग संविदा पर काम करने वाले हैं उसमें भी हम और हमारी पार्टी, हमारे नेता जो आरक्षण का, आरक्षण उसमें नही ंकिया गया है हमलोग चाहते हैं कि उसमें भी आरक्षण दिया जाय । महोदय,..

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, दो ही मिनट समय आपका बचा है ।

श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव : महोदय, वैसे तो सरकार को सिंचाई विभाग को और पैसा देना चाहिए था और सबसे बड़ा जो ग्रामीण इलाके में आहर, पईन की उड़ाही होती है, उस विभाग को तो आंशिक दिया गया है, 0.58 परसेंट पैसा दिया गया है । जो सबसे, अभी के ग्रामीण इलाके में माइनर एरिगेशन, जो लघु जल संसाधन विभाग है उसमें सबसे ज्यादा आहर, पईन की उड़ाही का इशू रहता है । लगातार उसको लेकर हमलोग विधान सभा में सवाल–जवाब करते रहते हैं । माइनर एरिगेशन के द्वारा जितने भी पईन की उड़ाही की जा रही है, उन पईनों में जो गांव से होकर गुजरता है उसमें सुरक्षा वॉल की जरूरत है । उसमें पुल–पुलिया की जरूरत है और जो गांवों से होकर पईन गुजर रही है वह पईन पक्कीकरण हो और उस पर पूरे गांव के पोर्सन में ढक्कन हो ताकि बूढ़ा–बुजुर्ग उसमें गिरे नहीं, मवेशी गिरे नहीं, लगातार हमलोगों के पास शिकायत होते रहती है..

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब समाप्त कीजिए ।

श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव : महोदय, तो यह बात है और पेयजल को लेकर के..

(व्यवधान)

श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव : नहीं, है तो इतना..

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इधर देखकर बोलिए । अब समाप्त करिए ।

श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव : महोदय, हम अभी तक आप ही की तरफ देखकर बोल रहे थे । उधर से आवाज सुनाई पड़ती है तो देखना पड़ता है । महोदय, हमारे यहां सबसे बड़ा संकट पेयजल की है ।..

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब समाप्त करिए ।

श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव : महोदय, अपने यहां मतलब सिर्फ चार परसेंट ही पानी पीने योग्य है । महोदय, इसके लिए सरकार को पूरी चिंता करनी चाहिए । महोदय, हम अपनी बात समाप्त करने से पहले..

टर्न–18 / हेमन्त / 11.03.2025

अध्यक्ष : आप फिर उधर देख रहे हैं ।

श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव : एक शेर के साथ हम अपनी बात को समाप्त करेंगे कि

''हाथी, घोड़े, तोप, तलवारें, फौज तो तेरी सारी है,

पर जंजीरों में जकड़ा राजा मेरा, अब भी सब पर भारी है ।''

धन्यवाद ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री रामविलास कामत, अपना पक्ष रखें । आपका समय दस मिनट है।

श्री रामविलास कामत : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जल संसाधन विभाग के बजट में मांग के समर्थन में अपनी बात कहने के लिए खड़ा हुआ हूं । मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे यह महत्वपूर्ण समय दिया है । मैं सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के प्रति और सदन में उपस्थित हमारे अभिभावक ऊर्जा मंत्री श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव जी के प्रति और दल के मुख्य सचेतक श्रवण जी के प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने यह समय मुझे दिया है ।

अध्यक्ष महोदय, जल संसाधन विभाग निश्चित रूप से बिहार के संदर्भ में, बिहार की जनता के लिए, उनके दुख दर्द को कम करने के लिए जो काम करता रहा है, निश्चित रूप से वह सराहनीय रहा है । महोदय, बिहार एक ऐसा प्रदेश है कि दुनिया में कहीं बाढ़ आये न आये खासकर उत्तर बिहार में तो बाढ़ आना निश्चित ही है और उस बाढ़ के दंश को झेलने के लिए उत्तर बिहार के लोगों को जो कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उनके दुख दर्द को कम करने के लिए, उनकी कठिनाइयों को कम करने के लिए लगातार जल संसाधन विभाग के माध्यम से जो कार्य किया जाता है, उसी के माध्यम से बाढ़ से प्रभावित लोगों के जान–माल की हिफाजत हो पाती है, उनकी सुरक्षा हो पाती है और उनकी संपत्तियों का बचाव किया जाता है । अध्यक्ष महोदय, हम कहना चाहते हैं कि उत्तर बिहार जहां पर नहीं चाहते हुए भी बाढ़ का आना अवश्यंभावी होता है । अगर बिहार में बरसात नहीं भी हो, तो भी उत्तर बिहार में बाढ़ आती ही है इसका कारण हम सभी जानते हैं कि हिमालय के ऊपरी क्षेत्रों में जोर की बारिश के बाद बिहार में नेपाल के मार्ग से बाढ़ का आना निश्चित ही तय रहता है और जल संसाधन विभाग बाढ़ के बचाव के लिए लगभग 29 बांध परियोजनाओं के माध्यम से बाढ़ के बचाव का कार्य करते हैं । बरसात के समय में, बाढ़ के समय में जब भी आवश्यकता होती है, तो जल संसाधन विभाग के माध्यम से बाढ़ के निरोधीकार्य, तटबंध के मजबूतीकरण, तटबंध के पक्कीकरण, तटबंध को बचाने का कार्यक्रम लगातार सालो भर चलाया जाता है और बाढ़ के समय में बाढ़ के सुरक्षात्मक कार्य भी जल संसाधन विभाग के माध्यम से किया जाता है, जो कि सराहनीय है । अगर इस विभाग का सही मायने में योगदान नहीं हो, तो उत्तर बिहार में जानमाल की बहुत बड़ी क्षति हो सकती है । अध्यक्ष महोदय, मैं एक उदाहरण बताना चाहता हूं कि पिछले साल में सितम्बर के अंतिम सप्ताह में जिस तरह से उत्तर बिहार में और खासकर कोसी नदी में बाढ़ आयी थी, अप्रत्याशित बाढ़ । बिहार के उस इलाके में जहां कोसी नदी का प्रभाव रहता है, बिहार में बारिश नहीं होने के बावजूद भी 28 और 29 सितम्बर को आपदा विभाग के द्वारा जब यह घोषणा की गयी, यह सूचना दी गयी थी कि बिहार में कोसी नदी में 7 लाख क्यूसेक से अधिक पानी आने की संभावना है, तो प्रशासन की भी चिंता बढ़ गयी थी और आम

लोगों की भी चिंता बढ़ गयी थी । महोदय, हुआ भी वैसा ही । 29 सितम्बर की रात में जब कोसी में बाढ़ आयी और भयावह बाढ़ जिसकी परिकल्पना हम लोग नहीं करते, प्रशासन भी नहीं करता । तो इस तरह का पानी आया था कि पानी तटबंध के ऊपर से बहना प्रारंभ हो गया था । सुरक्षा बांधों को ध्वस्त कर दिया था। लोगों के घरों के छप्पर के ऊपर से पानी बहना शुरू हो गया था और उसके बचाव के लिए जल संसाधन विभाग के कर्मी दिन–रात काम कर रहे थे और उस पर नियंत्रण पाया था । अध्यक्ष महोदय, वह भयावह दृश्य देखकर उस इलाके के लोग, उस जिले के लोग जो प्रभावित हुए थे । कोसी बराज के ऊपर से पानी निकलना शुरू हो गया था । तटबंध के ऊपर से पानी बहना शुरू हो गया था और लोगों में भय का माहौल उत्पन्न होना शुरू हो गया था । निश्चित रूप से वह भयावह और डरावनी शाम रही थी । हम लोगों ने नजर से देखा था, प्रशासन भी कांप गया था कि किस तरह से इससे बचाव किया जा सकता है । अध्यक्ष महोदय, मैं यह बताना चाहता हूं कि जिस समय में 54 और 55 ई0 में उस बराज का निर्माण किया गया था, कोसी परियोजना का निर्माण किया गया था । उस समय में जो उसका मानक था वह 9 लाख क्यूसेक पानी की क्षमता का था, लेकिन आते समय में आज के समय में उसकी क्षमता 6 लाख क्यूसेक से अधिक का नहीं बची है जिसका कारण है कि इस बार 6 लाख 65 हजार क्यूसेक पानी के आने बाद वह बैराज भी और तटबंध भी असुरक्षित हो गया था । इसके लिए मैं जल संसाधन मंत्री, बिहार सरकार और केंद्र सरकार से आग्रह करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाले समय में इन कठिनाइयों को देखते हुए, इस आने वाली आपदा के रास्ते को देखते हुए उस बैराज की और तटबंध की मजबूती के लिए आवश्यक कार्रवाई करने की आवश्यकता है ।

अध्यक्ष : दो मिनट और बचे हैं ।

श्री रामविलास कामत : आने वाले समय में इसको मजबूत करने का काम हमको करना चाहिए ताकि उस इलाके के 10–12 जिले, जो बाढ़ से प्रभावित होते हैं । उसकी सुरक्षा और उसके बचाव का हम लोग जिम्मा ले सकें और उनको सुरक्षा दे सकें । अध्यक्ष महोदय, हम कहना चाहते हैं कि तटबंध के माध्यम से बाढ़ की सुरक्षा के काम के साथ–साथ अगर जल संसाधन विभाग के अन्य कार्य को देखें तो सबसे आवश्यक काम है हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाना । सिंचाई का पानी पहुंचाना भी लक्ष्य है जल संसाधन विभाग का और इनके अंदर में अभी हम समझ सकते हैं कि लगभग 36 हजार किलोमीटर नहर का निर्माण करके खेतों तक पानी पहुंचाने का काम जल संसाधन विभाग विभाग के माध्यम से किया जाता है । आज अगर सरकार के लक्ष्य को देखें, सरकार ने जो काम प्रारंभ किया है उन बातों को देखें, तो हर खेत तक सिंचाई हेतु पानी के अंतर्गत चयनित 604 योजनाओं में से 1,19063 हेक्टेयर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य के विरूद्ध 594 योजना पूर्ण कर 1,18493 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जा चुकी है । वर्ष 2024–25 में 16 योजनाओं के क्रियान्वयन से 125000 हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई की क्षमता का सृजन किया जा रहा है ।

अध्यक्ष : अब समाप्त करिये ।

श्री रामविलास कामत : अध्यक्ष महोदय, कहने का मतलब है कि जल संसाधन विभाग बाढ़ के बचाव के साथ–साथ सिंचाई की सुविधा हो इन सारी बातों की चिंता करता है । मैं आपके माध्यम से एक बात माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं जल संसाधन मंत्री जी से और बिहार सरकार से कि एक यह जो महत्वपूर्ण परियोजना उत्तर बिहार के लिए आप लाये हैं ''कोसी मेची लिंक परियोजना'',

(क्रमशः)

टर्न–19 / संगीता / 11.03.2025

(क्रमशः)

श्री राम विलास कामत : अध्यक्ष महोदय, इनका जो कार्यक्रम है जो इसमें मानक तय किया गया है हम समझते हैं कि इस योजना को लागू करने से धरातल पर उतारने से उत्तर बिहार के लागों का कायाकल्प होगा और उनको बाढ़ से भी निजात मिलेगी और सिंचाई की सुविधा भी उनको प्राप्त होगी इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से और केंद्र सरकार से कि ''कोसी मेची लिंक परियोजना'' को जल्द से जल्द शुरू करवाया जाय धरातल पर उतारा जाय ताकि उत्तर बिहार के लोगों का कायाकल्प हो सके उनका दिन–दूनी और रात–चौगुनी विकास हो सके...

अध्यक्ष : समाप्त करिए अब ।

श्री राम विलास कामत : इसी आशा और विश्वास के साथ आप सबों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए मैं अपने नेता नीतीश जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए...

अध्यक्ष : श्री मोहम्मद इजहार असफी ।

श्री राम विलास कामत : और अपनी बात को समाप्त करता हूं । बहुत–बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष : श्री मोहम्मद इजहार असफी । समय आपका 16 मिनट है असफी साहब ।

श्री मोहम्मद इजहार असफी : अध्यक्ष महोदय, आज आपने विपक्ष द्वारा लाए गए कटौती प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का मौका दिया, मैं इसके लिए तहे दिल से आपको शुक्रिया और धन्यवाद करता हूं । साथ ही, मैं जन–जन के नेता आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी और युवा दिलों की धड़कन आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को भी धन्यवाद देता हूं । मैं आभार प्रकट करता हूं कोचाधामन विधान सभा की महान जनता का, जिनके आशीर्वाद, प्यार, सहयोग से आज इस विधान सभा में बोलने का मौका मिला और क्षेत्र के मुद्दों को विधान सभा के सदन पटल पर रखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ । अब तक साढ़े चार साल के कार्यकाल में ईमानदारी और निष्ठापूर्वक जहां तक हो सका हमने सेवा करने का कार्य किया और आगे भी लगातार जनहित में कार्य करता रहूंगा । महोदय, मैं सदन में एक शेर पढ़ना चाहता हूं कि :

''गमों के आंसुओं को उबाल कर तो देखो
उससे जो रंग बने किसी पर डाल कर तो देखो
किसी के पैरों में चुभ गया हो अगर कांटा

उसके पैरों का कांटा निकाल कर तो देखो ।''

महोदय कोचाधामन विधान सभा सहित पूरे सीमांचल क्षेत्र में अनेकों नदियों का जाल बिछा हुआ है जिसमें हर वर्ष हजारों एकड़ उपजाऊ जमीन और दर्जनों घर...

अध्यक्ष : महोदय, आपने कहा है तो मैं भी कुछ कह दूं :

''झांक रहे हैं इधर–उधर सब अपने अंदर झांके कौन
ढूंढ़ रहे हैं दुनिया में कमियां, अपने मन में ताके कौन''

असफी जी, बोलिए ।

श्री मोहम्मद इजहार असफी : महोदय, कोचाधामन विधान सभा सहित पूरे सीमांचल क्षेत्र में अनेकों नदियों का जाल बिछा हुआ है जिसमें हर वर्ष हजारों एकड़ उपजाऊ जमीन और दर्जनों घर नदी में विलिन हो जाता है पर मौजूदा केंद्र और राज्य सरकार की अनदेखी के कारण क्षेत्र में कटावरोधक कार्य नहीं के बराबर हो रहा है।

(इस अवसर पर उपाध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अगर कहीं–कहीं कटावरोधक कार्य किया भी गया है तो वह कारगर नहीं है । मैं मंत्री जी से मुखातिब होकर कहना चाहता हूं कि जब बारिश शुरू होती है तब फ्लड कंट्रोल का कार्य शुरू होता है । जैसे ही नदी का जलस्तर बढ़ता है और उधर बोरा और बालू भरा जाता है और सभी बालू और बोरा को नदी में बहा दिया जाता है इसलिए अगर सही तरीके से फ्लड कंट्रोल का कार्य करना है तो बाढ़ के आने से पूर्व कार्य पूर्ण होना चाहिए । फ्लड कंट्रोल का कार्य जनवरी, फरवरी, मार्च या अप्रैल तक पूर्ण हो जाना चाहिए जबकि जून से अक्टूबर के बीच सैलाब का समय फ्लड फाइटिंग से काम किया जाता है जो कि किसी भी तरीके से कारगर साबित नहीं होता है । सिर्फ खानापूर्ति किया जाता है महोदय, इसमें संवेदक और बिचौलियों के जरिये सरकारी राशि का बंदरबांट किया जाता है । महोदय, मेरे क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर कटावरोधक कार्य होना अति आवश्यक है । किशनगंज जिला के कोचाधामन प्रखंड के पुलिस लाइन से एएमयू सेंटर तक लगभग 5 किलोमीटर महानंदा नदी किनारे बोल्डर पीचिंग या जियो बैग से काम होना चाहिए । कोचाधामन प्रखंड के गरगांव पंचायत के कोलबाड़ी में कटावरोधक कार्य होना चाहिए । बगलबाड़ी पंचायत के बगलबाड़ी और बड़बन्ना में कटावरोधक कार्य होना चाहिए, मजकूड़ी पंचायत के चिकनी, निंगसिया और मजकूड़ी पूरब मजकूड़ी पश्चिम में कटावरोधक काम होना चाहिए । खखुआ नदी में शेष बचे हुए भाग में कटावरोधक काम कराया जाय । विशनपुर पंचायत अंतर्गत चैनपुर के निकट अवस्थित पुल के दक्षिण तरफ कटावरोधक कार्य करना चाहिए । बलिया पंचायत के बलिया और कदमगाछी में कटावरोधक कार्य होना चाहिए । धौला पंचायत के पोरलाबाड़ी, गाछपाड़ा पंचायत के शर्मा टोली में कटावरोधक कार्य होना चाहिए । अध्यक्ष महोदय, एक तरफ सरकार नदियों को नदियों से जोड़ने की योजना चला रही है, दुःख की बात है कि मेरे विधान सभा अंतर्गत घूर्णा कब्रिस्तान और डोकपार

टेंगनमाड़ी कब्रिस्तान लगभग 80 परसेंट नदी में कटकर विलीन हो चुका है, विभाग कब्रिस्तान को बचा नहीं पा रही है ।

महोदय, महानंदा बेसिन योजना के तहत बांध के निर्माण हेतु पूर्व डिजाइनिंग के आधार पर जमीन अधिग्रहण किया जा रहा है जो कि सरासर गलत है, वर्तमान में जो नदी का रूख है उसके बगल में ही बोल्डर पीचिंग किया जाय । महोदय, अगर बांध का निर्माण पूर्व के डिजाइन के अनुसार करेगा तो पूर्णिया, किशनगंज, अररिया और कटिहार जिला के 10 हजार एकड़ से अधिक कृषि भूमि प्रभावित होगी जिससे किसानों को आजीविका में संकट हो जाएगी इसलिए तत्काल बांध निर्माण कार्य को रोका जाय और नए सिरे से डिजाइन तैयार कर तटबंध का काम नदी के बगल में किया जाय । महोदय, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग से मेरे विधान सभा क्षेत्राधीन में 100 नए वॉटर प्लांट लगाने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुकी है । कई बार निविदा प्रकाशित हुआ परन्तु अभी तक निविदा पूर्ण कर कार्य निष्पादित नहीं किया गया है । अध्यक्ष महोदय, सदन के माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि क्या वजह है कि निविदा ससमय निष्पादित कर कार्य पूर्ण नहीं कराया जा रहा है । ग्लोबल टेंडर किया जा रहा है जो कि सरासर छोटे संवेदक के साथ अन्याय है । महोदय, सरकार सिर्फ झूठे वादे कर लोगों को गुमराह, आपसी भाईचारा को भंग कर राज करना चाहती है । एक तरफ सरकार बोलती है कि हम गरीबों के उत्थान के लिए योजना को लागू करेंगे लेकिन सब खोखले साबित हुए । कहां गए हर वर्ष के 2 करोड़ रोजगार, 15 लाख रुपये प्रत्येक व्यक्ति के खाते में आया क्या ? स्मार्ट सिटी की बात कहां गई, बुलेट ट्रेन चलाने की बात, डबल इंजन की सरकार किसानों की आय 2022 तक दोगुनी की बात कही गयी थी, अभी तक किसानों के हित में कुछ नहीं हो पाया है और वादा खोखला साबित हुआ । अध्यक्ष महोदय, ये डबल इंजन की सरकार धार्मिक उन्माद फैलाकर सत्ता में पुनः काबिज होना चाहती है ।

(क्रमशः)

टर्न–20 / सुरज / 11.03.2025

श्री मुहम्मद इजहार असफी :(क्रमशः) आने वाले विधान सभा चुनाव में जनता मुंहतोड़ जवाब देगी और वादे वाली सरकार को उखाड़ फेकेगी । अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की सरकार है, उनके कार्यशैली से लोग अब तक ऊब चुके हैं । मुख्यमंत्री जी चंद रिटायर अधिकारी के सहारे बिहार में सरकार चला रहे हैं । इनके कार्यकाल में अफसरशाही पूर्ण रूप से हाबी है । मुख्यमंत्री जी आपको सत्ता का काम युवाओं के हाथ में सौंप देना चाहिये ।

महोदय, अभी अधिकतर विभाग खासकर ग्रामीण कार्य विभाग में टेंडर का ग्लोबल किया जा रहा है जो कि आर्थिक समानता के विरूद्ध है । वर्ग–2, 3 और 4 के संवेदक के पास कोई काम नहीं है । सभी छोटे संवेदकों के लिये परिवार का भरण–पोषण करना बेहद मुश्किल हो गया है । मैं सरकार से ग्लोबल

टेंडर को रद्द करने की मांग करता हूं । महोदय, मेरे विधान सभा अंतर्गत मस्तान चौक से मालाडेगा भाया रहमतपाड़ा कजलामुनि सोंथा जाने वाली आर0सी0डी0 पथ को चौड़ा 5.5 मीटर से 7 मीटर करना अति आवश्यक है । किशनगंज जिलान्तर्गत देवमार्केट से जियापोखर जाने वाली आर0सी0डी0 पथ का चौड़ीकरण जनहित में अतिआवश्यक है । महोदय, पुरंदाहा घाट पर पुल का निर्माण कार्य होना चाहिये, कुट्टी घाट पर पुल का निर्माण होना चाहिये, चिलमाड़ी में पुल का निर्माण होना चाहिये, खत्ताटोली के निकट पुल का निर्माण कार्य होना चाहिये । अधूरे रियादअली पुल का निर्माण कार्य होना चाहिये ।

महोदय, अभी कुछ महीने पहले प्रखंड स्तर पर शिक्षा विभाग में ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर की बहाली निविदा पर हुई थी, कुछ ही दिन पहले अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग के द्वारा इन लोगों को हटाने की बात की जा रही थी जो कि सरासर गलत नीति है । इन लोगों का समायोजन किया जाए या यथावत रखा जाए । महोदय, कई वर्षों से देखा जा रहा है कि मदरसा शिक्षकों की बहाली में रोक लगी हुई है । हालात ऐसे हो गये हैं कि बहुत से मदरसों में एक भी शिक्षक पदस्थापित नहीं हैं, जिस कारण मदरसा में ताला लग चुका है जो कि शिक्षा के अधिकार के नियम...

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपके पास मात्र 2 मिनट का समय है ।

श्री मुहम्मद इजहार असफी : ठीक है महोदय दो मिनट से पहले खत्म कर देंगे । अनुरोध है कि जितनी जल्दी हो सके बिहार राज्य मदरसा एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन का चयन कर रिक्त पद पर बहाली करवायी जाए ।

उपाध्यक्ष महोदय, 2459 प्लस एक में कुल 814 मदरसों को अब तक शिक्षा विभाग द्वारा अनुदान की श्रेणी में लाया जा चुका है । शेष बचे 1646 मदरसों को अभी तक अनुदान की श्रेणी में नहीं लिया गया है जबकि ये सारे मदरसे शिक्षा विभाग का संकल्प संख्या–1090, दिनांक–29.11.1980 की सारी शर्तों को पूरा करता है । महोदय, ए0एम0यू0 शाखा, किशनगंज का फंड रिलिज कराया जाय । किशनगंज में बहुत चीजों की कमी है लेकिन किशनगंज में कम से कम अभी मेडिकल कॉलेज....

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब अपना भाषण समाप्त करें ।

श्री मुहम्मद इजहार असफी : का निर्माण किया जाए । इसी के साथ अगर आदेश हो तो मैं एक शेर अर्ज करूं कि:

अपना तो काम है जलाते चलो चिराग
रास्ते में दोस्त या दुश्मन का घर पड़े ।

बहुत–बहुत शुक्रिया ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री राम सिंह जी, आप अपना पक्ष प्रस्तुत करें । आपका समय 13 मिनट का है ।

श्री राम सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय आज जल संसाधन विभाग, लघु जल संसाधन विभाग साहित कई विभागों की सरकार की उपलब्धि पर बोलने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं और इसके लिये मैं आपका आभार प्रकट करता हूं । मैं माननीय उप

मुख्यमंत्री भाई सम्राट चौधरी जी एवं उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी एवं मुख्य सचेतक जनक सिंह जी का भी आभार प्रकट करता हूं और मैं आभार प्रकट करता हूं अपनी विधान की महान जनता का, जिन्होंने मुझे इस सदन में भेजने का काम किया है । महोदय, कुछ आवाज उधर से आ रही थी 2005 के पहले मैं कुछ कहना चाहता हूं 24 नवम्बर, 2005 के पहले । मैं उस क्षेत्र से आता हूं, जिसे चंबल घाटी जाना जाता था और उस समय जंगल में पौधा लगाने का काम हुआ करता था, उस समय चाट लगता था लकड़ियों का । भाई वीरेन्द्र जी माले के नेता हैं, हमारे ही जिला के हैं । वह जानते होंगे उस समय पुलिसबल कैदी को जमा करने के लिये ले गया था वहां और वापस आया उस लकड़ी की चट्टे पर बैठाकर चारों तरफ से अपराधियों ने जिंदा जला दिया । क्या बीता होगा उसके शरीर पर, क्या बीता होगा उसके मां, बहनों पर, क्या बीता होगा उसकी पत्नी पर। महोदय, नरकटिया नरसंहार, थर्मर का नरसंहार मेरे ऊपर बीता हुआ है । मुझे सब घेर लिया मैंने कहा मारना हो तो मार दो यार क्या मिलेगा तुमको मेरे आग्रह के बाद मुझको छोड़ दिया । ऐसी बर्बर स्थिति में 24 नवम्बर, 2005 के पहले कुर्सी तो वही थी और जैसे ही कुर्सी पर व्यक्ति बदला विकास पुरूष नीतीश कुमार बैठे, एन0डी0ए0 का शासन आया तो सारा हथियार या तो नदी में गाड़ दिया गया या फेंक कर हल उठा लिया गया या दूसरे प्रदेशों में जाकर काम करने लगा । ऐसी सरकार आयी जो अमन सुख चैन शांति का चारों ओर, जी हां सभी की आत्मा गवाही दे रही होगी उस समय का जंगलराज और आज का राज, आज 12 बजे रात में भी मां, बहन जाती है कोई अगुंली उठाने वाला नहीं मिलता है । महबूब भाई हस रहे हैं लगता है इनको भी एहसास हुआ होगा ।

महोदय, आज जो जल संसाधन है वो मानवता के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर आया है और यह दुनिया में सबसे ज्यादा हवा के बाद मनुष्य के लिये जो आवश्यक है वह जल संसाधन है । महोदय, आज जिस प्रकार से जल संसाधन के क्षेत्र में गिरावट आ रही है, भू–गर्भ जल के क्षेत्र में और जिस तरह से जल की प्रचूरता के बाद भी जल की कमी हो रही है, यह हम सब के लिये सदन के लिये चिंता का विषय है । मानवता के सामने मौजूद सबसे चिंताजनक चुनौतियों में से एक है पानी का संकट । भारत भी उन देशों में से एक है जहां जल संकट बहुत जटिल अवस्था में है जिसका समाधान करने के लिये अनिवार्य कदम उठाये जाने की आवश्यकता है और भारत सरकार ने इसके लिये लगातार कदम उठाये हैं । महोदय, इसके तहत बिहार में भी जल संसाधन पर काम शुरू हुआ है । महोदय, संयुक्त राष्ट्र संघ की सिफारिश के अनुसार हर व्यक्ति को पीने, कपड़े धोने, खाना पकाने और शरीरिक स्वच्छता के लिये प्रतिदिन कम से कम 50 लीटर पानी की आवश्यकता है । जलवायु परिवर्तन के कारण मौजूदा पर्यावरणीय मुद्दों को देखते हुये जल संकट एक बड़ा खतरा बन गया है । महोदय, इसलिये हम सबके लिये यह एक भविष्य के लिये चिंता का विषय है । इसमें यह कहना माननीय सदस्यों का भी कि और राशि कम कर दी जाए । हम क्यों राशि दे ? तो कैसे मनुष्य जिंदा रहेगा । आज जल संसाधन को इसकी भी चिंता करनी है ।

जल संसाधन के लिये जो सबसे बड़ी चुनौती है वह है बिहार के अंदर बाढ़ विभिषिका जो आपदा बनकर आती है और यह प्राकृतिक आपदा में आती है । यह कोई मानव निर्मित आपदा नहीं है । महोदय, इस प्राकृतिक आपदा में यह भारत का सबसे अधिक बाढ़ ग्रस्त राज्य है जहां उत्तर बिहार में 76 प्रतिशत आबादी बाढ़ की तबाही के आवर्ती खतरे में है अर्थात यह नहीं कि खतरा आया और टल गया हमेशा के लिये । यह लगातार खतरा बना रहता है ।

टर्न–21 / राहुल / 11.03.2025

श्री राम सिंह : (क्रमशः) प्रतिवर्ष जब सावन भादो का महीना आता है तो हमारे बाढ़ चिंता का विषय हो जाता है और राज्य का सारा कामकाज हमारे मंत्री सहित अधिकारियों को भी बाढ़ की तबाही के लिए लगना पड़ता है और यह बाढ़ की विभीषिका लगातार बढ़ती जा रही है । आजादी के पहले जितना बाढ़ क्षेत्र बिहार के अंदर था आज उससे कहीं अधिक बढ़ गया है । महोदय, उसका कारण है अंधाधुंध सड़कों का बनना, जो सड़कों का निर्माण हो रहा है, बसावट जिस तरह हो रही है, आबादी का बढ़ना और यह बसावट किसी प्लान के तहत नहीं होती है जो पानी का रास्ता, महोदय आप देखेंगे कि अक्सर हम लोग गांव के अंदर रहते हैं और बरसात के समय बाढ़ के समय सबसे बड़ी जो परेशानी होती है कि सस्ती दर पर जहां पानी का बहाव था उस जमीन को खरीदकर वहीं घर बना रहे हैं। महोदय, यह अत्यधिक चिंता का विषय है और आने वाले समय में केवल जलजमाव का समय होगा । महोदय, कितना हम लिफ्ट के माध्यम से और कितना हम मोटर पंप लगाकर पानी को खींचकर बाहर लगाते रहेंगे । इस पर एक समेकित चिंतन होना चाहिए सदन के अंदर ताकि इन समस्याओं से निजात पा सकें । महोदय, यह एक केवल राजनीतिक समस्या नहीं है बल्कि सामाजिक समस्या है और इसलिए समाज को मिलकर इसके प्रति जागरूकता पैदा करनी पड़ेगी तभी जाकर यह हो सकेगा । आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय–2 के तहत सरकार द्वारा संभव माध्यम से हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने का निश्चय किया गया है । इसके साथ ही जल संसाधन विभाग के नेतृत्व में लगभग सभी ग्राम टोलों में संयुक्त तकनीकी सर्वेक्षण का कार्य पूरा कर योजनाओं का चयन किया जिन्हें जल संसाधन विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, कृषि विभाग तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है । योजनाओं के चयन में स्थानीय किसानों के सुझावों को भी शामिल किया गया है । संयुक्त तकनीकी सर्वेक्षण कर जल संसाधन विभाग के लिए 604 अदद योजनाओं से 1 लाख 19 हजार 63 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई के पुर्नस्थापन के लक्ष्य के विरूद्ध अब तक 594 अदद योजनाएं पूर्ण कर 1 लाख 18 हजार 493 हेक्टेयर में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध करा दी गयी हैं । योजना हेतु चालू वित्तीय वर्ष में पर्याप्त राशि का उपबंध बजट में अलग से किया गया है । पश्चिमी और पूर्वी चंपारण जिले में

239.63 करोड़ की लगात से सिकरहना नदी पर 56.22 कि0मी0 की लंबाई में दायां तटबंध का निर्माण कराया जा रहा है । योजना को दिसंबर, 2025 तक पूर्ण किया जाना है । पश्चिमी चंपारण जिले में 214.96 करोड़ की लागत से मसान नदी के बायां एवं दायां तटबंध में कुल 46.06 कि0मी0 में नये तटबंध का निर्माण एवं कुल 24.24 कि0मी0 में तटबंध का उच्चीकरण एवं सुदृढ़िकरण कार्य कराया जा रहा है । योजना को दिसंबर, 2025 तक पूर्ण किया जाना है । माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपको बता दूं सिकरहना नदी और मसान नदी, मसान नदी की भी उत्पत्ति रामनगर विधान सभा से हुई है और सिकरहना नदी की उत्पत्ति मेरे विधान सभा से हुई है और दोनों ही इतनी जटिल नदी हैं कि जिस तरह केबल में तार में स्विच ऑन कीजिये और पावर पहुंचने में देरी नहीं है उसी तरह यह नदी है । जब जंगलों में बारिश होती है तो इतनी तेजी के साथ बाढ़ आती है कि सब जगह धाराशाही करते हुए, हमारे एक मित्र बोल रहे थे मस्जिद और कटाव का तो मेरे क्षेत्र में भी मस्जिद का भी कटाव हुआ है लेकिन मैं 2020 में जब जीतकर आया तब से मैं मसान नदी के तटबंध निर्माण के लिए आवाज उठाता रहा, माननीय मुख्यमंत्री जी को इसके लिए बधाई देना चाहता हूं कि हमारी बात को सुनकर और इन्होंने 215 करोड़ रुपये देकर उस क्षेत्र की जनता का भला किया है इसके लिए आज एस0टी0 समाज, एस0 सी0 समाज, अल्पसंख्यक समाज, अन्य पिछड़ा, अति पिछड़ा सभी समाज की तरफ से हृदय की गहराई से हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूं अपने विकास पुरूष मुख्यमंत्री जी का जो इन्होंने एक फसल ही नहीं गांवों को बचाने का जो काम किया है । इन्होंने मदरसों को जो बचाने का काम किया है, मस्जिदों को जो बचाने का काम किया है, मंदिरों को जो बचाने का काम किया है यह बहुत बड़ी उपलब्धि है । मैं एक बात और कहना चाहता हूं सिंचाई मंत्री जी बैठे हुए हैं हमारे भाई सम्राट जी और भाई नीतीश कुमार जी बैठे हुए हैं । मैं सुलभ सड़क के मार्ग की तरफ ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं । जब 2023 में हम सत्ता में नहीं थे, जब मुख्यमंत्री जी समाधान यात्रा में गये थे उस समय हमने उनसे कहा था, मुख्यमंत्री जी को दिया था उसको लिखित रूप में डी0पी0आर0 बन गया है । सिंचाई विभाग और आर0सी0डी0 के द्वारा वह लगभग 100 करोड़ का है इसलिए मैं आग्रह करना चाहता हूं, माननीय सिंचाई मंत्री जी मैं आग्रह करना चाहता हूं कि आपके विभाग के जमीन के अधिग्रहण ही करना है, उच्चीकरण ज्यादा नहीं करना है, जमीन में पैसा नहीं लगना है और आर0सी0डी0 से आग्रह करना चाहता हूं कि उस जमीन को अधिक से अधिक जल्दी, शीघ्र अधिग्रहण करके उस पर सुलभ सड़क मार्ग बनाने का काम करे जो एक मील का पत्थर साबित होगा...

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य आपके पास मात्र एक मिनट का वक्त है ।

श्री राम सिंह : जय हिंद, जय भारत ।

उपाध्यक्ष : अब मैं आग्रह करता हूं श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता जी अपना पक्ष प्रस्तुत करें । आपके पास में 8 मिनट का वक्त है ।

श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता : धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय । मैं कटौती प्रस्ताव जो जल संसाधन विभाग, जिस पर प्रमुख रूप से आज बहस होनी है, कटौती प्रस्ताव के पक्ष में मैं अपना वक्तव्य रखना चाहता हूं । महोदय, कटौती प्रस्ताव के पक्ष में मैं इसलिए हूं कि 20 सालों से जो सरकार चल रही है उस सरकार ने जो बिहार की मुख्य चुनौती है बाढ़ की समस्या, कटाव की समस्या के निदान का, सुखाड़ की समस्या के समाधान का, उस मामले में इस सरकार ने पूरा संसाधनों को बर्बाद किया है, पूरा समय बर्बाद किया है और फ्लड फाइटिंग के नाम पर पूरे तौर पर जल संसाधन विभाग के पैसों की व्यापक पैमाने पर लूट हुई और यह सरकार जो है इसने कोशी जल प्रलय से भी नहीं सीखा कि जो आज बांध, जो बड़े बांध बनाने के प्रस्ताव की बात आयी है तो उस कोशी जल प्रलय से भी इसने नहीं सीखा जिसमें हजारो, हजार लोग मर गये, हजारों, हजार एकड़ खेती की जमीन बर्बाद हो गयी । इस सरकार ने चंपारण में पिपरा–पिपरासी जो तटबंध है वह भी इसी सरकार के कार्यकाल में टूटा और उसमें भी सैकड़ों लोगों की जानें गयी और हजारों एकड़ जमीन बर्बाद हुई और इस सरकार ने उससे कुछ नहीं सीखा । महोदय, हम आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहेंगे कि आज जो यह प्रस्ताव आया है सिकरहना तटबंध के निर्माण का, हम कहना चाहते हैं कि सिकरहना तटबंध जो है, जो बनाने की बात आ रही है, पुलिस के बल पर वह पूरे तौर पर केस मुकदमा करके लोगों को फंसाकर के जो लोग बांध का विरोध कर रहे हैं कि हमारे लिए विनाशकारी है और यह सरकार उस काम को करते जा रही है। महोदय, हम आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि यह महानंदा नदी का जो बांध है उस पर भी इसी ढंग का रवैया अपनाया गया है, बागमती तटबंध का जो निर्माण कार्य है उस पर यही रवैया अपनाया गया है । हम यह कहना चाहेंगे सिकरहना तटबंध का जो निर्माण है उससे पूर्वी और पश्चिमी चंपारण के 250 जो गांव हैं वे डूब के क्षेत्र में बदल जायेंगे, जलजमाव के क्षेत्र में बदल जायेंगे और विस्थापन की बड़ी समस्या खड़ी हो जायेगी और इस सरकार के पास विस्थापन की समस्या का कोई हल नहीं है । हजारों–हजार एकड़ जमीन पूरे तौर पर डूब क्षेत्र में बदल जायेगी, जहां जंगल, झाड़ उगेंगे और रेत में बदल जायेगा । महोदय, हम आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि गंडक का एक बड़ा बांध हमारे यहां बना और उस दौर में उसने पूरा विनाशकारी अपना प्रभाव दिखाया और धनहा ब्लॉक जो हमारे यहां हुआ करता था उसकी आबादी सबसे बड़ी हुआ करती थी ।

(क्रमशः)

टर्न–22 / मुकुल / 11.03.2025

क्रमश :

श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ा विधान सभा क्षेत्र हुआ करता था, जिसमें सबसे ज्यादा वोटर हुआ करते थे लेकिन सब लोगों को बांध बनने के बाद दर–दर की ठोकरे खानी पड़ी और कोई बगहा रेल की जमीन में बसा हुआ, कोई उत्तर प्रदेश भाग गया लेकिन सरकार ने उसका कोई देख रेख नहीं किया और उसके बाद भी बांध के रख–रखाव पर अरबों–अरब रुपये रोज खर्च हो रहे हैं,

बगहा जैसा शहर कट गया तो हमने उस प्रभाव को देखा है, कोसी ने भी उस प्रभाव को देखा है । हम आपसे यह कहना चाहेंगे बागमती तटबंध जो बनाया जा रहा है, उसका जो डाउन स्ट्रीम है, जो हायाघाट से खगड़िया तक बनाया गया है उसमें नदी के एकदम किनारे से बांध बनाया गया है, वह पानी के प्रवाह को जारी नहीं रख पाता और नतीजे के तौर पर उसी बांध के अपस्ट्रीम में जो सीतामढ़ी में बांध बनाया गया है, उसके दो गांव के पास इस साल बांध टूट गया, पांच जगहों पर टूटा दो गांवों में, तिलक ताजपुर और महतौल । हम यह कहना चाहेंगे कि उसके शेष पीच का हिस्सा है जो मुजफ्फरपुर में बनाया जा रहा है बागमती तटबंध का, वहां से बाढ़ का पानी का प्रवाह होता है, तब यह स्थिति है कि उसके अपस्ट्रीम में जो है सीतामढ़ी में बांध टूट जाता है यदि मुजफ्फरपुर में बांध बना दिया जाये तो क्या नतीजा होगा । हम यह कहना चाहेंगे कि उस बांध के जद में बागमती जो तटबंध बन रहा है उसके जद में 94 गांव जो हैं, वह डूब क्षेत्र में बदल जायेंगे, हजारों नहीं लाखों एकड़ जमीन जो है वह जंगल और रेत में बदल जायेगी और उसके लिए जो रिव्यू कमेटी बनी थी उस रिव्यू कमेटी पर भी सरकार ने विचार नहीं किया और उसको सार्वजनिक नहीं किया और सीधे तौर पर यह बांध बनाने का निर्णय लिया गया है और 100–100 पुलिस वाले जाते हैं और उसके साथ ए0डी0एम0 जाते हैं, बी0डी0ओ0, सी0ओ0 जाते हैं, तमाम प्रशासन के लोग जाते हैं ये कौन सा विकास का काम है । आप कह रहे हैं कि हम बाढ़ से रोकने के लिए तमाम समस्याओं का समाधान कर रहे हैं वहां की जनता कह रही है कि बाढ़ हमारी समस्या नहीं है, बाढ़ हमारे लिए वरदान है, यही हाल महानंदा का है महोदय । महानंदा जो नदी है किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार से गुजरते हुए आती है लेकिन वहां बांध बनाने का जो प्रस्ताव है, आप सोच लें कि वह बांध जो है 1960 के दशक में शुरू हुआ, 1970 के दशक में, लोगों ने विरोध किया और उसके बाद वह बांध रुक गया, फिर 16 किलोमीटर, 18 किलोमीटर के दायरे में, 10 किलोमीटर के दायरे में नदी की दूरी से वह बांध बनाया गया तब भी बाढ़ का पानी कंट्रोल नहीं हो सका और वह बांध जो है शिवगंज में टूट गया । आज उस बांध को आप 4 किलोमीटर के दायरे में बना रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा जल प्रलय होगा । कोसी हम समझते हैं, माननीय मंत्री जी मुस्कुरा रहे हैं, श्रवण बाबू तो हम यह कहना चाहेंगे कि हमारे पिपरा–पिपरासी जो तटबंध टूटा था तो उसमें फुटबॉल की तरह लोग जो हैं, गांव के झोपड़ियां, तमाम लोग फुटबॉल की तरह उड़ते, नाचते हुए आपको.....

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब आप अपना आसन ग्रहण करें ।

श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता : महोदय, मैं अपनी बात संक्षिप्त में कहूंगा, कुछ हमारी मांगें हैं । हम यह कहना चाहेंगे कि सूखे की समस्या पूरे दक्षिण बिहार में रहती है तो कदवन जो जलाशय है उसका निर्माण किया जाए उससे 17 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित होगी । हमारे अपने क्षेत्र की कुछ समस्या है महोदय कि सिकरहना नदी तट पर जो गांव हैं हमारे मोगलहिया, सुन्दरगांवा से लेकर के सोनवर्षा, कदमवा, महेसड़ा, नरकटिया ये सब कट नहे हैं । वहां जो है कटावरोधी स्थायी काम किया जाय

और बांधों के निर्माण के बदले महानंद, सिकरहना बांधों के निर्माण के बदले कटावरोधी काम किया जाय, नदियों के गाद की सफाई हो ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब आप अपना आसन ग्रहण करें । माननीय सदस्य प्रफुल्ल कुमार मांझी जी, आप अपना पक्ष रखें ।

श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी : उपाध्यक्ष महोदय, बहुत–बहुत धन्यवाद और हम आभार व्यक्त करते हैं अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी और हम अपने नेता डॉ0 संतोष सुमन जी का । आज हम सरकार के द्वारा लाये गये बजट के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हैं । जल संसाधन विभाग बहुत सारी योजनाओं को लाया है, चेक डैम बनाया, डैम बनाया, नदियों को जोड़ने का काम किया वे सारी बातें बहुत सारे साथियों ने किया है । हम अपने क्षेत्र की बात करना चाहेंगे, हम सिकंदरा विधान सभा क्षेत्र से आते हैं, जहां प्रगति यात्रा में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी गये थे, अपन क्यूल का इन्होंने लाइनिंग करने का काम किया है, हम मांग करते हैं कि लोयर क्यूल का अगर लाइनिंग कर दिया जाता है तो सिकंदरा क्षेत्र जो रेनसेडो एरिया में पड़ता है । अगर सब जगह बारिश होती है वहां बहुत कम बारिश होती है नतीजा यह होता है कि लोगों को पीने का पानी उपलब्ध नहीं हो पाता है । उपाध्यक्ष महोदय, हम आपके माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि रेनसेडो एरिया रहने के कारण वहां कुछ विशेष व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि लोगों को पानी मिले, पशु–पक्षियों को पानी मिले, सिंचाई की व्यवस्था हो, अगर सिंचाई की व्यवस्था होगी, किसान संपन्न होंगे, अनाज का उत्पादन होगा, आर्थिक उन्नति होगी, मजदूरों को भी काम मिलेगा, युवा जो इधर–उधर जाते हैं, युवा भी उसी क्षेत्र में काम करना चाहेंगे । हम कहना चाहेंगे कि अगर जो अभी मुझे कैलाश डैम जो जमुई जिला में अवस्थित है और उसका कार्यालय नवादा जिला में चलता है, जबकि अलीगंज प्रखंड में उसकी सिंचाई होती है जो जमुई जिला में है । जमुई जिला में उसका सारा चीज है और कार्यालय नवादा जिला में चलता है, हम आपके माध्यम से सरकार से मांग करेंगे कि उस कार्यालय को जो नवादा जिला में चलता है ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब आप अपना भाषण समाप्त करें ।

श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी : बहुत–बहुत धन्यवाद महोदय ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री राम रतन सिंह जी । आप अपना पक्ष रखें ।

श्री राम रतन सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जल संसाधन विभाग के कटौती प्रस्ताव के पक्ष में मैं कुछ बातों को रखना चाहता हूं । उपाध्यक्ष महोदय, जल संसाधन विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है, नदियों के किनारे की जो आबादी लाखों–लाख की संख्या में जो लोग बसे हुए हैं उनकी रोज की जिंदगी के साथ नदियों का संबंध जुड़ा हुआ है, लेकिन होता क्या रहा है कि आजादी के लगभग 50–60 वर्षों का जो यह काल गुजरा है उसमें अरबों–अरब रुपये बाढ़ नियंत्रण के नाम पर खर्च हुए हैं, लेकिन आज की तारीख में भी जब नदियों के पानी का जल स्तर बढ़ता है तो दोनों तरफ अगल–बगल के जो लोग हैं, अगल–बगल की जो आबादी है उसकी परेशानी बढ़ जाती है और अरबों–खरबों रुपये उनके बर्बाद हो जाते हैं । मेरा कहना है इस

सिलसिले में कि सरकार अगर सही मायने में बाढ़ और सूखार का स्थायी निदान करना चाहती है तो निश्चित रूप से आपके पास बड़े–बड़े इंजीनियर हैं, आप उन इंजीनियरों के माध्यम से जब बाढ़, नदियों का पानी बिल्कुल नीचे चला जाय तब उसका मैप तैयार करवाइये और उस समय से आप उन नदियों के बाढ़ को नियंत्रित करने के सिलसिले में कदम उठाइये तब मैं समझता हूं कि भीषण बर्बादी को आप रोक पायेंगे, बाढ़ से नियंत्रण करके आप किसानों को, मजदूरों को, अगल–बगल के जो लोग हैं उनकी हिफाजत भी आप कर सकते हैं ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका समय हो गया है । अब आप अपना आसन ग्रहण करें।

श्री राम रतन सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह तो मैं मानता हूं कि हमारे पास 2 मिनट का समय है । लेकिन मैं बेगूसराय जिला के बारे में कहना चाहता हूं कि दोनों तरफ नदियों के जाल में हमलोग फंसे हुए हैं, उत्तर में भी अगर आप जायेंगे तो आप देखेंगे कि उधर बखरी से लेकर के उस इलाके का पूरा गंडक नदी हो, बलान हो अथवा कोसी हो ।

टर्न–23 / यानपति / 11.03.2025

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब आप अपना आसन ग्रहण करें ।

श्री राम रतन सिंह : लिखकर के दे दें, लिखित है हमारे पास ।

उपाध्यक्ष : दे दिया जाय । माननीय सदस्य, श्री अखतरूल ईमान साहब ।

(अनुपस्थित)

माननीय सदस्या, श्रीमती मीना कुमारी ।

श्रीमती मीना कुमारी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आसन के प्रति आभार व्यक्त करती हूं कि आपने मुझे जल संसाधन विभाग के बजट वर्ष–2025–26 के पक्ष में विचार रखने का मौका दिया और साथ ही मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी और माननीय जल संसाधन विभाग के मंत्री जी का भी आभार व्यक्त करती हूं । महोदय, लोकतंत्र की आत्मा और प्रजातंत्र की आत्मा विधायिका में है और विधायिका की आत्मा चर्चा में है और मुझे बाबूबरही की जनता ने उक्त चर्चा हेतु सदन में भेजा है इसके लिए मैं जनता की शुक्रगुजार हूं । महोदय, बिहार के लिए 2025–26 के लिए जो बजटीय प्रावधान प्रस्तुत किया गया है इससे यह स्पष्ट होता है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार के समावेशी सहयोग से बिहार के विकास के लिए संकल्पित है । वर्तमान बजट वित्तीय परिवेक्ष्य के भविष्य की योजनाओं एवं उसकी नीति सरकार के विचार एवं बहुमूल्य सुझाव को ध्यान में रखते हुए एक समावेशी विकास का बजट है जो सचमुच राज्य के समग्र विकास के लक्ष्य को हासिल करने में कारगर साबित होगा। महोदय, हम दो लाइन कहना चाहेंगे

''मंजिल यूं ही नहीं मिलती दोस्त
एक जुनून जगाना पड़ता है
पूछो चिड़िया से घोसला कैसे बनता है
बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है ।''

महोदय, हम तमाम लोग जानते हैं जल है तो कल है यह कथन एकदम सत्य है क्योंकि पानी के बिना पृथ्वी पर किसी का भी जीवित रहना असंभव है, हमारी पृथ्वी का 71 प्रतिशत भाग जल से घिरा हुआ है यही सब देखते हुए प्रकृति की इस धरोहर को बचाने और धरती पर जीवन कायम रखने के लिए हमारी सरकार जल संरक्षण पर काम कर रही है । महोदय, आज बिहार की जो आर्थिक स्थिति है और जो संसाधन का अभाव है उसके बावजूद माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय उप मुख्यमंत्री जी एवं माननीय जल संसाधन मंत्री जी के द्वारा जल संरक्षण एवं सिंचाई पर गुणवत्तापूर्ण कार्य का प्रयास किया जा रहा है यह निश्चित तौर पर एक सराहनीय पहल है । महोदय, बिहार के वित्तीय वर्ष–2025–26 में सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण के लिए आपने व्यय का 2.3 प्रतिशत आवंटित किया है, यह 2024–25 में राज्यों की सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण के लिए औसत आवंटन का 36 प्रतिशत से अधिक है । इस प्रकार 2025–26 में 9238 करोड़ रुपये के कुल व्यय का लक्ष्य रखा गया है । महोदय, जल संसाधन विभाग के नेतृत्व में सभी ग्राम टोलों में संचित तकनीकी सर्वेक्षण का कार्य पूरा कर योजनाओं का चयन किया गया है । तकनीकी सर्वेक्षण कर जल संसाधन विभाग के 604 अदद योजनाओं से 1 लाख 19 हजार 63 हेक्टेयर में सिंचाई के पुनर्स्थापना के लक्ष्य को पूरा कर दिया गया है । राज्य सरकार द्वारा जल–जीवन–हरियाली अभियान के अंतर्गत गया, बोध गया, राजगीर एवं नवादा शहरों को पेयजल पूर्ति की महत्वाकांक्षी गंगा जलापूर्ति की योजना के प्रथम चरण का कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में किया गया है और द्वितीय चरण में आगे की कार्रवाई की जा रही है । महोदय, राज्य सरकार के द्वारा गंगा के उद्ववहन एवं अधिशेष जल को पाइप लाइन के माध्यम से गंगा जल के भंडारण हेतु राजगीर के निकट गंगा जी राजगृह जलाशय एवं गया जिला के तेतर पंचायत में गंगा जी का जलाशय का निर्माण किया गया है, साथ ही द्वितीय चरण अंतर्गत मधुवन जलाशय का निर्माण कार्य अगस्त 2025 तक पूर्ण किया जाना है । महोदय, सरकार के द्वारा गत वर्ष वृहत मध्यम सिंचाई योजना में खरीफ रबी सिंचाई हेतु 26.70 लाख हे0 क्षेत्र में सिंचाई उपलब्ध कराई गई । महोदय, सरकार के द्वारा वृहत एवं मध्यम सिंचाई योजना के तहत पूर्वी गंडक नहर प्रणाली का शेष कार्य, पश्चिमी गंडक नहर प्रणाली का कार्य, पश्चिमी कोशी नहर परियोजना का शेष कार्य, महोदय, कमला बराज का निर्माण जो हमारे विधान सभा के अंतर्गत बॉर्डर पर है, जो 405 करोड़ 66 लाख के लागत से बनाई जा रही है लगभग उसका काम पूर्ण होने की कगार पर है मधुबनी में । महोदय, बंदेश्वर स्थान गंगा पंप नहर योजना, डकरा नाला पंप नहर योजना का शेष कार्य एवं सिंघवारिनी जलाशय योजना सहित मुंगेर, नालंदा, मधुबनी, औरंगाबाद, गया, सिवान, रोहतास आदि जिले में भी विभिन्न योजनाओं का कार्य किया जा रहा है । महोदय, मेरे विधान सभा अंतर्गत कमला बलान के दोनों तटबंध फेज–1 के तहत पिपरा घाट पुल से ठेंगहा पुल तक कुल 282 करोड़ की लागत से 80 कि0मी0 की लंबाई में उच्चीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं शीर्ष पक्कीकरण तथा कालीकरण का काम पूर्ण कर लिया गया है । सेकेंड फेज का ठेंगहा से पोलवा तक 56.20 कि0मी0

282 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है । फेज–3 के अंतर्गत 70.66 कि0मी0 में लंबाई से उच्चीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं शीर्ष पर पक्कीकरण एवं कालीकरण का कार्य प्रगति में है जिससे बाढ़ के क्षेत्र में सुरक्षा प्रदान करेगी । महोदय, हमारी सरकार, ऐसे तो पूरे बिहार में कहने की जरूरत नहीं है, जब से माननीय मुख्यमंत्री जी, 20 सालों से जो बिहार को देख रहे हैं खासकर हमारे मधुबनी और दरभंगा के बारे में हम बात करना चाहेंगे कि हमारी सरकार के, मधुबनी एवं दरभंगा जिला में महत्वपूर्ण पश्चिमी कोशी नहर परियोजना जो 1971 से पेंडिंग थी वह मामला महोदय, उसको माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से वर्ष 2020 में पंचम पुनरीक्षण प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई । पश्चिमी कोशी नहर परियोजना की, नहरों की गाद की सफाई एवं उनके बांधों तथा संरचनात्मकों की पुनर्स्थापना एवं शेष कार्य 735......

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, आप अपना आसन ग्रहण करें ।

श्रीमती मीना कुमारी : महोदय, एक लाइन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में कहना चाहूंगी उसके बाद मैं बैठ जाऊंगी :–

''मैं बिहार हूं, मैं नीतीश कुमार हूं,
गरीबों का सेवादार हूं, मैं नीतीश कुमार हूं,
मैं विकास का पक्षधार हूं, जन–जन का पहरेदार हूं
मैं अनुशासित सरकार हूं, जनता का सिपहसलार हूं
मैं नीतीश कुमार हूं, मैं गरीबों का पुकार हूं,
समाजवादी विचारधार का भंडार हूं, मैं आदर्श सरकार हूं,
करता सबका सत्कार हूं, मैं नीतीश कुमार हूं,
मेरा धर्म ही बना, मैं जनता का करता परोपकार हूं,
मैं जन जन के रिश्तों में, मैं जन जन के दिलों में,
बसनेवाला नीतीश कुमार हूं मैं बिहार हूं मैं बिहार हूं ।

धन्यवाद महोदय ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री रामवृक्ष सदा जी । आप अपना पक्ष रखें, आपके पास 13 मिनट का वक्त है ।

श्री रामवृक्ष सदा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज अनुदान मांग कटौती प्रस्ताव के समर्थन में आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसलिए मैं आपके और सदन के प्रति, आसन के प्रति आभार प्रकट करता हूं । मैं आभार प्रकट करता हूं इस देश के नेल्सन मंडेला, गरीबों के मसीहा आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी का, जिन्होंने एक गरीब, मुसहर, मजदूर के बेटा को टिकट देकर विधान सभा भेजने का काम किया । महोदय, मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं युवाओं के युवा सम्राट, बिहार के सबल प्रहरी, नेता विरोधी दल, बाबू तेजस्वी यादव जी का, जिनके सहयोग आशीर्वाद और प्यार से आज विधान सभा में मुझे बोलने का अवसर मिला है ।

(क्रमशः)

टर्न–24 / अंजली / 11.03.2025

(क्रमशः)

श्री रामवृक्ष सदा : महोदय, मैं आभार प्रकट करता हूं अलौली विधान सभा की महान जनता मालिक को जिन्होंने एक गरीब के बेटा को इस सदन में भेजने का काम किया है । महोदय, आज जल संसाधन विभाग का मांग है और उस मांग में हमलोगों ने कटौती प्रस्ताव का आपके यहां प्रस्ताव दिया है । महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि वित्तीय वर्ष 2024–25 के बजट भाषण में उल्लेख किया गया था कि विभाग द्वारा उत्तर कोयल नहर परियोजना की कुल लागत 3199.85 करोड़ रुपये है । इससे औरंगाबाद एवं गया जिले के कुल 98521 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी तथा यह मार्च 2026 तक पूरा कर लिया जायेगा लेकिन महोदय, अभी तक उसमें कहीं पूरा नहीं हुआ है ।

महोदय, वर्ष 2025–26 के बजट भाषण में माननीय वित्त मंत्री द्वारा उल्लेख किया है कि उत्तर कोयल जलाशय योजना का कार्य 1367.61 करोड़ रुपये की लागत से कराया जा रहा है ।

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह उम्मीद करता हूँ कि मुझे सदन से यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर कोयल नहर परियोजना में सरकार ने अभी तक कितनी राशि खर्च की है और कितनी भूमि में सिंचाई क्षमता का सृजन किया गया है और इस परियोजना में सरकार वास्तव में कितनी राशि खर्च करना चाहती है ?

महोदय, बजट भाषण सरकार की एक नीतिगत दस्तावेज है, जिसमें माननीय वित्त मंत्री द्वारा राज्य सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों पर प्रकाश डाला जाता है ।

महोदय, 20 वर्षों में सरकार का यह सबसे छोटा बजट भाषण है जो मात्र 49 पृष्ठों का है । वर्ष 2023–24 में 102 पृष्ठ का बजट भाषण था । वर्ष 2024–25 में 110 पृष्ठों का बजट भाषण था ।

महोदय, यह भी विडम्बना है कि वित्त मंत्री जी द्वारा अपना पूरा बजट भाषण भी नहीं पढ़ा गया और मात्र 37 मिनट में 13 पृष्ठ का भाषण पढ़कर राज्य के वित्तीय लेखा–जोखा बता दिया गया ।

महोदय, जल संसाधन विभाग का मुख्य कार्य सिंचाई क्षमता है, सृजन, वृहद तथा मध्यम सिंचाई परियोजना का निर्माण, संचालन तथा रख–रखाव के माध्यम से सृजित सिंचाई क्षमता का उपयोग एवं जनता को इसका लाभ पहुँचाना है ।

महोदय, लोग कहते हैं कि 2005 के पहले कुछ नहीं था तो मैं बताना चाहता हूँ कि इसके लिए बिहार सिंचाई अधिनियम, 1997 तथा बिहार सिंचाई अधिनियम, 2003 राजद की सरकार द्वारा बनाया गया था ।

महोदय, राज्य में मुख्यतः पाँच परियोजनाएँ : 1– पूर्वी गंडक नहर प्रणाली, 2– पूर्वी कोशी नहर प्रणाली, 3– उदेरा स्थान बराज परियोजना, 4– जमानियाँ पम्प नहर परियोजना और पांचवां चानकेन सिंचाई परियोजना संचालित है ।

महोदय, ये सब परियोजनाएँ 2005 के पहले आरंभ की गयी थीं । 2005 के बाद 2025 तक कोई नई सिंचाई परियोजना सरकार अभी तक नहीं पारित की है या कोई नई सिंचाई योजना नहीं बनाया गया है ।

महोदय, पूर्वी गंडक नहर प्रणाली फेज–02 का कार्य वर्तमान में चल रहा है जो 1990 में आदरणीय नेता श्री लालू प्रसाद यादव जी के सरकार में आरंभ किया गया था लेकिन आज तक वह काम पूरा नहीं हो सका है ।

महोदय, सी०ए०जी० की (कैग) की वर्ष 2022 की रिपोर्ट यह कहती है कि इस परियोजना पर 723 करोड़ रुपये खर्च करने के बाद भी अधिकतम सिंचाई क्षमता 2.25 लाख हेक्टेयर रही । इस परियोजना का लक्ष्य 39.80 लाख हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराता है । यह रिपोर्ट भी कहता है कि इसमें 216 आउटलेटों का निर्माण कराने के लक्ष्य के विपरीत मात्र 49 प्रतिशत ही निर्माण हुआ है ।

महोदय, इस परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति 2003 में दी गयी थी । 294 करोड़ की राशि खर्च करके इसे 2007 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था । इस परियोजना की लागत सरकार के विभागीय पदाधिकारियों की लापरवाही के कारण यह बढ़कर 723 करोड़ रुपये हो गया । यह परियोजना 09 वर्ष बाद पूर्ण हुई, लेकिन सिंचाई मात्र 11.85 लाख हेक्टेयर में ही हो सका है जो लक्ष्य का 30 परसेंट कम है ।

महोदय, आगे मैं कहना चाहता हूं । महोदय, दूसरी परियोजना कोसी परियोजना है जो वर्ष 2008 में कुसहा में कोसी तटबंध टूटने के कारण बाढ़ से लगभग 500 से ऊपर लोगों की मौत हुई थी, लोगों ने जान गंवाई और हजारों घर बह गये थे । आज तक लाखों लोग अभी तक विस्थापित हैं लेकिन उनके लिए सरकार की तरफ से कोई ठोस पहल और उपाय नहीं किया जा रहा है ।

महोदय, मैं आगे कहना चाहता हूं कि कुसहा तटबंध का टूटना विभाग की लापरवाही थी । सबसे पहला उदाहरण है, इस बाढ़ के बाद राज्य सरकार ने देश–विदेश से हजारों करोड़ रुपये अनुदान के रुप में प्राप्त हुए थे जिसका उपयोग ऐसे समय में किया गया यह आज भी स्पष्ट नहीं हो पाया है । बाढ़ से विस्थापित लोगों के पुनर्वास के लिए कितनी राशि खर्च की गयी और कितने लोगों को पुनर्वासित किया गया, सरकार यह सदन में बताने की कृपा करेंगे ।

महोदय, आगे मैं बताना चाहता हूं कि उदेरास्थान परियोजना का आरंभ फल्गु नदी से गया, जहानाबाद और नालन्दा जिलों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए किया गया था ।

महोदय, 2007 में शुरू की गयी इस परियोजना की लागत लगभग 204 करोड़ से बढ़कर 752 करोड़ रुपये कर दी गई और यह परियोजना अभी तक पूरी नहीं हुई है ।

महोदय, आगे मैं कहना चाहता हूं कि जमानियाँ पम्प नहर परियोजना 1992 में सरकार द्वारा शुरू की गयी थी उस समय माननीय लालू प्रसाद यादव जी की सरकार थी । 94.87 करोड़ रुपये का मूल प्राक्कलन 2011 में 134.86 करोड़

रुपए को संशोधित किया गया, लेकिन इसका मंत्रिमंडल से अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ जो घोर वित्तीय अनियमितता बताता है ।

अध्यक्ष महोदय, सोन नहर प्रणाली के अधीन नवीनगर, बारुण पथ में मेह पुल से इन्द्रपुरी बराज तक नहर पर एकल सेवा पथ है । इस पथ पर चौड़ीकरण नहीं होने तथा पथ के दोनों तरफ प्रोटेक्टशन बॉल नहीं होने के कारण वाहन दुर्घटनाग्रस्त होते रहती है...

उपाध्यक्ष : आपके पास मात्र एक मिनट का वक्त है ।

श्री रामवृक्ष सदा : महोदय, हमलोगों के क्षेत्र की कुछ मांगें हैं और इसी में आपका नल जल विभाग भी है । महोदय, वह देखने की चीज है । जल ही जीवन है, माननीय मुख्यमंत्री जी का यह बहुत बड़ा सपना था कि बिहार में हर घर में जल पहुंचे, हर नल से जल पहुंचे लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं, नल–जल की जो स्थिति है, ठेकेदार गांव में रोड तोड़कर, कहीं पानी पूरा भरा हुआ है, किसी नल से पानी नहीं आता है, महोदय, यह भी दिखवाने की जरूरत है । महोदय, कुछ समस्या है हमलोगों के विधान सभा की वह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं । माननीय मुख्यमंत्री जी से और आपके, सदन के माध्यम से मांग करना चाहता हूं । महोदय, अलौली विधान सभा के अंतर्गत अम्बा, इचारूआ, बहुत बड़ा पंचायत है, गोरैया घाट, कोसी नदी पर पुल बने यह मैं मांग करता हूं । दूसरी, मेरी मांग है मंजूर किया जाय महोदय ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब आप आसन ग्रहण करें ।

श्री रामवृक्ष सदा : दूसरी, मेरी मांग है कि जलकौरा और खरगी–83 के बीच में जो पुल बन रहा है उसे आप चालू करें...

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री पंकज कुमार मिश्र जी । आप अपना पक्ष प्रस्तुत करें ।

श्री पंकज कुमार मिश्र : महोदय,

श्री रामवृक्ष सदा : महोदय, एक शेर के साथ मैं खत्म कर देना चाहता हूं । महोदय, एक शेर है कि...

उपाध्यक्ष : पंकज बाबू, रूक जाइए । पंकज बाबू, एक मिनट ।

श्री रामवृक्ष सदा : ''छेड़ने पर मौन भी वाचाल हो जाता है दोस्त,
टूटने पर आईना भी काल हो जाता है दोस्त,
मत करो हवन इतना गरीबों के खून से,
जलने पर कोयला भी लाल हो जाता है दोस्त ।''

श्री पंकज कुमार मिश्र : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 2025–26 के जल संसाधन के बजट पर बोलने के लिए आपने मुझे मौका दिया इसके लिए मैं आसन के प्रति आभार व्यक्त करता हूं । साथ में, हमलोगों के सदन नेता माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं । आदरणीय द्वय उप मुख्यमंत्री जी के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं, जल संसाधन मंत्री जी के भी प्रति आभार व्यक्त करता हूं और मुख्य सचेतक आदरणीय श्रवण कुमार जी के प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय, मैं उस बागमती नदी के किनारे से आता हूं, सीतामढ़ी मां जानकी की धरती और बागमती के किनारे से मैं आता हूं, विपक्ष के कुछ नेता

लोग उस समय से बोल रहे थे, 2005 से पहले जब हमलोग सीतामढ़ी की जब जाते थे और बाढ़ की ऐसी विभीषिका होती थी जिसमें रामपुरहरि और कटौझा एक ऐसा जगह था, जिस कटौझा और रामपुरहरि में जब हम लोग जाते थे ।

(क्रमशः)

टर्न–25 / पुलकित / 11.03.2025

(क्रमशः)

श्री पंकज कुमार मिश्र : वहां पर आज जो लोग बैठकर के यहां बोल रहे हैं वहां जाने के लिए कोई उपाय नहीं था वर्ष 2005 से पहले और पानी से पूरा इलाका भरा हुआ रहता था । जिसमें सीतामढ़ी का इलाका, शिवहर का इलाका और वह पानी मोतिहारी तक फैलकर के मुजफ्फरपुर तक जाता था और रामपुरहरी में और कटौझा में जो राजद के नेता हैं उन्हीं के लोगों के द्वारा झोला जो बाहर के लोग आते थे, देश–विदेश से जो लोग आते थे मां जानकी के दर्शन करने के लिए उन्हीं के द्वारा उनका मोटरी तक छीन ली जाती थी, उनका कपड़ा तक छीना जाता था, उनका सारा सामान छीना जाता है । आज वही माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की देन है कि आज मां जानकी की धरती पर देश–विदेश से कोई लोग आता है तो वह गर्व से कहता है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय जल संसाधन मंत्री जी के द्वारा जो आज वह पुल जो कटौझा में बनाया गया, रामपुरहरी में बनाया गया, वह उस पुल की देन है कि आज बाहर का लोग आते हैं तो गर्व से कहता है कि आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के राज में मैं आया हूँ । मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज जो स्थिति है, आज जो परिस्थिति है वह पूरे बांध में, आज जो है वह कहीं भी किसी तरह की परेशानी नहीं है । इस बार इतना बड़ी बाढ़ आई थी और उस बाढ़ में भी रात के 10 बजे माननीय जल संसाधन मंत्री ने मुझे फोन करके पूछा कि क्या स्थिति है, पंकज जी, विधायक जी बांध की क्या स्थिति है? हमने कहा कि सर बांध की पानी बहुत ज्यादा आ गया है, बांध की स्थिति खराब है । इसके बावजूद भी पूरे प्रशासन के द्वारा वहां मदद भेजी गयी और भेजने के बाद एक–एक आदमी को सुरक्षित करने का काम किया माननीय मंत्री जी ने । इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं । आज कुछ लोग बोल रहे थे और आज मैं कह रहा हूं कि जल संसाधन विभाग के द्वारा चाहे दरभंगा का क्षेत्र हो, कोसी का क्षेत्र हो या कोई भी क्षेत्र हो सारे क्षेत्रों में बांध पर रोड बनाने का काम किया गया है । जल–जीवन–हरियाली की तरह पूरे पोखर का जो सौंदर्यीकरण किया गया है और मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि हमारे सीतामढ़ी के लोग जो डूबा करते थे आज बांध बनने से यह स्थिति पैदा हो गयी है कि पूरे सम्पूर्ण सीतामढ़ी और शिवहर के लोग अमन–चैन से धान उपजाते हैं और कट्ठा में एक क्विंटल धान उपजता है और उस धान के उपजने का एक मात्र कारण कोई है तो आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी है । पूरा क्षेत्र जो कभी जलमग्न रहा करता था, वह क्षेत्र आज हरा–भरा लगा रहता है, बरसात के समय में भी । मैं एक चीज और

बता देना चाहता हूं कि बांध की स्थिति जहां तक बात है अभी माननीय मुख्यमंत्री जी जब सीतामढ़ी की यात्रा पर गये थे तो उन्होंने अभी बागमती में डैम बनाने की घोषणा करके आये हैं । मैं उनको कोटि–कोटि धन्यवाद देना चाहता हूं और दूसरी चीज अगर वहां डैम बन जाता है तो डैम बन जाने के बाद जो थोड़ी बहुत दिक्कत है, उस दिक्कत का भी समाधान माननीय मंत्री जी के द्वारा हो जाएगा और मंत्री जी को मैं एक चीज का और धन्यवाद देना चाहता हूं कि जनान से लेकर पुनौरा तक रोड बनाने का जो आपने काम किया है इसके लिए भी मैं आपको कोटि–कोटि धन्यवाद देना चाहता हूं । एक काम मेरा बच गया है कटौझा से लेकर के और घरखा तक अगर आप रोड बनवा देते हैं तो बड़ी कृपया होगी क्योंकि वहां से जाने के लिए एक मंदिर का भी रास्ता है और उस रास्ते से वहां के लोग प्रसन्न हो जायेंगे । यही मेरा आग्रह है माननीय मंत्री जी से और दूसरा एक चीज मैं और कहना चाहता हूं कि आज जो स्थिति है, आज सीतामढ़ी जिला में कम से कम जल संसाधन विभाग के द्वारा....

उपाध्यक्ष : पंकज बाबू, आपका समय समाप्त हो गया है ।

श्री पंकज कुमार मिश्र : महोदय, 5 हजार करोड़ रूपये से ज्यादा का काम अगर कहीं हुआ है तो अकेले सीतामढ़ी जिला में हुआ है इसलिए माननीय मुख्यमंत्री और माननीय जल संसाधन मंत्री को मैं कोटि–कोटि धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ । बहुत–बहुत धन्यवाद ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री शमीम अहमद । आपके पास 10 मिनट का समय है ।

श्री शमीम अहमद : उपाध्यक्ष महोदय, विपक्ष द्वारा लाये गये कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं । इसके लिए मैं सदन के प्रति शुभकामना देता हूं और अपने नेता माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी को और अपने नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को, सचेतक अख्तरूल इस्लाम साहब को और नरकटिया विधान सभा की सारी जनता को मैं तहे दिल से मुबारकवाद करता हूँ कि उन्होंने इस सदन में भेजकर के मुझे अपनी बात रखने के लिए भेजा है। आपके माध्यम से मैं प्रदेशवासियों को और देशवासियों को रमजान के अवसर पर और होली के अवसर पर शुभकामना देता हूँ । आज जिस तरह बातें सुनने में आती है कि वर्ष 2005 के पहले कुछ था ही नहीं ? मैं माननीय सदस्यों को, जितने भी विधायक हमलोग बैठे हुए हैं सब अपने–अपने क्षेत्र से जीतकर आते हैं । माननीय मुख्यमंत्री जी भी यहां पर हैं, सारे पहले जो पढ़े हैं, मैट्रिक जब किये हैं हमलोग 2005 के बाद किये हैं या 2005 के पहले किये हैं । मैंने तो मैट्रिक 1987 में किया है और आपलोग बतायेंगे कि कब किये हैं ? बहरहाल, हमलोग बैठे हुए हैं कि पूरे देश, प्रदेश का विकास कैसे हो, इसके लिए 243 सीट बनायी गयी है और सारा प्रशासन इसके लिए लगा हुआ है कि बिहार की तरक्की कैसे हो । जनता का पैसा का कैसे सदुपयोग हो, आज से पहले 2015 में नरकटिया विधान सभा की जो बनावट है यह तीन प्रखंडों से मिलकर के बनी है।

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

चवरदानो प्रखंड, बनकटवा प्रखंड और बनजरिया प्रखंड से जो बनजरिया प्रखंड है वह पूर्णतः बाढ़ ग्रस्त एरिया है । वर्ष 2015 में बाढ़ आई थी, उस वक्त माननीय मुख्यमंत्री जी गये थे, उस वक्त हमलोग सरकार में थे और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी थे और वे पथ निर्माण के भी मंत्री थे । जब बाढ़ पर बैठक हुई तो मैंने वहां एक बात रखी थी कि बाढ़ में हम नाव की व्यवस्था तो करते ही हैं, अगर उस व्यवस्था को हम रोड ऊंचा करके पुल–पुलिया देकर के व्यवस्थित कर दें तो हमको नाव की जरूरत नहीं पड़ेगी, हेलीकॉप्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी । महोदय, वह रोड बनकर के एन0एच0–28 से जटवा घाट होते हुए बेला नहर तक बनकर के तैयार हो गयी, लेकिन अभी एक प्रस्ताव है 1978 में एक बांध पास हुआ । 1978 में जो बांध पास हुआ, जो मधुबन से लेकर चनपटिया तक यह बांध पास हुआ । मधुबन से लेकर के कटहा तक यह बांध बना लेकिन आगे जनविरोध के कारण इस बांध को रोक दिया गया । हमलोग जब सरकार में थे तो माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर के मैंने यह बात रखी थी और लेटर भी दिया था मैंने कि इस बांध के बनने से ज्यादा नुकसान है । फायदा के अलावा ज्यादा नुकसान है क्योंकि बंजरिया प्रखंड की जो बनावट है इसमें सिकरहना नदी में 22 नदियां आकर के मिलती है और 22 नदियां जो मिलती है उन सबका ड्रेनेज एक ही है जिसका नाम सिकरहना नदी । महोदय, उत्तर से, हिमालय पार से जितनी भी नदियां निकली है ये सभी आकर के सिकरहना नदी में मिलती है । कटहा से लेकर के चनपटिया तक 22 नदियां है और इन नदी पर जिसके लिए आप बांध बनाने जा रहे हैं मात्र 10 प्रतिशत लोगों को इससे फायदा है और 90 प्रतिशत लोग इससे प्रभावित होंगे । लाखों लोगों का घर और उनका जीवन अस्त–व्यस्त हो जाएगा क्योंकि इसकी बनावट ऐसी है कि मोतिहारी से बेतिया एक नेशनल हाईवे है । एक रेलवे लाईन है और फिर सुगौली से लेकर के रक्सौल तक एक रेलवे लाईन है । उत्तर दिशा में जब जायेंगे तो एक नहर है, दो नहर है उसके बगल में फिर रेलवे लाईन है जो नरकटियागंज से लेकर के दरभंगा होते हुए जाती है । इन सारी नदियों का बीच में जो पानी आता है वह फैल जाता है लेकिन जैसे ही बांध बनेगा, बांध के बनने से पानी का लेवल रूकेगा और जैसे ही पानी रूकेगा तो पानी का लेवल ऊपर होगा लगभग 10 से 15 फीट ऊंचा हो जाएगा । इसलिए इस बांध को तत्काल रोककर के फिर से एलाइंटमेंट करा लिया जाए ।

(क्रमशः)

टर्न–26 / अभिनीत / 11.03.2025

..क्रमशः..

श्री शमीम अहमद : चूंकि 46 वर्ष पहले इसका एलाइन्मेंट हुआ था लेकिन अभी 46 वर्ष बाद इसका फिर से एलाइन्मेंट किये बगैर फिर से लागू कर दिया गया है । तत्काल इस कार्य को रोका जाय । दूसरी चीज है कि जल संसाधन में सिंचाई की व्यवस्था है । दोन नहर है, मेरे क्षेत्र में आता है, इसकी दूरी 60 किलोमीटर के

लगभग है जो छवादानो से लेकर दोन मार्ग तक है और वहां से पानी लाया जाता है । इसमें जितनी जमीन व्यस्त हुई है, जितनी जमीन उसमें हम लिये हैं उस जमीन का हम कोई उपयोग नहीं कर पाते हैं, चूंकि पानी हम समय पर नहीं दे पाते हैं और यह पानी जो हम दोन से लाते हैं, वहां से 60 किलोमीटर दूरी से पानी जब लाते हैं तो आश्वासन मुझे मिला था, तियर डैम का मामला कि छावादानो में तीयर डैम बन जाने से चारों तरफ हम मधुवन कैनाल में पानी दे सकते हैं । इसका आश्वासन संख्या भी 76/19 है, तो मैं चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं, इस आश्वासन पर अगर, तीयर डैम बन जाने से हम आगापुर से लेकर ढ़ाका तक सारे खेत को पानी दे सकते हैं..

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, दो मिनट समय बचा है आपका ।

श्री शमीम अहमद : तो इस पर विचार हो और सबसे ज्यादा जरूरी है कि सिकरहना नदी का दायां तटबंध है, इसको तत्काल प्रभाव से रोककर फिर से एलाइन्मेंट कराया जाय और तब इस कार्य को कराया जाय । महोदय, एक नदी है, बरसहा नदी है और डोरा नदी है, तो इस नदी की उगाही नहीं हो पा रही है और नदी के दोनों साईड में बांध नहीं बन पाने से पानी अस्त–व्यस्त हो जाता है । सारे क्षेत्र के मामले अलग–अलग होते हैं, कहां बांध बनना है, नहीं बनना है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी से हम चाहेंगे कि जो विधायक लोग जीत कर आते हैं सारे लोगों से पहले क्षेत्र की समस्या को इकट्ठा कर लिया जाय कि किस क्षेत्र में क्या जरूरी है और कौन चीज बननी चाहिए, तो मैं आज जल संसाधन के मंत्री जी भी हैं, मैं चाहूंगा कि छावादानो प्रखंड घोड़ासन कैनाल जो है बहुत बड़ा एरिया है सिंचाई विभाग का लेकिन कहीं बैठने के लिए वहां पर भवन नहीं है, तो मैं चाहूंगा कि एक भवन जल संसाधन के पास जमीन भी है, तो मैं चाहूंगा कि वहां एक बड़ा सा भवन बन जाये जन–प्रतिनिधि के बैठने के लिए और मीटिंग करने के लिए भी हो जाये, चूंकि यह बहुत ही लंबा क्षेत्र है और सिंचाई पर जितने भी माइनर रहे हैं सब अस्त–व्यस्त हो गये हैं, तो ये माइनर जितने भी हैं सबके अस्तित्व को फिर से उजागर करके उसके एरिया में पेड़ लगा दिया जाय, पेड़ लग जाने से पर्यावरण भी प्रदूषित नहीं होगी ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब समाप्त कीजिए ।

श्री शमीम अहमद : महोदय, दूसरी चीज है कि नल–जल की जो बात हो रही है । महोदय, नल–जल को देखे हुए, हर जगह पहले जो पानी मुझे डेढ़ सौ से दो सौ फीट पर मिल जाता था लेकिन बगैर अध्ययन किये हुए हमने हर जगह चार सौ फीट का बोरिंग कर दिया और यह बोरिंग, जैसे चार सौ फीट नीचे से जो पानी निकलता है, डेढ़ सौ, दो सौ फीट के जितने भी चापाकल हो गये हैं सारे सूख गये हैं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब समाप्त कीजिए ।

श्री शमीम अहमद : महोदय, इस पर गहन अध्ययन किया जाय । यह जलस्तर नीचे जा रहा है तो यह क्यों जा रहा है ? अगर जो पानी हमें डेढ़ सौ फीट, दो सौ फीट पर मिल रहा है तो फिर चार सौ मुझे जाने की क्या जरूरत है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त कीजिए ।

श्री शमीम अहमद : यह जो समरसेबुल मोटर है, समरसेबुल मोटर बहुत ही खतरनाक है । जहां पर जितना पानी हमको जरूरत पड़ती है उससे ज्यादा पानी का नुकसान होता है । यह जो जलस्तर नीचे जा रहा है उसका अध्ययन किया जाय और..

अध्यक्ष : अब समाप्त कीजिए ।

माननीय सदस्य श्री अखतरूल ईमान । एक मिनट में अपनी बात कहिए ।

श्री अखतरूल ईमान : महोदय, मैं माननीय मंत्री का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि महानंदा की कई बड़ी योजनाओं को उन्होंने, कई स्कीम्स को उन्होंने सैंक्शन किये हैं । तवज्जो देना और तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि महानंदा बेसिन का मौजूदा वक्त उसका जो स्टीमेट है वह बहुत ही गलत है । उसके खिलाफ काफी विरोध हो रहा है । उस पर एक मर्तबा री–थिंक कर लें कि वह किस तरह होगा । बांध के अंदर बस्तियां आ जाती हैं, उससे लाखों आबादी प्रभावित होंगी और योजना सक्सेस भी नहीं होगी । सर, मेरे क्षेत्र के दो मुद्दे हैं । परमान नदी में कोचका है और दूसरी एक दास नदी है जहां पर भाकताहिर है, वहां पर कटाव बहुत हो रहा है । वहां के लिए कुछ नहीं किया जा सका, वहां के लिए कुछ कर दिया जाय और एक अंतिम बात कहूंगा सरकारी तौर पर सीमांचल में सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है । गरीब किसानों को कोई राहत नहीं मिल पायी है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त करिए ।

श्री अखतरूल ईमान : नल–जल का मामला, माफ करें सर, मुझे माफ कीजिए कि नल–जल का पानी इस वक्त अमृत नहीं बल्कि जहर हो रहा है और टंकी की सफाई नहीं हो रही है । उसकी हालत खराब है ।

अध्यक्ष : एक मिनट सुन लीजिए आप ।

"कुछ तो कर अदाबे महफिल का लिहाज
यार यूं पहलू बदलना छोड़ दे ।"

श्री अखतरूल ईमान : बहुत उमदा सर ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री अशोक कुमार सिंह ।

श्री अशोक कुमार सिंह : महोदय, मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आपने हमें बोलने का मौका दिया । मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय उप मुख्यमंत्री जी का..

अध्यक्ष : अशोक जी, संक्षिप्त में अपनी बात कहिए ।

श्री अशोक कुमार सिंह : और माननीय जल संसाधन मंत्री जी का, साथ ही साथ रामगढ़ की जनता का जिन्होंने यहां खड़े होकर मुझे बोलने का मौका दिया । अध्यक्ष महोदय, आज बड़े ही गंभीर विषय पर सदन में चर्चा हो रही है । जल ही जीवन है तो आज मैं इस चर्चा में भाग लेते महोदय कहना चाहूंगा कि इस पर तत्कालीन श्रद्धेय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पूरे देश को नदियों से जोड़ने का कार्यक्रम लागू किया था । उसके कुछ दिनों के बाद माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश कुमार जी ने जल–जीवन–हरियाली का नारा दिया था और जिस तरह से श्रद्धेय अटल जी की योजना को उस समय की तत्कालीन सरकार ने नकार दिया, यह सदन के दस्तावेज में है कि उस समय की तत्कालीन सरकार के जल संसाधन

मंत्री विधान सभा में घोषणा किये कि यह योजना देश के लिए और देशवासियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण योजना है लेकिन उनके सुप्रीमो को यह पता चला कि ये अटल जी की योजना को लागू कर रहे हैं तो उधर से फटकार लगी तो उसी दिन विधान परिषद में उन्होंने बयान दिया कि बिहार सरकार नदियों से नदी की जोड़ योजना को लागू नहीं करेगी । मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मुख्यमंत्री जी को, एक नहीं अनेक योजनाएं हैं जो नदियों को नदियों से जोड़ रही हैं । अभी हमारे साथी बोल रहे थे कि दक्षिण बिहार को सिंचाई के मामले में तरजीह नहीं दी गयी सब पैसा उत्तर बिहार में दे दिया गया । महोदय, यह सही बात है कि बिहार एक ऐसा राज्य है कि एक तरफ बाढ़ है, दूसरी तरफ सुखाड़ है लेकिन ऐसे राज्य में भी हमारी एनडीए की सरकार ने 2005 से लेकर आजतक जो सिंचाई की व्यवस्था दी पूरे देश में मिशाल है, इससे बड़ा कोई मिशाल नहीं हो सकता । मैं बताना चाहूंगा अपने साथी को, मैंने तब भी कहा था कि लगातार 15 साल मौका मिला था एक आदमी को जल संसाधन विभाग में काम करने का, शायद ही किसी एक व्यक्ति को 15 साल मौका मिला हो, क्यों नहीं तियरा पंप कैनाल बना, क्यों नहीं जयपुरा पंप कैनाल बना, क्यों नहीं डगहर पंप कैनाल बना, क्यों नहीं दुर्गावती जलाशय बना ? और 1976 से कैमूर और रोहतास की जनता जवानिया पंप कैनाल की मांग कर रही थी वह नहीं बना और जब एनडीए की सरकार आयी तो सारा काम हुआ और आज किसान के खेत को पानी मिल रहा है । अब मैं आग्रह करना चाहूंगा इसके साथ–साथ एक नहीं अनेक जब हमारे मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी प्रगति यात्रा में बिहार के लिए निकले थे तो नेता प्रतिपक्ष रोज बोलते थे कि सरकारी पैसे का दुरूपयोग हो रहा है । यह कागज है मेरे पास, केवल मैं जल सांसाधन की बात करना चाहता हूं । केवल अकेले जल संसाधन विभाग की, बाढ़ के लिए तीन सौ करोड़ और सिंचाई के लिए सात सौ करोड़ से अधिक की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की । कैबिनेट में पास भी किया, प्रशासनिक स्वीकृति भी दी ।

..क्रमशः..

टर्न–27 / हेमन्त / 11.03.2025

श्री अशोक कुमार सिंह : (क्रमशः) : और टेंडर में भी चला गया है । यह सरकार काम करने वाली सरकार है । आप कल्पना करिये, आज आप और हम सब चिंता कर रहे हैं, कब श्रद्धेय अटल जी चिंता किये थे, कब हमारे नेता नीतीश कुमार जी चिंता किये थे और चिंता ही नहीं किये, इस पर काम हुआ है । आप चलिये गांव में, किसी भी पंचायत में चलिये। चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी का अमृत सरोवर हो, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो तालाब है, अहर है, पईन है उसकी योजना है । मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को, उन्होंने खुलेआम कहा कि अगर हमारा तालाब पाताल में भी चला गया होगा, तो उसे हम निकालकर दम लेंगे और समाज को सुपुर्द करने का काम करेंगे। तो ऐसा काम हमारी सरकार कर रही है । मैं आग्रह करूंगा माननीय मंत्री महोदय से कि आपने बहुत काम किया है, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं, लेकिन एक आग्रह आपसे करना चाहूंगा कि

शाहबाद और मगध के किसानों के लिए लाइफ लाइन है सोन सिस्टम । सोन सिस्टम का अगर आप पक्कीकरण करा देंगे, तो निश्चित रूप से पूरे उत्तर बिहार के किसान, पूरे दक्षिण बिहार के किसान आत्मनिर्भर हो जायेंगे, अभी आत्मनिर्भर हो रहे हैं । सोन–कोहिरा लिंक कैमूर में हो रहा है । सोन का पानी कोहिरा में और एक साथ, आइयेगा, मुस्कुराने की जरूरत नहीं है, मैं दिखाऊंगा, एक साथ रामगगढ़ विधान सभा में सोन का पानी, गंगा का पानी, कोहिरा का पानी, कर्मनाशा का पानी और दुर्गावती का संगम हो रहा है । यह मिसाल एनडीए की सरकार ने की और यह काम हमारे जल संसाधन मंत्री जी ने किया । एक–से–एक काम हो रहा है क्षेत्र में । बिहार की पूरी नहरों की सफाई हुई है, नहरों का संचालन बेहतर हो रहा है, विभाग तेजी से काम कर रहा है और आप लोग कहते हैं डबल इंजन की सरकार । मैं धन्यवाद देना चाहूंगा प्रधानमंत्री जी को, उन्होंने प्रधानमंत्री सिंचाई योजना लागू की और जिस बाढ़ की आप चिंता करते हैं, मैं नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने धन्यवाद दिया है उनको कि बिहार की भरपूर मदद हो रही है । उस बाढ़ की भी समस्या का निदान एनडीए की ही सरकार करेगी । उत्तर बिहार को भी बाढ़ से निजात दिलाने का काम करेगी । सारी समस्याओं का एक–एक करके समाधान होगा । मैं माननीय मंत्री जी से, क्षेत्र की कुछ समस्याएं हैं जिसके विषय में मैं विधिवत बताना चाहूंगा । हमारे क्षेत्र में गारा चौबे नहर है । इस नहर के पक्कीकरण का मैं आग्रह करूंगा । दूसरा आग्रह मैं करूंगा करागा राजवाहा के पक्कीकरण का और तीसरा आग्रह मैं करूंगा कि बहपुरा पंप कैनाल, बहुवारा पंप कैनाल और लरमा पंप कैनाल की मोटर बहुत दिन से चलते–चलते अपनी लाइफ को समाप्त कर ली है, बराबर ब्रेकडाऊन आता है । इन मोटरों का क्रय करके नयी मोटर लगायी जायें । कर्मनाशा पंप योजना की मोटर की भी लाइफ समाप्त हो गयी है, उसको भी लगाया जाय ।

अध्यक्ष : अब समाप्त करिये ।

श्री अशोक कुमार सिंह : पिछले सदन में मैंने गैर सरकारी संकल्प इस विषय में दिया था और सरकार का आश्वासन भी था, तो तीनों पंप कैनाल की मोटर को बदला जाय । इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब सरकार का उत्तर होगा ।

<u>सरकार का उत्तर</u>

माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आज ही हमने जल संसाधन विभाग की तरफ से मांग पेश की थी और उस पर सदन लगभग पिछले ढाई घंटे से विमर्श कर रहा है । सबसे पहले तो मैं आभार प्रकट करता हूं उन माननीय सदस्यों का, जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया है और उन्होंने जरूर कुछ काम की बातें भी कही हैं । कुछ कमियों के बारे में इशारा किया है और सही में वह कमियां नहीं हैं, वह लागू होने के क्रम में थोड़ा समय लगता है वह सिर्फ उसी के कारण है । कुछ ने आलोचनाएं भी की, लेकिन पता नहीं आलोचना किस बात की थी, हमको समझ में नहीं आया । चलिए, लेकिन हम उनकी विवशता समझकर उसको भी दरकिनार

करते हैं । लेकिन हम सबको आश्वस्त करते हैं कि आपने विभाग को सिंचाई के संबंध में या बाढ़ नियंत्रण के संबंध में जो सुझाव दिये हैं, उस पर हम जरूर अमल करेंगे, क्योंकि उससे अगर जनहित सधता है, तो आपके सुझाव तो हमारी सहायता करते हैं । हम आपके सुझाव से घबराते या कोई परेशान नहीं होते हैं । उसको हम सहयोग के रूप में लेते हैं और...

(व्यवधान)

क्या बोल रहे हैं ? वह भी बतायेंगे । अभी तो हम शुरू किये हैं, अभी से हड़बड़ाने लगे। आज बाहर जाने में हड़बड़ाइयेगा नहीं ।

महोदय, हम अपने विभाग के बारे में कुछ बात कहेंगे ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : शांति बनाये रखिये ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : हम आपको आश्वस्त कर दिये हैं । जिन्होंने जो बातें भी कही हैं मेरे पास सब दर्ज है । मैं सभी लोगों की बातों का उत्तर एक–एक करके दूंगा। इसीलिए मैंने अनुरोध किया है कि हड़बड़ाकर केवल One Upmanship जो कहते हैं, एक से आगे निकलने की स्पर्धा, कहीं सबसे आगे महबूब जी हड़बड़ा जाते हैं कि कहीं राजद के लोग आगे न बढ़ जायें निकलने में, तो वह आगे चले जाते हैं । तो हड़बड़ाइयेगा नहीं, हम सिर्फ यह कहते हैं, हम सबकी बात कहेंगे ।

महोदय, हम किसी की बात शुरू करने से पहले, आप भी महोदय सुन रहे थे, मीना कामत जी ने, सदस्या जो हैं हमारे दल की, उन्होंने एक कविता पढ़ी थी, सबने सुनी होगी । उस कविता में जो बातें उन्होंने कही कि उसमें नीतीश कुमार होने का क्या अर्थ होता है । नीतीश कुमार का अर्थ विकास कैसे होता है, नीतीश कुमार का अर्थ तरक्की कैसे होता है, नीतीश कुमार का अर्थ बदलाव कैसे होता है, परिवर्तन कैसे होता है, मैं उसका सारांश यही सुन रहा था बड़े गौर से । उन्होंने बड़ी मेहनत से यह कविता बनायी और सुनायी, तो हमने भी जरूर उससे कुछ ग्रहण किया है और जब वह कविता पढ़ रही थी, तो मुझे लग रहा था कि कितनी सही बात का वह चित्रण कर रही हैं, क्योंकि नीतीश कुमार जैसा अगर गतिशील और गतिमान नेतृत्व हो, तो विभाग के अधिदेश यानी मेंडेट में कैसे परिवर्तन आता है इसका सबसे बड़ा ज्वलंत उदाहरण हमारा जल संसाधन विभाग है । क्योंकि आप भी जानते हैं कि जल संसाधन विभाग के कार्यक्षेत्र में जो गतिविधियां आती हैं उसमें शुरू–शुरू से इसके नाम पर ही गौर कर लीजिए । शुरू में इस विभाग का नाम था नदी घाटी योजना विभाग । मतलब सिर्फ नदियों पर, जिस समय में जो बैराज की चर्चा कर रहे थे कि बैराज बनाये गये थे, फिर उससे नहर निकालकर सिंचाई की गयी थी । उस समय सिर्फ सतही जल को बांधकर नहरों तक पहुंचाने का काम इस विभाग का था । इसका नाम था नदी घाटी योजना विभाग । महोदय, फिर 1960 के दशक में जब हरित क्रांति आयी अपने देश में, जब हमने भूगर्भ जल का दोहन करके पानी निकालकर जमीन के अंदर से सिंचाई की व्यवस्था प्रारंभ की, फिर मुख्य मुद्दा इसमें सिंचाई का जुड़ा, तब इस विभाग का नाम नदी घाटी योजना विभाग से बदलकर हो गया सिंचाई विभाग

और जब सिंचाई विभाग हुआ, जल की उपलब्धता धीरे–धीरे घटते जा रही थी, जब जल के प्रति संवेदनशीलता जगाने का अवसर आया, तब महोदय, इसका नाम हो गया जल संसाधन विभाग । इस नाम का ही बदलते अर्थ होता है कि जल एक संसाधन है और संसाधन वही होता है जिससे मनुष्य की इच्छाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और संसाधन है, लेकिन इस संसाधन की खासियत है कि यह अक्षय है । मतलब ये विभिन्न रूपों में परिवर्तित होता है, लेकिन सभी रूपों को मिलाकर इसकी मात्रा स्थिर रहती है और आप सभी जानते हैं कि सतही जल होता है, भूगर्भ जल होता है, खारा पानी होता है । जितना पानी पृथ्वी पर उपलब्ध है, 75 प्रतिशत खारा है और जो मीठा जल है उसमें भी 66 प्रतिशत तो ग्लेशियर और आईस कैप्स जो कहते हैं, उसका अंश है । तो इतना पानी हमारे लिए बचता है।

(क्रमशः)

टर्न–28 / संगीता / 11.03.2025

(क्रमशः)

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : मुख्यमंत्री जी ने जो हमारे यहां जलवायु परिवर्तन जिस तेज गति से हो रहा था उसका संज्ञान लेते हुए जो इन्होंने योजनाएं बनायी हैं, जो घटता भूजल स्तर है जो सबलोग कहते हैं कि गर्मी में जमीन के अंदर पानी का स्तर नीचे चला जाता है और फिर बरसात में हमारे यहां जल अधिशेष सरप्लस हो जाता है तो पहले जो सिंचाई विभाग में हमारा मेंडेट था, 3 ही काम मुख्य था महोदय, एक तो सिंचाई पहुंचाना चाहे नहरों के माध्यम से हो, चाहे भूजल को निकाल कर हो । दूसरा, बाढ़ प्रबंधन है और अभी सुदय जी बोल रहे थे पता नहीं इनको बाढ़ भी मंगाने में ईर्ष्या क्यों हो रही थी उत्तर बिहार से, उत्तर बिहार के लोग कोई बाढ़ इच्छा से नहीं मंगाते हैं वह मजबूरी होती है । हमारी भौगोलिक अवस्थिति ऐसी है जिसके कारण बाढ़ आती है तो दूसरा काम था बाढ़ प्रबंधन और तीसरा था महोदय, जल–निस्सरण जो ड्रेनेज जो जल जमाव के क्षेत्र होते थे और जो खेती योग्य जमीन सालों भर पानी के अंदर रह जाती थी उसमें जल निकासी की व्यवस्था कर खेती का प्रबंधन करना ये इस विभाग का कार्य था लेकिन एक गतिशील और संवेदनशील नेतृत्व होने से किसी विभाग के कार्यक्षेत्र में कैसे परिवर्तन आता है महोदय, मैं इसकी चर्चा कर रहा था कि जब मुख्यमंत्री जी ने जलवायु परिवर्तन का संज्ञान लिया था, अभी आनंद शंकर जी बोल रहे थे और संयोग से जिस बैठक की बात महोदय, वे कर रहे थे वह मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर मैं उस समय आप ही के वाले कुर्सी पर विराजमान होता था और मैंने ही सेंट्रल हॉल में एक बैठक बुलायी थी आप भी उस समय थे, जो पुराने सदस्य हैं जो पिछले सदन में होंगे, सारे लोग उसमें होंगे और लगभग 8 से 9 घंटा महोदय, लगातार मंथन के बाद जलवायु परिवर्तन के जो दुष्परिणाम परिलक्षित हो रहे थे उसके आधार पर हम क्या करें, कैसे करें इसके बारे में सभी सदस्य हमको याद है

महोदय कि लगभग सवा सौ लोगों ने अपने विचार रखे थे और पूरी सरकार वहां उपस्थित थी, मुख्य सचिव से लेकर सारे पदाधिकारी, सारे मंत्रिगण सबलोग उपस्थित थे और उससे छनकर जो कार्यक्रम बना था उसी का नाम जल–जीवन–हरियाली और आपने कहा जल–जीवन–हरियाली के बारे में वैसे तो उसका पूरा फेहरिस्त है मेरे पास जो 11 सूत्र हैं उसमें लेकिन उसको अलग–अलग बताने में महोदय वक्त लगेगा और उस कार्यक्रम पर भी मैं थोड़ा बाद में आऊंगा उसके बारे में बताने के लिए लेकिन पहले मैं कुछ और...

श्री विजय शंकर दुबे : अध्यक्ष महोदय...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : दुबे जी हमसे पूछकर बोलिए न, दुबे जी, दुबे जी अनुमति तो लीजिए बोलने के लिए।

(व्यवधान)

आप तो पुराने आदमी हैं, हमारे मित्र हैं । कम से कम हमसे तो अनुमति ले लीजिए ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : इसमें तो महोदय हमने किसी की शिकायत नहीं की है...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : वे अनुमति लेते हम नहीं देते तब न कहते आप, पहले कैसे कह रहे हैं ।

(व्यवधान)

बोलिए मंत्री जी ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, मुख्यमंत्री जी ने कितनी संवेदनशीलता दिखायी मैं इसका प्रमाण दे रहा था सबलोगों को मालूम होगा कि बिहार में भी जैसे पूरे देश में जल के मामले में जो हमलोग सरप्लस थे मतलब हमलोगों को जरूरत से ज्यादा जल हुआ करता था महोदय, आजादी के तुरंत बाद के आंकड़े उपलब्ध हैं, जब प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 5 हजार घनमीटर से अधिक होती थी और आज घटते– घटते हम लगभग हजार घनमीटर पर आ गए हैं और ये स्थिति अब ऐसी हमलोग पहुंच गए हैं बॉर्डर लाइन पर कि अगर हम नहीं चेते अभी तो हमलोग पहले से ही जो सरप्लस स्थिति में थे वह दबाव मतलब स्ट्रेस की स्थिति में आ गए हैं अब अगर नहीं चेते तो 2050 तक, अभी जो हमलोगों के विभाग ने आई0आई0टी0, पटना के साथ मिलकर एक सर्वे अध्ययन कराया है उसमें आया है कि 2050 तक अपना बिहार जल संकट से जूझना शुरू हो जाएगा यहां इसलिए यह आवश्यक था और इसलिए मुख्यमंत्री जी ने जो 3 मुख्य काम इस विभाग के हमने बताए उसके साथ 2 काम और उन्होंने शुरू किया और वह शुरू किया कि बाढ़ के समय का जो अधिशेष मतलब सरप्लस जल होता है जो अगर हम नहीं उपयोग करें तो पूरे बिहार का पानी जमा होकर गंगा नदी के माध्यम से बंगाल की खाड़ी में चला जाता है और वह खारा पानी हो जाता है किसी काम का नहीं रहता है इसलिए इन्होंने योजना बनायी और यह सिर्फ दूरगामी सोच का व्यक्ति ही कर सकता है कि जिस समय बाढ़ की स्थिति हो, उस पानी को जो हमारे जल संकट वाले क्षेत्र हैं, जलाभाव वाले क्षेत्र हैं, उस क्षेत्र में हम कैसे पहुंचा दें कि वहां

पानी की कमी न रहे चाहे पीने को हो या दूसरे काम के लिए हो, हमलोगों ने उसके लिए 2 योजना बनायी है महोदय, उसकी भी चर्चा हम अलग से करेंगे उसमें जो अलग–अलग योजना बनाए हैं और एक तो यह है पानी जो हमलोग अधिशेष पानी को दूसरे जगह पहुंचा रहे हैं, दूसरे इलाकों में और दूसरा जो हमने कहा जल–जीवन–हरियाली कार्यक्रम और हमको सदन को बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि पहली दफा इतिहास में इस बार 2024 के जो आंकड़े आए हैं कि हमारे बिहार की जमीन के अंदर जो जल की उपलब्धता है मतलब भूजल की जो उपलब्धता है पहली दफा उसमें बढ़ोतरी के संकेत मिले हैं जो आजतक लगातार घट रहा था । महोदय, पिछली दफा से 2021–22 से 2024 में हमलोगों का 929 वर्ग किलोमीटर भूगर्भ जल का क्षेत्र बढ़ा है । महोदय, यह बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये जल–जीवन–हरियाली अभियान जैसे सफल कार्यक्रम का ही नतीजा हो सकता है क्योंकि हमारे आनंद शंकर जी जिक्र कर रहे थे कि इसके क्रियान्वयन से कितना बड़ा लाभ हुआ है हम सिर्फ उसकी चर्चा करना चाह रहे थे नहीं तो अगर हमलोग नहीं चेते और आप सोचिए कि हमलोग अगर परंपरागत तरीके से अगर कोई समझदार नेतृत्व नहीं हो तो क्या होता है वह चर्चा अशोक जी कर रहे थे जो कैमूर और भभुआ की बात कर रहे थे इसलिए महोदय, हम सिर्फ यह कहना चाहते हैं कि अगर नेतृत्व या विधायिका संवेदनशील हो, समझदार हो तो समसामयिक मुद्दों को भी संज्ञान लेते हुए अपने नीतियों–कार्यक्रमों में परिवर्तन करता है जिसका उदाहरण और मिसाल हमारा विभाग पेश कर रहा है । महोदय, जल–जीवन–हरियाली कार्यक्रम की बात हो रही थी, जल–जीवन–हरियाली का, उसकी उपलब्धि की बात हमने बता दी है । महोदय, अब सिंचाई क्षेत्र की बात हम लेंगे । हमलोग मानते हैं कि यहां कुल सिंचन क्षमता 53.53 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की है मतलब हमलोग अगर पूर्ण सिंचन क्षमता विकसित कर लिए तो 53.53 होगा, उसमें से हमलोग लगभग अभी 38 लाख हेक्टेयर वह सृजित कर चुके हैं और लगातार सृजित हम करते जा रहे हैं, वह सबका वर्षवार आंकड़ा भी है महोदय, वह सब मैं सदन पटल पर रख दूंगा वह आ जाएगा प्रोसीडिंग में लेकिन हमलोग लगातार कर रहे हैं और महोदय, इसमें हम धन्यवाद देना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी को और वित्त मंत्री जी को कि इस बार भी आपने सुना होगा कि इस बार के बजट भाषण में 2025–26 का जो वित्त मंत्री ने संसद में दिया है उसमें उन्होंने जिसकी चर्चा हमारे माननीय सदस्य कर रहे थे जो पश्चिमी कोसी नहर प्रणाली है जिससे कि पूरे मिथिला के क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी, 50 हजार हेक्टेयर से अधिक में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी, उसमें उन्होंने सहायता देने का वादा किया है जिसके लिए मैं बिहार की जनता की तरफ से उनको बधाई देता हूं और धन्यवाद भी देता हूं महोदय...

(क्रमशः)

टर्न–29 / सुरज / 11.03.2025

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : (क्रमशः) और सिंचन क्षमता की जहां तक बात है ये ह्रास भी होता है । जो नदियां हैं हमारे यहां वह गाद लाती है और गाद जब नहर के माध्यम से जाता है तो नहर में गाद जमता है । गाद जमकर जब तल ऊंचा होता है तो उसकी जल ग्रहण की क्षमता घट जाती है तो फिर उसका पुनर्स्थापन करना होता है, यह सब अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है । इसके अलावा भी हमने बहुत सारी योजनाएं शुरू की हैं वह हम जमा कर देंगे, अपने वक्तव्य में शामिल करा दीजियेगा ।

महोदय, अब मैं बाढ़ की चर्चा करना चाहता हूं । बाढ़ एक ऐसी आपदा है इसलिये मैंने सुदय जी से कहा था कि आप बाढ़ लाने के लिये क्यों परेशान हैं, जो आप कह दिये कि हम बचपन से सुनते आये कि उत्तर बिहार में बाढ़ में ही सारा सिंचाई विभाग चला जाता है । बाढ़ तो आपदा है, मजबूरी है और हम पूरे सदन को कहना चाहते हैं क्योंकि हमलोग भी पूर्ण रूप से तो नहीं, पूर्ण रूप से तो बिजेन्द्र बाबू का इलाका है लेकिन हमलोगों के इलाके में भी बाढ़ आता है । बाढ़ पीड़ित का जो दर्द होता है वह सिर्फ बाढ़ पीड़ित ही समझ सकता है, वह कहने–सुनने की बात नहीं होती है । वह, वही लोग समझ सकते हैं और ऐसे समय में, हमारे मुख्यमंत्री जी तो कहते हैं कि राज्य के खजाने पर पहला अधिकार आपदा पीड़ितों का है तो जहां बाढ़ आती है, वहां अगर मदद होती है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है इसलिये महोदय हमलोग...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठिये ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : निदान बता रहे हैं केवल गौर से सुनियेगा । महोदय, उत्तर बिहार जो बाढ़ का इलाका है, जो यह कह रहे थे, वहां जिन नदियों से बाढ़ आती है वे सारी नदियां नेपाल से आती हैं और उन नदियों में गाद के साथ जल प्रवाह भी भयंकर आता है और इसका स्थायी निदान समझ लीजिये अभी तक के वैज्ञानिक खोज के मुताबिक हाई लेवल डैम बनाना है । उच्चस्तरीय रिजर्वायर का निर्माण ही इसका स्थायी निदान है और इस पर काम बहुत पहले से चल रहा है और सबसे बड़ी बात है कि रिजर्वायर, आपलोग अगर नदी के इलाके से आते हैं तो रिजर्वायर हमेशा नदी के अपर स्ट्रीम में बनता है मतलब ऊंचे इलाके में बनता है । इन नदियों पर बाढ़ जो लाती है अगर रिजर्वायर बनना है, जलाशय बनना है तो वह नेपाल क्षेत्र में ही बन सकता है और जहां जलाशय बनता है वहां पर डूब क्षेत्र होता है जो सबमर्जिंग एरिया होता है वह नेपाल का होता है । वहां प्रतिरोध होता है, वह बनने नहीं देते हैं । हमारे यहां तीनो–चारों नदियां जो हैं उस पर कहां रिजर्वायर बनाना है वह भी चिन्हित किया जा चुका है । जो बागमती में नुन्थोल इलाका नेपाल में है, कमला में चिसापानी और कोसी में बराह क्षेत्र जो है । तीनों नदियों में इन तीन स्थलों पर जो रिजर्वायर बनना है, यह चिन्हित किया जा चुका है । भारत सरकार, नेपाल सरकार और बिहार सरकार, हमारे जो प्रेडिसेसर्स थे पहले के, एक जे0पी0ओ0 भी बना था, ज्वाइंट प्रोजेक्ट ऑफिस । विराटनगर में

उसका ऑफिस बना था लेकिन तीनों भारत सरकार, नेपाल सरकार और बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के लाख यत्न के बावजूद उसमें कोई प्रगति अभी तक नहीं हो पायी है । इसलिये मैं धन्यवाद देता हूं फिर से एक बार भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी को और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को कि संसद में पहली बार उन्होंने पिछले बजट के समय में ओपेनली इस बात को एक्सपेट किया की बिहार में बाढ़ दूसरे देश से आती है और बिहार इतना लाचार है कि चाहकर भी कोई उसका उपाय नहीं कर पाता है इसलिये हम बिहार को विशेष मदद करेंगे और साढ़े 11 हजार करोड़ का उन्होंने विशेष पैकेज दिया है । हो सकता है...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : शांति बनाये रखिये ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, अभी हमने जो कहा कि कैसे भारत सरकार विशेष मदद कर रही है, विशेष पैकेज दे रही है यह सुनकर इनलोगों को अच्छा नहीं लग रहा है, स्वाभाविक है यह कैसे अच्छा लगेगा और महोदय...

(व्यवधान)

अभी सब लोगों की बात पर आ रहे हैं । महोदय, हम बाढ़ के संबंध में भी कहना चाहते हैं...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठिये, बैठिये । मंत्री जी आप जारी रखिये ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, बाढ़ क्षेत्र 2024 की बात हमारे साथी रामविलास कामत जी चर्चा कर रहे थे 2024 के बाढ़ का अनुभव ही कुछ और था, हर बार से अलग । 2024 में जो बाढ़ आयी वह किसी के अनुमान से बाहर थी और आप सब जानते हैं कि नेपाल के जिस हिस्से में बारिश होती थी उसी हिसाब से बिहार के नदियों में बाढ़ आती थी । अगर उसके पश्चिमी इलाके में वर्षा होती थी तो सिर्फ घाघरा, गंडक में बाढ़ आती थी । अगर नेपाल के मध्य क्षेत्र में वर्षा होती थी तो कमला नदी और बागमती में बाढ़ आती थी । अगर पूर्वी नेपाल में बारिश होती थी तो कोसी, महानंदा में पानी आता था, बाढ़ आती थी । लेकिन नेपाल के इतिहास में भी पहली दफा 2024 का वर्ष रहा कि पूरे नेपाल के क्षेत्र में पश्चिम से लेकर पूरब तक लगातार जो उसका वार्षिक औसत है लगभग 200 मिलीमीटर के आसपास वर्षा, वह सिर्फ 27 सितंबर से 29 सितंबर के बीच में पूरे नेपाल में इतनी बारिश हुई कि बिहार के सभी नदियों में एक साथ बाढ़ आ गयी और पहली दफा महोदय यह हमलोगों को अनुभव हुआ कि जो तटबंध की ऊंचाई और मजबूती हमलोगों ने अभी तक के बाढ़ के हिसाब से दी थी वह अब काफी नहीं है, वह नाकाफी है और हमलोगों ने तीनों–चारों नदियों पर बागमती, कोसी, कमला, गंडक इन सब नदियों पर जो तटबंध है उसके सुदृढ़ीकरण के लिये, उसके चौड़ीकरण के लिये, उसकी ऊंचाई बढ़ाने के लिये, उसको मजबूत बनाने के लिये हमलोगों ने अलग से योजना बनाकर केन्द्र सरकार को मदद के लिये भेजा है और केन्द्र सरकार ने भी आश्वासन दिया है कि वे लोग इसमें मदद करने को उत्सुक हैं ।

अगर वह काम हमलोग कर पायें क्योंकि दो चीज लगातार हो रही है एक बारिश हमने कहा, दूसरी बात जो कह रहे थे, हमारे कुछ साथी कह रहे थे कि शायद आपने नदियों को गौर से नहीं देखा है । आज अभी जब कम पानी का समय आये तो नदियों को गौर से देखिये । आप गांधी सेतु पर चले जाइये । गंगा नदी पर बीच पुल में जहां नदी का मध्य है, जहां पर सामान्य रूप से नदी को सबसे गहरी होनी चाहिये । किसी भी नदी की अधिकतम गहराई तो उसके मध्य में होती है । आप मध्य में चले जाइये, जे0पी0 सेतु पर चले जाइये या कोयलवर पुल पर चले जाइये । जहां गंडक, सोन या गंगा नदी की जो अधिकतम गहराई वाला हिस्सा हुआ करता था आप जाकर देखिये कि वहां उथला है, वह बीच में ही ऊंचा है और सब जगह देखियेगा कि नदी की धारा किसी किनारे होकर बह रही है । महोदय, यह सिर्फ गाद के कारण होता है । जब गाद लगातार जमा होते रहता है और गाद जमा होते–होते उसका टीला बन जाता है तो वह नदी का जो केन्द्रीकृत प्रवाह होता है उसको वह डिफ्लेक्ट, घुमाके किनारे की तरफ कर देता है और मुझे यह आपलोगों को बताते हुये प्रसन्नता हो रही है कि एक राष्ट्रीय गाद प्रबंधन नीति बनाने के लिये भी पूरे देश में सबसे पहली आवाज मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बिहार के जल संसाधन विभाग ने उठाया था । संयोग से मुख्यमंत्री जी ने...

(व्यवधान)

उस समय भी हमको इस विभाग का जिम्मा दिया और महोदय इनका वाला बात अभी कहेंगे लेकिन सबसे अंत में कहेंगे जब तक कि...

(व्यवधान)

टर्न–30 / राहुल / 11.03.2025

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आपकी बात भी बोलने वाले हैं बैठ जाइये ।

(व्यवधान)

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अब आपकी बात सबसे अंत में कहेंगे । अभी आपको सुनना पड़ेगा । महोदय, इसलिए मैं कह रहा था कि गाद प्रबंधन नीति भी बनाने की बात क्योंकि सब लोग मुख्यमंत्री जी के आग्रह पर उस समय जो भारत सरकार के जल संसाधन मंत्री थे उनको हमने आमंत्रण देकर अपने बिहार राज्य सरकार के प्लेन से उनको साथ लेकर गंगा नदी का पूरा विस्तार जो स्ट्रेच, बिहार में लगभग 445 किलोमीटर है वह पूरा उनको हमने दिखाया था और हमने दिखाया था जो गाद की स्थिति देखी है । नदियां अगर मर रही हैं तो सिर्फ और सिर्फ गाद के कारण, आज आप जिस नदी की बात कर रहे थे उस नदी को आपने देखा है...

(व्यवधान)

महोदय, नदी को ये देखते नहीं हैं, ये नदी को देखते नहीं हैं सिर्फ बात करते हैं...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : ये लोग किनारा देखते हैं ।

(व्यवधान)

बैठ जाइये, बैठ जाइये ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, अभी बहुत बात है कहिये न स्थिर रहने के लिए...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठ जाइये । मौका दिया था अब बैठिये ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, अखतरूल ईमान जी ने जो कहा है चाहे वे सिकरहना की बात कह रहे थे और बाढ़ की बात कह रहे थे । जो बात कह रहे हैं कि...

(व्यवधान)

पहले छोड़ दी गयी थी, स्कीम को छोड़ दिया गया लेकिन जो जमीन अधिगृहित हुई थी उसका मुआवजा सारे लोगों ने ले लिया है । अब जमीन का मुआवजा लेकर बांध नहीं बनने देना चाह रहे हैं...

(व्यवधान)

आज की डेट में वे बांध नहीं बनने देना चाह रहे हैं । इसलिए दूसरी बात जो हम कह रहे थे कि ये जो जल दूसरे इलाकों में पहुंचाने का मामला है।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण वेल में आ गये)

(व्यवधान)

अध्यक्ष : सुनिये, सुनिये । सरकार का उत्तर सुनिये ।

(व्यवधान)

वेल में कही गयी कोई बात नहीं सुनी जायेगी । अपने स्थान पर जाइये ।

(व्यवधान)

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : आप जाकर बैठिये । आप बैठिये आपकी बात करते हैं । आप जाकर बैठिये...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठ जाइये । कहेंगे आपकी बात, बैठिये ।

(व्यवधान)

बैठ जाइये । बैठिये तब न कहेंगे । वेल में कही गयी कोई बात नहीं सुनी जायेगी ।

(व्यवधान)

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, महानंदा या सिकरहना...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : सुनिये न । सुनिये न ।

(व्यवधान)

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : आपकी जिन–जिन बिंदुओं पर आपत्ति है आप दीजिये सरकार उसका संज्ञान लेगी लेकिन महोदय ये बस्ता समेट कर भागने के मूड में रहते हैं...

(व्यवधान)

बैठिये न संज्ञान लेते हैं । महोदय, छोड़िये अब इन लोगों को अपनी..

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अपनी बात कहिये ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अपनी बात कहते हैं कि पहली दफा जो हमने कहा कि जहां अधिशेष जल है उसको पहुंचाने के लिए और हमारे आनंद शंकर जी कह रहे थे औरंगाबाद की बात नॉर्थ कोयल परियोजना की बात...

(व्यवधान)

तो यह हम लोगों ने वह समझिये कि सिर्फ जहां उन्हीं का शासन है झारखण्ड सरकार । झारखण्ड सरकार के असहयोग के कारण हम लोग आज तक नहीं कर पा रहे हैं । वे खुद कह रहे थे जो पूरा रिजर्व वार्ड बना हुआ है और उसमें एक गेट लगाना है और रिजर्व वार्ड में गेट वहां कुटकु डैम में नहीं लगाने देता है...

(व्यवधान)

इनका शासन है, ये अपनी सरकार से नहीं कहते हैं । इसलिए हम इनसे भी आग्रह करते हैं कि जरा अगर उत्तर कोयल परियोजना...

(व्यवधान)

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण सदन से बहिर्गमन कर गये)

अगर, क्या हुआ, आपको भी जाना है । महोदय, आनंद शंकर जी बोलकर जा रहे हैं इन्हीं की बात हम कह रहे थे कि औरंगाबाद की चर्चा कर रहे थे, औरंगाबाद के लिए कुछ नहीं है । महोदय, औरंगाबाद के लिए जो पीने के पानी के लिए सोन नदी पर सोन नदी का पानी शुद्ध करके हम लोग वहां औरंगाबाद की तरफ सब जगह पानी पहुंचा रहे हैं । महोदय, आपने देखा कि कैसे गंगा के सर प्लस वाटर को यहां से निकाल कर मुख्यमंत्री जी की दूरगामी सोच के तहत हम लोगों ने गया, बोध गया, राजगीर, नवादा पहुंचाया है और दूसरे फेज में अब हम लोग राजगीर पहुंचाने वाले हैं । सोन नदी का पानी निकाल कर औरंगाबाद की बात कह रहे थे हम लोग वहां पहुंचा रहे हैं । इसी तरीके से हर जगह हम लोग जो अधिशेष पानी है उसको बर्बाद होने से बचाने के लिए हम उसका उपयोग करते हैं जो जलाभाव वाला क्षेत्र है और इसी तरीके से अन्य योजनाओं पर भी हम लोग लगातार काम कर रहे हैं । एक नदी जोड़ योजना, जिसमें सबसे ऊंची जगह पर कोसी मेची जोड़ योजना है, हमारे बिजेन्द्र बाबू भी लगातार उसके लिए प्रयासरत रहते हैं । महोदय, उस योजना से समझिये लाखों एकड़ में सिंचाई सुविधा जोरदार ढंग से उपलब्ध हो जायेगी । उसी तरीके से हम लोगों ने बूढ़ी गंडक–बागमती की जोड़ योजना जो बेलवाधार–शांतिधार योजना है उसको भी हम लोग करा रहे हैं । फिर उसी तरीके से अकाली नाला झारी वाली योजना है गंडक में उसको भी हम लोग नदी जोड़ योजना से कर रहे हैं और इससे भी अलग जो हम मुख्यमंत्री जी की बात कह रहे थे । महोदय, नदियों का महत्व हमारी भारतीय संस्कृति में शुरू से जबरदस्त रहा है । महोदय, आप देखे हैं कि लोग नदियों को मां के रूप में देखते हैं, गंगा मैया, यमुना मैया सब लोग कहते हैं तो नदी संस्कृति के विकास के लिए भी जल संसाधन विभाग काम कर रहा है क्योंकि हमारी सभ्यता और संस्कृति ही नदियों से जुड़ी हुई रहती है पूरी

की पूरी सभ्यता, महोदय, आपको याद है हम लोगों का इतिहास गवाह है कि सबसे पहले लिखित इतिहास अगर भारत का उपलब्ध है तो सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से है, वह सिंधु नदी ही है । सभ्यताएं, नदी की पहचान सभ्यता और सभ्यता की पहचान नदियां हुआ करती हैं । इसलिए हम लोग तो अपनी संस्कृति भारतीय संस्कृति के हिसाब से भी नदियों की पूजा करते हैं और नदी संस्कृति के विकास के लिए जो मुख्यमंत्री जी ने यहां सिमरिया और सुल्तानगंज में जो योजनाएं की हैं कि उसके किनारों को विकसित करके नदियों को आज की सभ्यता, संस्कृति में लोगों को फिर से नदी के महत्व को समझाने के लिए, आकर्षित करने के लिए जो योजनाएं बनायी हैं उससे नदी संस्कृति का भी विकास होगा, लोग नदियों का महत्व समझेंगे । ठीक है महोदय, अब मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा और बाकी हमारा भाषण इसमें है इसको प्रासीडिंग का पार्ट बनवा दीजियेगा और मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूं कि अपना, हालांकि कटौती तो उन्होंने नहीं दिया है उन्होंने दूसरा प्रस्ताव दिया है, मितव्ययिता का प्रस्ताव दिया है तो मितव्ययिता का प्रस्ताव ये अपना वापस ले लें । इस अनुरोध के साथ और हमारे मूल प्रस्ताव को सदन सर्वसम्मति से पारित करे । इसी अनुरोध के साथ मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं ।

(माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग का भाषण– परिशिष्ट द्रष्टव्य)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब सरकार का उत्तर समाप्त हुआ । माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा अपना कटौती प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं ?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''इस शीर्षक के मुख्य शीर्ष–2700, उप मुख्य शीर्ष–80 के लिए 505,06,37,000/– रुपये की मांग 2,00,00,000/– रुपये से घटायी जाय ।''

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अब मैं मूल प्रस्ताव को लेता हूं ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''जल संसाधन विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए 7451,14,99,000/– (सात हजार चार सौ इक्यावन करोड़ चौदह लाख निन्यानवे हजार) रुपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

मांग स्वीकृत हुई ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, दिनांक–11 मार्च, 2025 के लिए स्वीकृत निवेदनों की संख्या–28 है । अगर सदन की सहमति हो तो इन्हें संबंधित विभागों को भेज दिया जाय ।

(सदन की सहमति हुई)

अध्यक्ष : अब सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक–12 मार्च, 2025 को 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है ।

परिशिष्ट

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

विजय कुमार चौधरी

मंत्री, जल संसाधन विभाग, बिहार

का

बजट सत्र 2025–26 के दौरान सदन में

अभिभाषण

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

विजय कुमार चौधरी

मंत्री, जल संसाधन विभाग, बिहार

का

बजट सत्र 2025–26 के दौरान सदन में

अभिभाषण

विजय कुमार चौधरी

मंत्री, जल संसाधन विभाग, बिहार
का बजट सत्र 2025-26 के दौरान सदन में अभिभाषण

माननीय अध्यक्ष महोदय,

जल संसाधन विभाग की वित्तीय वर्ष 2025–26 की मांग सदन में पेश करते हुए मुझे अत्यन्त प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है।

राज्य में जल संसाधनों को विकसित कर सुनिश्चित सिंचाई द्वारा कृषि–उत्पादकता में लगातार वृद्धि करना, बाढ़ सुरक्षा एवं जल निस्सरण के कार्यो से आपदा का न्यूनीकरण करना इस विभाग का प्रमुख कार्य है। इसके अलावा राज्य के उपलब्ध जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन से घटते जलस्तर वाले क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराने तथा जल–जीवन–हरियाली योजना के उद्देश्यों को पूर्ण करने हेतु विभाग संकल्पित है।

हमारा प्रयास है कि इन योजनाओं में लगे निवेश की सार्थकता सिद्ध हो एवं राज्य की जनता इससे पूरी तरह लाभान्वित हो।

महोदय,

पृथ्वी पर जीवन का आधार जल ही है, एवं यह मानव जीवन ही नहीं, बल्कि सम्पूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र (Ecological system) के लिए भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है। कृषि के लिए सिंचाई हेतु जल एक महत्वपूर्ण अवयव है। जल का सही प्रबंधन न केवल उन्नत कृषि के लिए आवश्यक है, बल्कि यह बाढ़ नियंत्रण, पारिस्थितिकी असंतुलन (Ecological Imbalance) और घटते जलस्तर की समस्याओं के समाधान में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

वैश्विक तापमान वृद्धि और जल संसाधनों की स्थिति

वैश्विक तापमान वृद्धि (ग्लोबल वार्मिंग) एवं जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षा की मात्रा और इसके वितरण में भी लगातार बदलाव आ रहा है। वर्षा की आवृत्ति और पैटर्न में अस्थिरता आ रही है, जिससे जल संकट की स्थिति उत्पन्न हो रही है। कई क्षेत्रों में बाढ़ तो कुछ क्षेत्रों में सूखा की स्थिति उत्पन्न हो रही है। ऐसे में सिंचाई हेतु जल का उचित प्रबंधन

और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए जल संसाधनों का संरक्षण अत्यधिक आवश्यक है। साथ ही प्राकृतिक संसाधनों के स्थायी उपयोग के लिए भी जल प्रबंधन की आवश्यकता और बढ़ गई है।

महोदय, यहाँ यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि केंद्रीय जल आयोग द्वारा वर्ष 2019 में किए गए अध्ययन के आधार पर, देश में औसत प्रति वर्ष 3880 बिलियन क्यूबिक मीटर (बीसीएम) वर्षा जल उपलब्ध होने का अनुमान है। प्राकृतिक प्रक्रियाओं वाष्पीकरण आदि को ध्यान में रखने के बाद, देश में औसत वार्षिक जल उपलब्धता 1999.20 बीसीएम आंकी गई है। जिसमें से उपयोग योग्य जल उपलब्धता प्रति वर्ष मात्र 1139 बीसीएम तक ही सीमित है। जिसमें 690 बीसीएम सतही जल और 449 बीसीएम पुनःपूर्ति योग्य भूजल शामिल है। जनसंख्या में वृद्धि के कारण देश में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता कम हो रही है। केंद्रीय जल आयोग द्वारा किए गए जल उपलब्धता के पुनर्मूल्यांकन संबंधित अध्ययन के आधार पर, वर्ष 2031, 2041 और 2051 के लिए प्रक्षेपित (projected) जनसंख्या के अनुसार औसत वार्षिक प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता क्रमशः 1367 घन मीटर, 1282 घन मीटर और 1228 घन मीटर आंकी गई है। जल उपलब्धता मानक के अनुसार प्रति व्यक्ति 1700 घनमीटर से अधिक जल उपलब्धता को, Water Surplus, 1000–1700 घनमीटर प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता को, Water Stressed तथा 500–1000 घनमीटर जल की उपलब्धता को, Water Scarce कहा जाता है। अध्ययन के अनुसार देश वर्ष 2011 से ही Water Stressed श्रेणी में है। लेकिन आगे आने वाले वर्षों में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता की स्थिति और अधिक गंभीर होने की संभावना है।

जल संसाधन विभाग द्वारा नेशनल वाटर मिशन (NWM) के तहत् राज्य में जल संसाधन की उपलब्धता, विकास और उसके प्रबंधन पर आई0आई0टी0 पटना के माध्यम से अध्ययन कराया गया है। जिसकी अंतरिम रिपोर्ट दिसम्बर 2023 में उपलब्ध करायी गयी है। अंतरिम रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2001 में राज्य में प्रति व्यक्ति सतही जल की उपलब्धता 1594 घन मीटर थी, जो वर्ष 2017 में घटकर 1213 घन मीटर रह गयी। रिपोर्ट के अनुसार अनुमान है कि वर्ष 2025 में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 1006 घन मीटर तथा वर्ष 2050 में 635 घन मीटर हो जायेगी जो, Water Scarce की श्रेणी में आता है। ऐसी स्थिति में राज्य के उपलब्ध जल संसाधन का विकास, संरक्षण एवं बेहतर प्रबंधन एक बड़ी चुनौती है।

महोदय, यह समय की मांग है कि हम जल संसाधनों के प्रबंधन में नवाचार, पर्यावरणीय संरक्षण और सतत विकास की दिशा में काम करें, ताकि भविष्य में हमारे पास पर्याप्त जल उपलब्ध हो और हम पर्यावरणीय संकट से बच सकें। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए

माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में बिहार राज्य में कृषि क्षेत्र में इन्द्रधनुषी क्रांति लाने, मौसम अनुकूल खेती एवं खाद्य सुरक्षा के दृष्टिगत महत्वाकांक्षी कृषि रोड मैप, जल–जीवन–हरियाली अभियान, 7 निश्चय–2 सहित अन्य कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जा रहा है। जिससे राज्य का वर्त्तमान के साथ–साथ भविष्य भी सुरक्षित रहे। महोदय, अब तो यह सर्वविदित है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा चलाए जा रहे अभियानों एवं कार्यक्रमों की देश ही नहीं, विदेशों एवं संयुक्त राष्ट्र के द्वारा भी प्रशंसा की गयी है।

महोदय, जल–जीवन–हरियाली अभियान एवं अन्य जल संरक्षण कार्यक्रम का फायदा मिलने लगा है एवं जल संरक्षण के उपायों से सकारात्मक परिणाम सामने आया है। राज्य में जल स्रोतों का बड़े पैमाने पर जीर्णोद्धार हुआ है। तालाब, आहर, पईन आदि अतिक्रमण मुक्त किये गये। दक्षिणी बिहार के इलाके में आहर और तालाब खुदवाए गए। नहरों की उड़ाही की गई। पुराने कुओं का जीर्णोद्धार हुआ, चेक डैम का निर्माण किया गया। पहाड़ी इलाकों में भी जल संचय संरचनाओं का निर्माण किया गया। इससे जल स्रोतों की स्थिति बेहतर हुई है। इन सभी योजनाओं से राज्य के भूजल स्तर में सकरात्मक बदलाव हुआ है।

महोदय, सदन को बताते हुए अत्यन्त प्रसन्नता हो रही है कि जल शक्ति मंत्रालय से जारी वर्ष 2024 की रिपोर्ट के अनुसार राज्य के सुरक्षित भूजल स्तर क्षेत्र का इलाका 929 वर्ग कि0मी0 और बढ़ गया है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में बिहार का सुरक्षित क्षेत्र 81260 वर्ग कि0मी0 था जो बढ़कर इस वर्ष 82189 वर्ग कि0मी0 क्षेत्र हो गया है। अब राज्य का लगभग 91 प्रतिशत इलाका भूजल स्तर के मामले में सुरक्षित या संतोषजनक क्षेत्र में शामिल हो चुका है।

यही नहीं, रिपोर्ट के अनुसार सूबे में अत्यधिक भूदोहन वाले क्षेत्र में भी कमी आई है और वर्ष 2023 की तुलना में यह घटकर लगभग आधा रह गया है। केन्द्र सरकार की रिपोर्ट के अनुसार बिहार का अत्यधिक भूदोहन वाला क्षेत्र इस साल लगभग 441 वर्ग कि0मी0 रह गया है। जबकि वर्ष 2023 में यह 867.80 वर्ग कि0मी0 था।

महोदय, सदन इस बात से अवगत है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा पिछले दिनों राज्य के प्रत्येक जिले में विकास कार्यों की समीक्षा हेतु प्रगति यात्रा की गई। प्रगति यात्रा में जल–जीवन–हरियाली अभियान, 7 निश्चय–2 सहित अन्य कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा के साथ–साथ महत्वपूर्ण परियोजनाओं का कार्यारंभ/उद्घाटन एवं स्थल भ्रमण भी किया गया।

इस क्रम में विभिन्न जिलों में सिंचाई एवं बाढ़ सुरक्षा से संबंधित कुल 48 अदद् योजनाओं के कार्यान्वयन की घोषणा की गई। घोषित 46 अदद् योजनाओं की कुल राशि 10,500.93 करोड़ है। 2 अदद् योजनाओं के तकनीकी संभाव्यता हेतु उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है।

घोषणा के तुरन्त बाद हीं विभाग द्वारा इस पर कारवाई प्रारंभ कर दी गयी है। वर्तमान में 46 अदद् योजनाओं की स्वीकृति के पश्चात् 44 अदद् योजनाओं की निविदा प्रक्रियाधीन है। दो अदद् योजना में कार्य प्रगति में है।

महोदय, मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि विभाग घोषित सभी योजनाओ के ससमय कार्यान्वयन हेतु कृत संकल्पित है।

सिंचाई क्षमता का सृजन एवं पुनर्स्थापन

महोदय, जल संसाधन विभाग द्वारा बिहार की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के लिए वृहद तथा मध्यम सिंचाई योजनाओं का सृजन एवं पुनर्स्थापन किया जाता है। **राज्य की कुल सिंचाई क्षमता (Ultimate Irrigation Potential) 53.53 लाख हे० और अब तक सृजित सिंचाई क्षमता (Created Irrigation Potential) 38.08 लाख हे० है। शेष लगभग 15.45 लाख हेक्टेयर में सिंचन क्षमता बढ़ाने के प्रयास किये जा रहे है।**

विभिन्न कारणों से सृजित सिंचाई क्षमता में ह्रास होता है तथा विगत पॉच वर्षो के अधिकतम सिंचित क्षेत्र को यदि आधार लिया जाय तो वृहद एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं से वर्ष 2023 तक कुल 37.73 लाख हेक्टेयर सृजित क्षमता के विरूद्ध उपयोग में आ रही सिंचाई क्षमता 28.23 लाख हेक्टेयर है। सिंचाई क्षमता में इस ह्रास का मुख्य कारण नेपाल से आने वाली नदियों से प्राप्त गाद नहरों में जमा होने के कारण जलश्राव क्षमता में हो रही कमी तथा बाढ़ के दौरान नहर प्रणालियों का क्षतिग्रस्त होना है। विभाग सृजित क्षमता एवं उपयोगी सिंचाई क्षमता के बीच की कमी को भी भरने की कारवाई कर रहा है।

वित्तीय वर्ष 2025–26 में वृहद एवं मध्यम सिंचाई येाजना अन्तर्गत विभिन्न पुनर्स्थापन योजनाओं के द्वारा 2.04 लाख हेक्टेयर ह्रासित सिंचन क्षमता का पुनर्स्थापन तथा वर्तमान में कार्यान्वयनाधीन योजनाओं से 1.25 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित करने का लक्ष्य है। राज्य के अन्दर की नदियों को जोड़ने की योजनाओं में से कोशी–मेची लिंक परियाजना से अगले कुछ वर्षों में 2.15 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन किया जायेगा।

महोदय, अब मैं वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024–25 में सिंचाई की उपलब्धियाँ और अगले वित्तीय वर्ष 2025–26 के कार्यक्रम का उल्लेख करना चाहूँगा।

1. वर्ष 2024–25 में सिंचाई की प्रमुख उपलब्धियाँ :–

(क) आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय पार्ट–2 अन्तर्गत "हर खेत तक सिंचाई का पानी" पहुँचाने का निश्चय

महोदय, सदन इस बात से अवगत है कि 7 निश्चय पार्ट 2 के अन्तर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी का एक महत्वपूर्ण निश्चय है, "हर खेत तक सिंचाई का पानी"। जिसके तहत् हर संभव माध्यम से सिंचाई का पानी हर खेत तक पहुँचाने का लक्ष्य है। जिसमें अन्य विभाग भी शामिल है।

जल संसाधन विभाग द्वारा इस कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न विभागों के संयुक्त तकनीकी सर्वेक्षण में जल संसाधन विभाग के लिए चयनित 604 अदद योजनाओं में से 1,19,063 हे० क्षेत्र लक्ष्य के विरूद्ध अबतक 597 अदद् योजनाएं पूर्ण कर 1,18,577 हे० में सिंचाई सुविधा का पुनर्स्थापन किया गया है। हर खेत तक सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चयनित योजनाओं के अतिरिक्त भी 774 अदद योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है जिनसे कुल 5.42 लाख हे0 क्षेत्र में सिंचाई का पुनर्स्थापन होने की संभावना है। इनमें से अबतक 713 अदद् योजनाएँ पूरी कर 4.63 लाख हे0 क्षेत्र में पुनर्स्थापन किया जा चुका है।

(ख) पूर्वी गंडक नहर प्रणाली (गंडक फेज–II)

- पूर्वी गंडक नहर प्रणाली (गंडक फेज–I) के अवशेष भाग को गंडक फेज–II के तहत रु० 1783.33 करोड़ की लागत राशि से कराया जा रहा है।
- समस्तीपुर जिला जहाँ अब तक वृहत सिंचाई की कोई योजना नहीं है, वहाँ नहर का पानी पहुँचाने का लक्ष्य है।
- मुजफ्फरपुर, वैशाली और समस्तीपुर जिले के कुल 1.46 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता का सृजन होगा।
- भौतिक प्रगति 23.5 प्रतिशत

(ग) पश्चिमी कोसी नहर परियोजना का अवशेष कार्य

- नहरों की गाद सफाई एवं उनके बाँधों तथा संरचनाओं का पुनर्स्थापन एवं अवशेष कार्य –रू० 735.01 करोड़ की लागत राशि।

- 64240 हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन तथा 141025 हेक्टेयर ह्रासित सिंचाई क्षमता का पुनर्स्थापन।
- मधुबनी जिला के 19 प्रखंडों एवं दरभंगा जिला के 5 प्रखंडों के कृषक लाभान्वित होंगे।
- भौतिक प्रगति 97 प्रतिशत।

(घ) पश्चिमी गंडक नहर प्रणाली (सारण मुख्य नहर एवं इसकी वितरण प्रणाली) का पुनर्स्थापन एवं लाईनिंग (ई०आर०एम०) योजना से संबंधित

- गोपालगंज, सिवान एवं सारण में रू० 2061.8288 करोड़ की लागत से पुनर्स्थापन एवं संरचनाओं का नव–निर्माण तथा कंक्रीट लाईनिंग कार्य किया जा रहा है।
- 1.47 लाख हे0 सिंचाई क्षमता पुनर्स्थापन लक्ष्य के विरूद्ध 0.993 लाख हे0 का पुनर्स्थापन तथा 1.58 लाख हे0 सिंचाई सृजन लक्ष्य के विरुद्ध 0.749 लाख हे0 का सृजन
- भौतिक प्रगति 51.5 प्रतिशत

(ङ) सोन नहर प्रणाली अंतर्गत पूर्वी लिंक नहर के 0.00 कि०मी० से 10.20 कि०मी० तक पुनर्स्थापन एवं लाईनिंग कार्य।

- पूर्वी लिंक नहर (कुल लम्बाई–10.20 कि०मी०) के पुनर्स्थापन एवं लाईनिंग कार्य रू० 235.2497 करोड़ की लागत से किया जा रहा है।
- औरंगाबाद, गया तथा पटना जिले लाभान्वित
- भौतिक प्रगति 68 प्रतिशत

(च) सारण मुख्य नहर के कि0मी0 0.00 से कि0मी0 17.00 तक का पुनर्स्थापन एवं लाईनिंग कार्य।

- रू० 333.49 करोड़ की लागत राशि
- गोपालगंज, सिवान तथा सारण जिले के कृषकों को लाभ
- भौतिक प्रगति 23 प्रतिशत

(छ) जमुई जिलान्तर्गत कुण्डघाट जलाशय योजना

- जमुई जिला के सिकंदरा प्रखंड अंतर्गत बहुआर नदी पर 270.3147 करोड़ रुपये की लागत से

- भौतिक प्रगति 91 प्रतिशत
- माह जुलाई, 2025 तक पूर्ण करने का लक्ष्य

(ज) उत्तर कोयल जलाशय योजना

- बिहार राज्य के पुनर्गठन उपरान्त बिहार और झारखंड राज्य की संयुक्त परियोजना अन्तर्गत 1367.61 करोड़ रूपये की राशि से बिहार में अवशेष कार्य अक्टूबर, 2023 में प्रारंभ किया गया
- बिहार भू–भाग के उत्तर कोयल दायाँ मुख्य नहर में अंतिम छोर (गया) तक नहर की पूरी लंबाई में लाईनिंग कार्य
- औरंगाबाद तथा गया जिले लाभान्वित
- भौतिक प्रगति 9 प्रतिशत
- मार्च, 2026 तक पूर्ण कराये जाने का लक्ष्य

2. वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए सिंचाई प्रक्षेत्र का कार्यक्रम

महोदय, वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024–25 में सिंचाई की चालू योजनाओं के साथ–साथ नई योजनाओं का कार्यान्वयन भी वित्तीय वर्ष 2025–26 में किये जाने का कार्यक्रम है।

(क) मानमीय मुख्यमंत्री बिहार के प्रगति यात्रा के दौरान घोषित सिंचाई की योजनाएँ

महोदय, जैसा कि बताया जा चुका है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रगति यात्रा के दौरान सिंचाई से संबंधित कई महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा की गई। **इन योजनाओं से कुल 1 लाख 20 हजार 6 सौ 63 हे0 सिंचाई सृजन एवं 36 हजार 3 सौ 83 हे0 पुनर्स्थापन किया जाना है। घोषित योजनाओं के कार्यान्वयन के पश्चात् कुल सृजित क्षमता लगभग 39 लाख 28 हजार 6 सौ 63 हे0 होने की संभावना है।**

प्रगति यात्रा (2024–25) अन्तर्गत सिंचाई से संबंधित घोषित प्रमुख योजनाएं :–

क्र0	योजना का नाम	लाभान्वित जिला	लागत राशि (करोड़ में)
1	2	3	4
1	दोन शाखा नहर के 0.00 कि0मी0 से 93.75 कि0मी0 तक सेवापथ का पुनर्स्थापन (कालीकरण) कार्य।	पश्चिमी चम्पारण	78.00
2	उग्रनाथ शाखा नहर के कि0मी0 36.63 से कि0मी0 70.26 तक विस्तारीकरण का कार्य	मधुबनी	481.6
3	विदेश्वरस्थान उपशाखा नहर के कि0मी0 27.44 से कि0मी0 48.78 तक का विस्तारीकरण कार्य।	मधुबनी	266.53

4	पुरानी कमलाधार, जीवछ नदी, जीवछ कमला एवं पुरानी कमला नदी .आदि को पुनर्जिवित करने एवं इससे सिंचाई सुविधा बढ़ाने तथा बाढ़ न्यूनीकरण की प्रस्तावित योजना ।	मधुबनी	426.01
5	बाढ़ अवधि में गंगा नदी के अधिशेष जल को बदुआ तथा खड़गपुर जलाशय में अंतरण कार्य	बांका एवं मुंगेर	1866.11
6	रजौन प्रखंड में कतरिया नदी पर वीयर एवं राजडांड पर क्रॉस रेगुलेटर का निर्माण।	बांका	35.19
7	सिंचाई प्रमंडल, तारापुर अंतर्गत बदुआ जलाशय के बायां मुख्य नहर के खैराती खां उपवितरणी से निःसृत कमरगामा डांड, फूसना डांड, गाजीपुर डांड़ एवं चौरा उपवितरणी के लाईनिंग कार्य	बांका एवं मुंगेर	42.28
8	बाजिदपुर से निःसृत मिरजैन नहर प्रणाली (0.00 कि०मी० से 28.00 कि०मी० तक) एवं मिरजैन नहर के वि० दू० 10 कि०मी० से निःसृत तेउसाईन ब्रांच कैनाल (0.00 कि०मी० से 8.00 कि०मी०) तक का पुनर्स्थापन एवं लाईनिंग कार्य ।	शेखपुरा	195.07
9	बरनार जलाशय योजना	जमूई	2579.38
10	अपर किउल जलाशय योजना अन्तर्गत मुख्य नहर के 0.00 कि0मी0 से 19.42 कि0मी0 तक नहर का पुनर्स्थापन एवं लाईनिंग कार्य	जमूई	62.58
11	सोन नदी से उद्वह सिंचाई के माध्यम से विशुनपुर उप वितरणी के शेष कमांड क्षेत्र को सिंचाई उपलब्ध कराने का कार्य।	औरंगाबाद	131.54
12	नगर परिषद औरंगाबाद के अंतर्गत अदरी नदी का सौंदरीकरण एवं नदी तट का विकास कार्य ।	औरंगाबाद	74.78
13	बतसपुर वीयर योजना अंतर्गत मोराटाल मुख्य पईन का चौड़ीकरण, विस्तारीकरण तथा पुनर्स्थापन कार्य	गया	77.60
14	मोरहर नदी पर कोठी वीयर निर्माण एवं इससे निसृत पईनों का जीर्णोद्धार कार्य।	गया	88.12
15	सेनाने वियर एवं नहर प्रणाली का पुनर्स्थापन कार्य।	अरवल	11.49
16	उद्वह सिंचाई योजना सहित मलई बराज योजना का निर्माण कार्य	बक्सर	204.96
17	सोन–कोहिरा लिंक सिंचाई योजना।	कैमूर	154.54
18	जमानियाँ से ककरैत गंगाजल उदवह सिंचाई योजना	कैमूर	528.44
19	नालन्दा जिला अन्तर्गत गिरियक प्रखण्ड में पंचाने सिंचाई योजना का पुनर्स्थापन कार्य।	नालन्दा	50.00
	कुल		7354.22

(ख) जल–जीवन–हरियाली अभियान

- गया, बोधगया, राजगीर एवं नवादा शहरों को रु० 4515.70 करोड़ की लागत से पेयजलापूर्ति की महत्वकांक्षी गंगा जल आपूर्ति योजना के प्रथम चरण की सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के उपरान्त द्वितीय चरण में बिहारशरीफ शहर को भी गंगा

जल उपलब्ध कराने हेतु रु० 1110.27 करोड़ की राशि से मधुवन जलाशय का निर्माण कार्य प्रगति में है, जिसे अगस्त 2025 तक पूर्ण किया जाना है।

- औरंगाबाद, डिहरी एवं सासाराम शहरों को सोन नदी में उपलब्ध सतही जल का उपयोग करते हुए रु० 1347.32 करोड़ की लागत से पेयजल उपलब्ध कराने का कार्य प्रगति में है। इन्द्रपुरी बराज के नीचे छोड़े जाने वाले अधिशेष जल का भण्डारण कर इसका उपयोग पेयजल के लिए किया जाएगा। योजना को दिसम्बर, 2026 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है।
- रु० 198.58 करोड़ की लागत से भभुआ एवं मोहनियाँ शहरों के लिए दुर्गावती जलाशय से पेयजल उपलब्ध कराने का कार्य प्रगति में है। प्रतिवर्ष कुल 13.00 एम०सी०एम० सतही जल का उद्वह कर जल को शोधित करने के पश्चात पाईप लाईन के माध्यम से पेयजल आपूर्ति योजना के कार्यान्वयन का कार्यक्रम है। इसे 14 सितम्बर, 2025 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है।

(ग) नदी जोड़ योजनाएँ

महोदय, विभाग राज्य के अंदर की नदियों को आपस में जोड़ने की कई योजनाओं पर भी कार्य कर रहा है। राज्य की नदियों को जोड़ने की योजना में सिंचाई के साथ–साथ जल निस्सरण एवं बाढ़ की विभीषिका को कम करने की अपार संभावनाएँ हैं।

(I) कोसी–मेची–लिंक योजना :

- यह योजना कोसी बेसिन एवं महानंदा बेसिन की नदियों को जोड़ते हुए जलान्तरण करने की एक महत्वाकांक्षी योजना है।
- इस योजना की प्राक्कलित राशि रू० 6282.32 करोड़ है। योजना के कार्यान्वयन से अररिया, कटिहार, किशनगंज एवं पूर्णियाँ जिले के 2,14,812 हे० क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।
- केन्द्र सरकार द्वारा इस परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रक्रियाधीन है।

(ii) विभाग द्वारा निम्नांकित नदी जोड़ योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है:–

बागमती–बूढ़ी गंडक (बेलवा धार) नदी जोड़ योजना :

- प्राक्कलित राशि रू० 130.89 करोड़ समस्तीपुर, पूर्वी चम्पारण, मुजफ्फरपुर एवं शिवहर जिलों के 1.35 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता का विकास का लक्ष्य
- भौतिक प्रगति 56 प्रतिशत

बागमती–बूढ़ी गंडक (शांति धार) नदी जोड़ योजना:

- प्राक्कलित राशि रू० 120.9611 करोड़
- बागमती नदी के अधिशेष जल को बूढ़ी गंडक नदी में प्रवाहित कर बागमती से उत्पन्न होने वाली बाढ़ की स्थिति में सुधार का लक्ष्य
- समस्तीपुर तथा दरभंगा जिले में लगभग 39350 हेक्टेयर सिंचाई हेतु जल की उपलब्धता का लक्ष्य
- भौतिक प्रगति 60 प्रतिशत

गंडक–अकाली नाला (छाड़ी)–गंडकी–माही–गंगा नदी जोड़ योजना :

- लिंक चैनल का निर्माण 170 किलोमीटर की लम्बाई में
- प्राक्कलित राशि रू० 69.89 करोड़
- गोपालगंज, सिवान एवं सारण जिलों के 0.6 लाख हेक्टेयर क्षेत्र से जल निकासी का लक्ष्य
- भौतिक प्रगति 68 प्रतिशत

(घ) केन्द्रीय बजट 2025–26 में राज्य में सिंचाई क्षेत्र में सहायता

महोदय, केन्द्रीय बजट 2025–26 में राज्य में सिंचाई से संबंधित घोषणा की गई कि **''पश्चिमी कोशी नहर ईआरएम परियोजना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र में 50,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर खेती करने वाले बड़ी संख्या में किसानों को लाभ मिलेगा।''**

- पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के विस्तारीकरण पुनर्स्थापन एवं आधुनिकीकरण कार्य का प्रस्ताव है।
- इसके अंतर्गत मुख्य नहर, षाखा नहर के वितरण प्रणालीयों में कंक्रीट लाईनिंग कार्य के साथ–साथ मुख्य नहर एवं शाखा नहर के सेवापथ के पक्कीकरण का प्रावधान है।
- नहरो के विस्तारीकरण के पश्चात इस योजना अन्तर्गत कुल सिंचन क्षमता 397877 हे0 हो जायेगा।
- इस योजना से मधुबनी जिला तथा दरभंगा जिला के कृषक लाभान्वित होंगे।
- योजना से संबंधित प्रस्ताव केन्द्रीय जल आयोग नई दिल्ली को समर्पित है, जिसपर आवश्यक कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

बाढ़ प्रबंधन

महोदय,

अब मैं बाढ़ प्रक्षेत्र में किये जा रहे कार्यो का उल्लेख करना चाहूँगा।

महोदय, गत् वर्ष भारत सरकार द्वारा बिहार में निरंतर बाढ़ की समस्या के कारणों एवं इसके निदान हेतु दीर्घकालीन कारवाई किये जाने की आवश्यकता का विशेष रूप से संज्ञान लिया गया। केन्द्रीय वित्त मंत्री द्वारा 2024-25 के बजट भाषण में घोषणा की गई कि **"बिहार हमेशा देश के बाहर से आने वाली नदियों की बाढ़ से अत्यधिक प्रभावित होता रहा है। नेपाल भाग में बाढ़ नियंत्रण से संबंधित संरचनाओं के निर्माण में कोई प्रगति नहीं हो पाई है। इस परिप्रेक्ष्य में बाढ़ नियंत्रण एवं सिंचाई हेतु त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए0आई0बी0पी0) एवं अन्य संसाधनों से बाढ़ प्रबंधन, बराज निर्माण एवं अन्य सिंचाई परियोजनाओं के लिए केन्द्र सरकार बिहार को 11,500 करोड़ की वित्तीय सहायता देगी।"**

महोदय, विभाग द्वारा इस घोषणा में सम्मिलित बराज निर्माण सहित अन्य परियोजनाओं का डी0पी0आर0 निर्माण पर ससमय कार्रवाई की गयी और इसका डी0पी0आर0 इस वर्ष अप्रैल माह में तैयार हो जायेगा।

इस परिप्रेक्ष्य में आप सब अवगत हैं कि गत् वर्ष 2024 में 27 सितम्बर से 30 सितम्बर के बीच पूरे नेपाल में हुए अभूतपूर्व वर्षापात के कारण वहाँ से आने वाली सभी नदियों यथा गंडक, बागमती, कोशी, महानंदा आदि के जलस्तर में अप्रत्याशित वृद्धि हुई तथा उच्चतम जलस्तर के सारे रिकार्ड टूट गए। कोशी एवं गंडक में तो अनेक स्थानों पर लंबी दूरी में तटबंधों के उपर से बाढ़ का पानी बह गया। इसके दो प्रमुख कारण है-पहला जलवायु परिवर्तन के कारण पूरे नेपाल में एक साथ कम समय में अधिक वर्षा होना एवं वहाँ से आने वाली नदियों से अत्यधिक गाद के साथ जलस्राव तथा लगातार जमा हो रहे गाद के कारण नदी तल का ऊचाँ होना। इससे इसकी जल संग्रहण क्षमता में कमी होती है तथा बाढ़ अवधि में जल का फैलाव अधिक होता है।

यह पहली बार अनुभव हुआ कि इन नदियों पर पूर्व से निर्मित तटबंध प्रणाली अब पूरी तरह सुरक्षित एवं प्रभावी नहीं रह गई है। वर्तमान परिस्थिति में भविष्य में राज्य की आबादी तथा जानमाल को बाढ़ की विभिषिका से बचाने के लिए पूर्व से निर्मित प्रमुख तटबंधों को प्राथमिकता के आधार पर उच्चीकरण, चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण किया जाना अति आवश्यक है।

महोदय, जल संसाधन विभाग द्वारा River Management in Border Area (RMBA) के तहत कुल रू 2147.58 करोड़ की तथा Flood Management Programmme (FMP) के तहत् रू 4502.75 करोड़ की योजनाओं का DPR केन्द्र सरकार को उपलब्ध कराया गया है एवं बजट भाषण में घोषित रू 11,500 करोड़ की राशि के तहत् प्रथम चरण में बाढ़ नियंत्रण से संबंधित कुल रू 6650.33 करोड़ की प्रस्तावित योजनाओं की स्वीकृति प्राथमिकता के आधार पर देते हुए जल शक्ति मंत्रालय से राशि उपलब्ध कराने का अनुरोध भी किया गया है। **प्रस्तावित योजनाओं में रू० 903.86 करोड़ की राशि से पूर्वी कोसी एवं पश्चिमी कोसी तटबंधों का उच्चीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं कालीकरण कार्य भी शामिल है। इन योजनाओं का प्राक्कलन तैयार किया गया है जो भारत सरकार से तकनीकी एपरेजल के प्रक्रियाधीन है।**

महोदय, अब मैं बाढ़ सुरक्षा हेतु विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं एवं प्रयासों का संक्षिप्त उल्लेख करना चाहूंगा।

1. वर्ष 2024–25 में बाढ़ प्रबंधन की प्रमुख उपलब्धियाँ

(क) नये तटबंधो का निर्माण तथा निर्मित तटबंधो का उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य

(I) सिकरहना नदी पर तटबंध का निर्माण

- पश्चिमी एवं पूर्वी चंपारण जिले में रु० 239.63 करोड की लागत से सिकरहना नदी पर 56.22 कि0मी0 की लंबाई में दायां तटबंध का निर्माण कार्य कराया जा रहा है।

(ii) मसान नदी के बायां एवं दायां तटबंध का निर्माण

- पश्चिमी चंपारण जिले में रु० 214.96 करोड़ की लागत से मसान नदी के बायां तटबंध एवं दायां तटबंध में कुल 46.06 कि0मी0 में नये तटबंध का निर्माण एवं कुल 24.24 कि0मी0 में तटबंध का उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य कराया जा रहा है।

(iii) कमला बलान बायाँ एवं दायाँ तटबंध का उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण एवं शीर्ष पर पक्कीकरण कार्य

कमला बलान फेज–1 के तहत् पिपरा घाट पुल से ठेंगहा पुल तक कुल 80 कि०मी० की लम्बाई में रू० 325.12 करोड़ की राशि से योजना को पूर्ण कर लिया गया है।

कमला बलान फेज–2 के तहत् रू० 296.89 करोड़ की राशि से कमला बलान बायाँ तटबंध फटकी कुट्टी से पुनाच एवं कमला बलान दायाँ तटबंध के ठेंगहा से पलवा तक कुल 56.20 कि०मी० की लम्बाई में कार्य प्रगति में है। इस कार्य की अद्यतन भौतिक प्रगति 95 प्रतिशत है।

कमला बलान फेज–3 अंतर्गत रू० 255.45 करोड़ की लागत राशि से कमला बलान बायां तटबंध के कि०मी० 0.00 से 105.35 (घोघेपुर) तथा दायां तटबंध के कि०मी० 0.00 (जयनगर) से 111.29 (फुहिया) के बीच कार्य किया जा रहा है। कमला बलान फेज–3 की अद्यतन भौतिक प्रगति 42 प्रतिशत है।

महोदय, फेज–3 **का कार्य पूर्ण होने के बाद कमला बलान बायां एंव दायां तटबंध के पूरी लम्बाई में तटबंध का उच्चीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं पक्कीकरण का कार्य पूर्ण हो जायेगा एवं बाढ़ से सुरक्षा के साथ–साथ मधुबनी जिला के नेपाल से सटे हुए जयनगर शहर से दरभंगा, समस्तीपुर एवं सहरसा जिला के महिषी प्रखंड तक बाढ़ सुरक्षा के साथ स्थानीय आवागमन सुगम हो जायेगा।**

(ख) नदी–सांस्कृतिक क्षेत्र की विकास योजना

(I) सिमरिया घाट धाम में सीढ़ी घाट निर्माण एवं इसका सौन्दर्यीकरण कार्य

महोदय, सदन को यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि बेगूसराय स्थित सिमरिया घाट धाम में सीढ़ी घाट निर्माण एवं इसका सौन्दर्यीकरण कार्य 137.56 करोड़ की लागत राशि से पूर्ण कर लिया गया है। इसके निर्माण से स्थानीय लोगों को रोजगार का भी अवसर मिल रहा है।

सिमरिया घाट एवं कल्पवास मेला क्षेत्र में द्वितीय चरण का विकास कार्य के अन्तर्गत रू0 37.38 करोड़ की लागत से मिथिला हाट के तर्ज पर सिमरिया घाट एवं कल्पवास मेला क्षेत्र का संरचनात्मक विकास एवं इस धर्म स्थल को संसाधन युक्त बनाकर इसकी प्राचीन गरिमा को पुनर्जीवित किया जायेगा। इस कार्य अन्तर्गत नवनिर्मित सीढ़ी घाट के अप स्ट्रीम में रामजानकी घाट तक सीढ़ी घाट का निर्माण एवं अन्य कार्य किया जाना है। उक्त कार्य को 18 महीने में पूर्ण करने का लक्ष्य है।

(ii) सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ मंदिर के समीप गंगा नदी के दायें तट पर पुरानी उत्तरवाहिनी धार में चैनल एवं सीढ़ी घाट निर्माण कार्य

महोदय, भागलपुर ज़िलान्तर्गत सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ मंदिर के समीप गंगा नदी के दायें तट पर पुरानी उत्तरवाहिनी धार में चैनल एवं सीढ़ी घाट निर्माण कार्य रूपये 164.57 करोड़ की लागत राशि से कराया जा रहा है। योजना के अन्तर्गत उत्तरवाहिनी धार को पुनर्जिवित करने हेतु 2 कि0मी0 लम्बाई में 30 मीटर चौड़ा तथा न्यूनतम जलस्तर से 0.5 मीटर नीचे गहराई तक चैनल का निर्माण, 1315 मीटर की लम्बाई में पाथ–वे का निर्माण, पक्का सुरक्षात्मक कार्य, प्रशाधन परिसर एवं लैंड स्केपिंग का निर्माण कार्य कराया जाना

प्रस्तावित है। इस योजना के कार्यान्वयन से अजगैबीनाथ मंदिर को पर्यटन स्थल एवं लोक आस्था को बढ़ावा मिलेगा। योजना की भैतिक प्रगति 5.5 प्रतिशत है। इस कार्य को मार्च 2026 तक पूर्ण किया जाना है।

(iii) गंगा चैनल के दायें तट पर सीढ़ी घाट के निकट पक्का सुरक्षात्मक कार्य

महोदय, पटना जिला अंतर्गत बख्तियारपुर में गंगा चैनल के दायें तट पर सीढ़ी घाट के निकट पक्का सुरक्षात्मक कार्य एवं कटाव निरोधक कार्य रू० 56.06 करोड़ की लागत से कराया जा रहा है। साथ ही जल संसाधन विभाग द्वारा इस ऐतिहासिक नगरी की खूबसूरती फिर से लौटाने के लिए घोसवरी घाट से रवाइच, सीढ़ीघाट, मुक्तिधाम होते हुए रामनगर दियारा तक गंगा की धारा को पुनर्जीवित किया गया है।

(ग) उत्कृष्टता केन्द्र (Centre of Excellence) के रूप में भौतिक प्रतिमान केन्द्र (Physical Modelling Centre), वीरपुर की स्थापना

बिहार कोसी बेसिन विकास परियोजना के अन्तर्गत उत्कृष्टता केन्द्र के रूप में सुपौल जिला के वीरपुर क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास (Research and Development) के लिए भौतिक प्रतिमान केन्द्र की स्थापना 125.88 करोड़ की लागत से की जा रही है। असैनिक कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

भौतिक प्रतिमान केन्द्र का मुख्य उद्देश्य नदियों के हाईड्रॉलिक प्रोपर्टिज, नदी में गाद बहाव, तटबंध/स्पर से संबंधित सुरक्षात्मक कार्यों का अध्ययन एवं निर्धारण तथा नदियों से संबंधित अन्य जटिल (Complex) समस्याओं का अध्ययन करना है। जिससे बाढ़ प्रबंधन में सहायता मिलेगी। भौतिक प्रतिमान केन्द्र, वीरपुर में कोसी नदी के अध्ययन हेतु कोसी मॉडल ट्रे एवं कोसी बराज के अध्ययन हेतु कोसी बराज मॉडल ट्रे स्थापित की गयी है। उक्त दो मॉडल ट्रे के अतिरिक्त अन्य नदियों के हाईड्रॉलिक प्रोपर्टिज इत्यादि के अध्ययन हेतु चार अतिरिक्त मॉडल ट्रे (Model Tray) की स्थापना की गयी है। साथ ही मॉडल ट्रे को facilitate करने हेतु विभिन्न कर्मशाला एवं प्रयोगशाला यथा Mechanical & Carpentry Workshop, Geotechnical Lab, Hydraulic Lab, Sediment Lab, Electronics & Instrumentation Workshop एवं जल परिसंचरण प्रणाली (Water Re-circulatory System) की स्थापना की जा रही है। वर्तमान में कोसी नदी एवं कोसी बराज का मॉडल फेबरीकेशन का कार्य प्रगति में है।

2. वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए बाढ़ प्रक्षेत्र का कार्यक्रम

महोदय, वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024–25 में बाढ़ सुरक्षात्मक चालू योजनाओं के साथ–साथ नई योजनाओं का कार्यान्वयन भी वित्तीय वर्ष 2025–26 में किये जाने का कार्यक्रम है।

(क) माननीय मुख्यमंत्री बिहार के प्रगति यात्रा के दौरान घोषित बाढ़ प्रक्षेत्र की योजनाएँ

महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रगति यात्रा के दौरान विभिन्न जिलों में बाढ़ के बचाव से संबंधित रूपये 3146.71 करोड़ की लागत राशि की कुल 27 अदद महत्वपूर्ण योजनाओं के कार्यान्वयन की घोषणा की गई है। घोषित योजनाओं की विवरणी निम्नवत् है

क्र०	योजना का नाम	लाभान्वित जिला	लागत राशि (करोड़ में)
1	2	3	4
1	रक्सौल अनुमंडल में बंगरी नदी पर बाढ़ से बचाव के लिए तटबंध का निर्माण कार्य ।	पूर्वी चम्पारण	**37.19**
2	बागमती नदी के बायें तटबंध कि0मी0 0.00 से कि0मी0 7.27, बायों एफलेक्स बाँध के कि0मी0 0.00 से कि0मी0 8.04, दाये तटबंध के कि0मी0 0.00 से कि0मी0 9.72, दोआब तटबंध के कि0मी0 9.00 से कि0मी0 10.00 एवं बैरगनियाँ रिंग बाँध के कि0मी0 0.00 से कि0मी0 6. 60 का बी0आई0एस0 कोड एवं नए एच0एफ0एल0 2024 के अनुसार उच्चीकरण, सुदृढ़ीकरण, सुरक्षात्मक एवं कालीकरण कार्य।	पूर्वी चम्पारण / शिवहर / सीतामढ़ी	**286.55**
3	बागमती नदी के दायें तटबंध 15.24 कि0मी0 से 79.00 कि0मी0, बायें तटबंध के 7.270 कि0मी0 से 81.19 कि0मी0, भरथुआ रिंग बांध कि0मी0 0.00 से 2.13 कि0मी0 से 4.70 कि0मी0 का बी0आई0एस0 कोड एवं नए एच0एफ0एल0 2024 के अनुसार उच्चीकरण, सुदृढ़ीकरण, सुरक्षात्मक एवं कालीकरण कार्य।	पूर्वी चम्पारण / शिवहर / सीतामढ़ी	**1378.10**
4	घुड़दौर पोखर, पताही का जीर्णोद्धार एवं पर्यटन स्थल के रूप में विकास	पूर्वी चम्पारण	**9.30**
5	बागमती नदी के तटबंध का टूटा हुआ हिस्सा की मरम्मति एवं बागमती नदी के दोनों तटबंधों का सुदृढ़ीकरण	सीतामढ़ी	**14.57**
6	गोपालगंज जिलान्तर्गत बैकुंठपुर, सिधवलिया, बरौली, माँझा, गोपालगंज सदर एवं कुचायकोट प्रखंडों के अधीन सारण तटबंध के कि0मी0 80.00 से कि0मी0 152.00 के बीच तथा संलग्न छरकियों पर उच्चीकरण, सुदृढ़ीकरण, सुरक्षात्मक कार्य तथा शीर्ष पर कालीकरण कार्य।	गोपालगंज	**351.51**
7	बाया नदी पर उड़ाही का कार्य	वैशाली	**54.45**
8	बरैला झील का विकास एवं सौंदर्यीकरण का कार्य	वैशाली	**53.35**
9	सारण तटबंध पर 40वें किलोमीटर से 80वें किलोमीटर तक पूर्व से स्वीकृत सिंगल लेन पथ के चौड़ीकरण का कार्य ।	सारण	**239.00**
10	बलान नदी के कि०मी० 0.00 ग्राम मुसापुर (समस्तीपुर जिलान्तर्गत) से किमी0 78.70 तक भीठ स्लुईस ग्राम नउला के पास (बेगूसराय जिलान्तर्गत) नदी के तल में जमे गाद सफाई का कार्य एवं जमुआरी नदी के कि०मी० 0.00 मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत हरसिंगपुर ग्राम के समीप (ढोली स्लुईस) से कि०मी० 54.06 तक (ग्राम मुसापुर) समस्तीपुर जिलान्तर्गत नदी के तल में जमे गाद सफाई एवं 33 अदद विभिन्न बिन्दुओं पर द्विपथीय सेतु का निर्माण कार्य।	समस्तीपुर	**322.10**

11	बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल–1, खगड़िया अन्तर्गत खगड़िया शहर सुरक्षा तटबंध के कि0मी0 0.40, कि0मी0 1.60 एवं कि0मी0 2.50 पर एन्टी फ्लड स्लूईस का निर्माण कार्य तथा तटबंध के उच्चीकरण सुदृढ़ीकरण एवं कालीकरण का कार्य	खगड़िया	**19.39**
12	कावर झील विकास	बेगूसराय	**11.04**
13	सिमरिया धाम / कल्पवास का विकास	बेगूसराय	**37.38**
14	सिकरहट्टा–मंझरी निम्न बांध, डगमरा मार्जिनल बांध एवं निर्मली घेरा बांध के मरम्मती एवं सड़क निर्माण कार्य।	सुपौल	**17.22**
15	सुरसर नदी का डिसील्टेशन / चौनलाइजेशन	सुपौल	**5.92**
16	रमजान नदी का डिसिल्टेशन चौनेलाइजेशन एवं सौंदरीकरण	किशनगंज	**9.87**
17	तिलाबे नदी की उड़ाही	सहरसा	**12.53**
18	कारी–कोसी के दाएं तटबंध का उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण साथ में सुरक्षात्मक एवं कालीकरण का काम खंड कस्बा के अंतर्गत	पूर्णिया	**5.37**
19	कटिहार जिलान्तर्गत मनिहारी प्रखंड के गोगाबील झील हेतु एण्टी फ्लड स्लुईस का निर्माण कार्य।	कटिहार	**3.66**
20	बक्सर कोईलवर गंगा तटबंध के कि0मी0 0.00 से कि0मी0 51.72 के बीच तटबंध के सुदृढ़ीकरण एवं कालीकरण तथा सुरक्षात्मक कार्य।	बक्सर	**181.26**
21	भोजपुर जिलान्तर्गत चंदवा से बगवतपुर तक 6.50 कि0मी0 की लंबाई में गांगी नदी के दायें बाँध (आरा शहर सुरक्षा बाँध) पर सुदृढ़ीकरण एवं पक्कीकरण कार्य तथा बगवतपुर से धरहरा तक 1.00 कि0मी0 की लंबाई में आरा मुख्य नहर के बायें बाँध पर पक्कीकरण कार्य।	भोजपुर	**31.30**
22	नालंदा जिला के एकंगरसराय प्रखंड अन्तर्गत लोकाईन नदी के बॉये बांध पर ग्राम बेलदरीया बिगहा के समीप एवं हिलसा प्रखंड अन्तर्गत जमुआरा स्कूल से भूषणबिगहा तक तथा हिलसा प्रखंड अंतर्गत लोकाईन नदी के दायें बाँध पर सोहरापुर पुल से रेड़ी मुसहरी तक एवं करायपरसुराय प्रखंड अंतर्गत लोकाईन नदी के बायें बाँध पर ग्राम–वाजितपुर से मुसाढ़ी तक कटाव निरोधक कार्य।	नालंदा	**6.62**
23	नालंदा जिला के एकंगरसराय प्रखंड अंतर्गत ग्राम पुलपर के समीप लोकाईन नदी दायें बांध पर कटाव निरोध कार्य।	नालंदा	**5.11**
24	नालंदा जिला के सरमेरा प्रखंड अंतर्गत धनवाडीह जमींदारी बांध का पुनर्स्थापन कार्य।	नालंदा	**2.65**
25	नालंदा जिला के नूरसराय प्रखंड अंतर्गत ग्राम–नारी मकनपुर से हरनौत प्रखंड अंतर्गत ग्राम–धमौली तक अधियारा नदी की तल सफाई एवं 08 अदद R.C.C. AFS का निमार्ण कार्य।	नालंदा	**6.39**
26	नालंदा जिला के सरमेरा प्रखंड अंतर्गत गोपालाबाद जमीन्दारी बाँध का पुनर्स्थापन कार्य	नालंदा	**2.40**
27	नालंदा जिला के बिहारशरीफ प्रखंड अंतर्गत कोसुक से सिपाह पुल तक पंचाने नदी में पक्का सुरक्षात्मक कार्य एवं रीवर फ्रंट विकास कार्य	नालंदा	**42.48**
	कुल		**3146.71**

(ख) बाढ़ 2025 की तैयारी

क्षतिग्रस्त स्थलों तथा नदियों के व्यवहार एवं आक्राम्यता को देखते हुए संवेदनशील स्थलों की पहचान कर वर्ष 2025 बाढ़ के पूर्व कुल 1190.72 करोड़ रूपये की लागत से अब तक 372 अदद बाढ़ सुरक्षात्मक योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु स्वीकृति दी गई है।

कोसी एवं गंडक नदी के नेपाल भू–भाग में कराए जा रहे 58 अदद् बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य पर रुपए 86.47 करोड़ का व्यय करने का कार्यक्रम है। इस राशि की शत–प्रतिशत प्रतिपूर्ति भारत सरकार से प्राप्त होती है।

महोदय, आपदा प्रबंधन विभाग अन्तर्गत आपदा प्रशमन कोष (SDMF) की निधि के तहत् रुपए 459.14 करोड़ की लागत से 162 अदद् बाढ़ सुरक्षात्मक योजनाओं हेतु निविदा आमंत्रित है।

इसके अतिरिक्त तटबंधों के अनुरक्षण मद में 325.00 करोड़ रुपए व्यय करने का प्रस्ताव है, जिसके अन्तर्गत वर्ष 2025 की बाढ़ अवधि के दौरान आवश्यक कार्य यथा बाढ़ संघर्षात्मक कार्य, विभागीय सामग्रियों का भंडारण, स्लूईस गेटों की मरम्मति, नदियों की सेटेलाइट इमेजरी का क्रय आदि किया जाएगा।

(ग) बाढ़ प्रक्षेत्र अन्तर्गत गैर–संरचनात्मक कार्य

महोदय, बाढ़ के न्यूनीकरण एवं बचाव हेतु संरचनाओं के निर्माण के साथ–साथ गैर संरचनात्मक कार्यों का भी महत्वपूर्ण योगदान है। विभाग के द्वारा बाढ़ प्रबंधन के क्षेत्र में आधुनिक तकनीक यथा रिमोट सेंसिंग, ज्योग्राफिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टम, मैथेमेटिकल मॉडलिंग, भौतिकीय प्रतिमानन, बाढ़ पूर्वानुमान, तटबंध परिसम्पत्ति प्रबंधन प्रणाली, सेटेलाईट इमेजरी आदि का व्यापक उपयोग किया जा रहा है। जिसके फलस्वरूप बाढ़ की विभीषिका को कम किया जा रहा है। साथ हीं बाढ़ सुरक्षात्मक योजनाओं को बेहतर ढंग से क्रियान्वयन किया जा रहा है।

(घ) बिहार राज्य अंतर्गत Flood Plain Zoning (FPZ)

महोदय, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (Flood Management Program) के तहत वित्त पोषण प्राप्त करने हेतु राज्यों को Flood Plain Zoning कानून अथवा किसी उपयुक्त कार्यकारी आदेश के माध्यम से लागू किये जाने की भी पात्रता निर्धारित की गयी है।

बिहार बाढ़ के दृष्टिकोण से अत्यधिक संवेदनशील राज्य है, जहाँ बाढ़ प्रवण क्षेत्र देश के बाढ़ प्रवण क्षेत्र का लगभग 17.2 प्रतिशत है। राज्य के कुल 94.16 लाख हेक्टेयर भौगोलिक क्षेत्र का 68.80 लाख हेक्टेयर क्षेत्र बाढ़ प्रवण है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 73 प्रतिशत है। बिहार के कुल 68.80 लाख हेक्टेयर बाढ़ प्रवण क्षेत्र में से 50.45 लाख हेक्टेयर बाढ़ प्रवण क्षेत्र उत्तरी बिहार तथा 18.35 लाख हेक्टेयर बाढ़ प्रवण क्षेत्र दक्षिणी बिहार में पड़ता है। कुल 3800.41 कि0मी0 तटबंधों के निर्माण से 39.96 लाख हे० क्षेत्र को बाढ़ से

सुरक्षित किया गया है। यहाँ की भौगोलिक स्थिति तथा गंगा, कोसी, गंडक, बागमती जैसी प्रमुख नदियों के कारण राज्य को बार–बार बाढ़ की विभीषिका का सामना करना पड़ता है।

महोदय, राज्य में Flood Plain Zoning लागू किये जाने से नदियों के प्राकृतिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय लाभकारी मूल्यों का संरक्षण, प्रदूषण की रोकथाम तथा नदी पारिस्थितिकी तंत्र (River Ecosystem) का संरक्षण एवं जीर्णोद्धार किया जा सकता है। इसके निर्धारण की कारवाई की जा रही है।

बाढ़ से संबंधित सफल पूर्वानुमान

बाढ़ प्रबंधन सुधार सहायक केन्द्र द्वारा बाढ़ से संबंधित पूर्वानुमान सहित अन्य कार्यो में गणितीय प्रतिमान का सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है। इस केन्द्र के अंतर्गत कोसी, गंडक, बागमती–अधवारा, महानंदा एवं गंगा नदी बेसिन का बाढ़ पूर्वानुमान मॉडल विकसित किया गया है। सभी बेसिन के लिए आगामी 72 घंटे के लिए बाढ़ पूर्वानुमान के रूप में जलस्तर / जलश्राव मानसून अवधि में प्रसारित किया जाता है।

बाढ़ अवधि 2024 में गणितीय प्रतिमान केन्द्र (MMC) में विकसित बाढ़ पूर्वानुमान मॉडल (RNFFM) का संचालन सफलतापूर्वक किया गया। साथ ही कोसी व गंडक नदी में माह सितंबर, 2024 में आए अप्रत्याशित जलश्राव का सटीक पूर्वानुमान किया गया।

गणितीय प्रतिमान केन्द्र द्वारा आकलित एवं प्रसारित बाढ़ पूर्वानुमान के अनुरूप ही दिनांक 29.09.2024 को कोसी बराज, वीरपुर एवं दिनांक 28.09.2024 को गंडक बराज, वाल्मीकिनगर से जलश्राव प्रवाहित हुआ फलस्वरूप बाढ़ से बचाव की पूर्व तैयारी के कारण बड़ी आबादी को जान माल की क्षति से बचाया जा सका।

बिहार जल सुरक्षा एवं सिंचाई आधुनिकी परियोजना (Bihar Water Security and Irrigation modernization Project)

महोदय, प्रभावी सिंचाई प्रबंधन एवं प्रभावी बाढ़ जोखिम प्रबंधन के लिए "प्रस्तावित बिहार जल सुरक्षा एवं सिंचाई आधुनिकी परियोजना" हेतु विश्व बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त करने की कार्रवाई अंतिम चरण में है।

राज्य बार–बार आने वाली प्राकृतिक आपदाओं यथा बाढ़, सुखाड़, चक्रवात, ओलावृष्टि एवं लू से प्रभावित रहता है। 29 जिले बाढ़–प्रवण और शेष जिले सुखाड़ से प्रभावित रहते हैं। प्राकृतिक आपदाओं का प्रभाव कम करने के लिए सिंचाई एवं बाढ़ से संबंधित एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन परियोजना तैयार किया गया है जिससे राज्य के सभी क्षेत्र लाभान्वित होंगे।

विश्व बैंक के साथ परियोजना के मूल्यांकन की संभावित तिथि मार्च, 2025 तथा ऋण वार्ता की संभावित तिथि मई, 2025 है।

सूचना प्रौद्योगिकी तथा सोशल मीडिया का प्रयोग :–

- महोदय, सदन अवगत है कि जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत 01 जुलाई, 2020 को केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण कोषांग –सह– सहायता केन्द्र की स्थापना की गई। इसका मुख्य उद्देश्य बाढ़ की विभीषिका से बचाव में आम लोगों का सहयोग प्राप्त करना है। केन्द्र का टॉल फ्री दूरभाष संख्या–1800 3456 145 है, जिसमें आम लोगों के माध्यम से बाढ़ संबंधी आपदा, आकस्मिकता, तटबंधों में सीपेज, पाईपिंग, रिसाव, कटाव, क्षरण अथवा जान–बूझकर क्षति पहुँचाने संबंधी सूचनाएँ प्राप्त होती रहती हैं। इस केन्द्र के टॉल फ्री नंबर पर इस वर्ष आम लोगों से 61 अदद् सूचनाएँ प्राप्त हुई थीं, सभी सूचनाओं का स–समय निष्पादन किया गया है।
- विभाग के द्वारा जारी विशेष हैशटैग– #HelloWRD के माध्यम से भी लोगों से बाढ़ से सुरक्षा संबंधी सूचनाएँ प्राप्त हो रही हैं, जिसपर विभाग के अधिकारियों द्वारा तत्परता के साथ कार्रवाई की जाती है। सोशल मिडिया यथा twitter (X) पर नदियों के जलस्तर एवं बाढ़ से सुरक्षा के संबंध में नियमित सूचना @WRD_Bihar के माध्यम से दिया जाता है। Facebook पर विभाग अन्तर्गत कराये जा रहे योजनाओं एवं विभाग की अन्य गतिविधियों को Bihar Water Resource Dept के माध्यम से जनता के साथ साझा किया जा रहा है।
- बाढ़ अवधि के दौरान उपयोग में लायी जाने वाली बाढ़ संघर्षात्मक सामग्रियों का विभिन्न केन्द्रीय एवं क्षेत्रीय भंडारों में उपलब्धता एवं खपत का रियल टाइम मोनिटरिंग किया जा रहा है। इसके लिए BEAMS (Bihar Embankment Asset Management System) सॉफ्टवेयर का प्रयोग भी किया जाएगा जो तटबंधों की सुरक्षा हेतु बनाया गया है।
- कनीय अभियंता से लेकर मुख्य अभियंता तक सभी अभियंताओं का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन रियल समय में "दृष्टि ऐप" पर अपलोड किया जा रहा है। जिसका अनुश्रवण विभागीय स्तर पर भी किया जा रहा है। इस ऐप के माध्यम से विभिन्न स्तरों पर अबतक इस वित्तीय वर्ष में कुल 2,86,939 निरीक्षण कर प्रतिवेदन समर्पित किये गए हैं।

वित्तीय वर्ष 2024–25 में नियुक्ति

- बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना के अनुशंसा के आलोक में कनीय अभियंता (असैनिक / यॉँत्रिक / विद्युत) के कुल 2338 पदों पर नियुक्ति की गयी।

- 04 सहायक अभियंता (असैनिक) की नियुक्ति की गई है ।
- क्षेत्रीय कार्यालयों में कुल 42 निम्नवर्गीय लिपिक एवं 29 कार्यालय परिचारी के पदो पर अनुकम्पा नियुक्ति की गई।

वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्रस्तावित नियुक्तियाँ

- कनीय अभियंता (असैनिक) के कुल 558 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु अधियाचना सामान्य प्रशासन विभाग, पटना के माध्यम से बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना को प्रेषित की गयी है।
- सहायक अभियंता (असैनिक) की नियुक्ति हेतु कुल 351 पद के अधियाचना प्रेषण की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है ।
- क्षेत्रीय कार्यालयों में कुल 141 निम्नवर्गीय लिपिक एवं 1149 कार्यालय परिचारी के रिक्त पदो पर सीधी नियुक्ति हेतु अधियाचना सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को प्रेषित की गई है।
- क्षेत्रीय कार्यालयों में चालक संवर्ग के कुल 32 रिक्त पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु अधियाचना सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को प्रेषित की जाने हेतु कार्रवाई की जानी है।

महोदय,

जल संसाधन विभाग अपने मौलिक कार्य जैसे वृहद् एवं मध्यम सिंचाई का सृजन एवं पुनर्स्थापन, बाढ़ से सुरक्षा, तटबंध का निर्माण, जल निस्सरण की योजनाओं के निर्माण, उसके रख–रखाव एवं संचालन कार्य के अतिरिक्त नदी–जोड़ योजना, पेयजल, पर्यटन, धार्मिक एवं पर्यावरणीय महत्व वाली बड़ी योजनाओं के कार्यान्वयन में भी अपना सक्रिय योगदान कर रहा है।

वर्ष 2025–26 के बजट में विभाग के लिए माँग सं०–49 के अन्तर्गत कुल 7451.1499 करोड़ (सात हजार चार सौ इक्यावन करोड़ चौदह लाख निन्यानवे हजार) रुपए का प्रस्ताव है। स्कीम व्यय हेतु 6060.6099 करोड़ (छः हजार साठ करोड़ साठ लाख निन्यानवे हजार) रुपए तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत 1390.54 करोड़ (एक हजार तीन सौ नब्बे करोड़ चौवन लाख) रुपए का प्रस्ताव है।

महोदय,

अंत में कहना है कि हम अपने दृढ़ निश्चय और संकल्प शक्ति से सिंचाई एवं बाढ़ प्रबंधन से संबंधित जन–कल्याण एवं जनोपयोगी कार्यक्रमों को मूर्त रूप देने एवं सभी चुनौतियों से निपटने में सफल होंगे।

माननीय सदस्यों के बहुमूल्य सुझावों का स्वागत करते हुए सदन से अनुरोध है कि प्रस्ताव के अनुसार विभाग की माँग प्रस्तावों की स्वीकृति सर्वसम्मति से देने की कृपा करेंगे।

धन्यवाद !

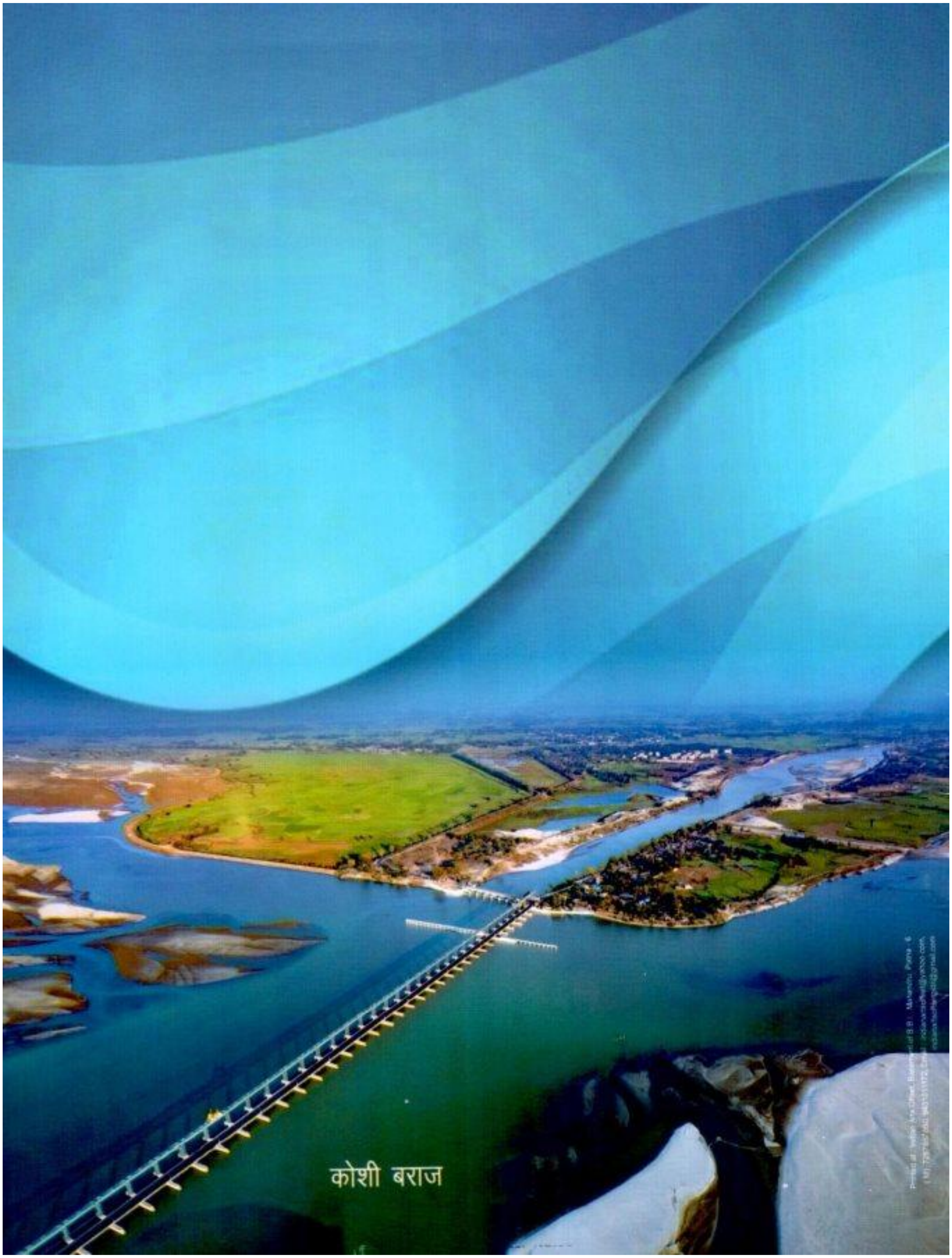
कोशी बराज